ऊर्जा दक्षता ब्यूरो









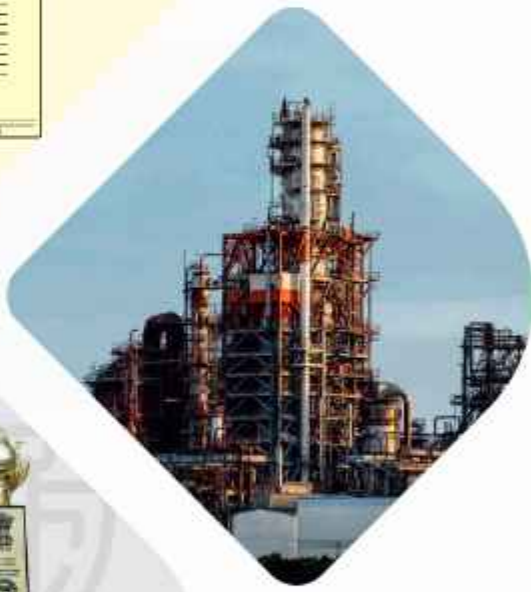





वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025

www.beeindia.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट

2024-2025

www.beeindia.gov.in

विषय – सूची

सूची		पृष्ठ सं.
1. सामान्य		
1.1	मिशन	03
1.2	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य एवं इसकी भूमिका	03
1.3	षासी परिषद की संरचना	06
1.4	महानिदेशक की रिपोर्ट	09
1.5	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं	12
1.6	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता	73
2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग		
2.1	अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	81
2.2	बहुपक्षीय कार्यक्रम	84
3. ब्यूरो का लेखा		
3.1	पूंजी संरचना	88
3.2	वित्तीय परिणाम का सारांश	88
3.3	ब्यूरो के कार्य को सुदृढ़ बनाने हेतु उठाए गए कदम	88
3.4	पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट	89
3.5	पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर प्रत्युत्तर	94
3.6	वार्षिक लेखा विवरण	111
4. प्रशासन		
4.1	शिकायत निवारण	139
4.2	सूचना का अधिकार अधिनियम	139
4.3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	139
4.4	अल्पसंख्यकों का कल्याण	140
4.5	राजभाषा का कार्यान्वयन	140
4.6	सतर्कता	142
4.7	दिव्यांगजनों का कल्याण	142

अध्याय – 1
सामान्य

1.1 उद्देश्य
1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य एवं इसकी भूमिका
1.3 शासी परिषद की संरचना
1.4 महानिदेशक की रिपोर्ट
1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएँ
1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार तथा
चित्रकला प्रतियोगिता

1.1 उद्देश्य

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (ईसी अधिनियम) के समग्र ढाँचे के अंतर्गत स्व-नियमन एवं बाजार सिद्धांतों पर आधारित नीतियों एवं रणनीतियों का विकास करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। यह लक्ष्य सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को तेजी से और सतत रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य एवं इसकी भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य

- हितधारकों की सहभागिता के साथ ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं उसके संरक्षण से संबंधित नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण पहलों की योजना बनाना, उनका प्रबंधन करना एवं उन्हें क्रियान्वित करना।
- राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण प्रयासों तथा कार्यक्रमों के लिए नेतृत्व प्रदान करना तथा नीति-निर्माण का ढाँचा एवं दिशा निर्धारित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन तंत्र का प्रदर्शन करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता परिणामों के मापन, निगरानी एवं सत्यापन हेतु प्रणाली और प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा निजी क्षेत्र के सहयोग का उपयोग करना।
- उपभोक्ताओं के लक्षित समूहों में ऊर्जा-बचत एवं ऊर्जा संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता को बढ़ावा देना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु नामित एजेंसियों, संभावित उपभोक्ताओं तथा ऊर्जा संरक्षण/दक्षता के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है, ताकि उपलब्ध संसाधनों एवं अवसंरचना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित नियामक दायित्व निर्धारित किए गए हैं –

- उपकरणों एवं उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- व्यावसायिक भवनों हेतु ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का निर्माण।
- ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा उपभोग मानक एवं मानदंडों का निर्धारण।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में वर्ष 2010 में संशोधन किया गया, ताकि देश में निरंतर विकसित हो रहे ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के प्रबंधन हेतु बीईई को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

मूल अधिनियम में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं –

- केंद्र सरकार, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उन नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा-बचत प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है, जिनका ऊर्जा उपभोग निर्धारित मानकों से कम है।
- जिन नामित उपभोक्ताओं का ऊर्जा उपभोग निर्धारित मानकों से अधिक है, उन्हें निर्धारित मानकों का अनुपालन करने हेतु ऊर्जा-बचत प्रमाण-पत्र खरीदने का अधिकार होगा।
- केंद्र सरकार, ब्यूरो से परामर्श प्राप्त कर, उर्जा खपत के समतुल्य तेल का प्रति टन मूल्य निर्धारित कर सकती है।
- 100 किलोवाट या उससे अधिक कनेक्टेड भार अथवा 120 केवीए या उससे अधिक अनुबंध मांग वाले वाणिज्यिक भवनों को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) के अंतर्गत लाया गया है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 19 दिसम्बर, 2022 को इस पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

इस संशोधन के तहत निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं –

- अजीवाश्म स्रोतों (हाइड्रोजन/नवीकरणीय ऊर्जा) के उपयोग हेतु मानदंड।
- कार्बन बाजारों (Carbon Markets) के लिए एक ढाँचे की स्थापना।
- भवन क्षेत्र का विस्तार, जिसमें बड़े आवासीय भवनों का समावेश।
- भवन संहिता के क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित भवन आवश्यकताओं तक विस्तारित करना।
- कार्यान्वयन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- दंड प्रावधानों का तार्किकीकरण।
- राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यों का पुनः निर्धारण।

प्रोत्साहनात्मक भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की प्रोत्साहनात्मक भूमिका के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं –

- जनसामान्य में ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा संबंधित जानकारी का व्यापक प्रसार करना।
- ऊर्जा के कुशल उपयोग की तकनीकों पर विशेषज्ञों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करना।
- अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित करना।
- परीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का विकास करना तथा परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- पायलट प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शन परियोजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों, यंत्रों एवं प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों एवं उपभोक्ता वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रोत्साहनात्मक नीति अपनाना।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए अभिनव वित्तीय तंत्रों को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण विषयक शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

1.3 शासी परिषद की संरचना

ब्यूरो के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, दिशा-निर्देशन तथा प्रबंधन शासी परिषद में निहित है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यूनतम इकतीस (31) तथा अधिकतम सैंतीस (37) सदस्य होते हैं।

क्रम सं.	पदनाम	नाम	स्थिति
1	माननीय विद्युत मंत्री	श्री मनोहर लाल	पदेन अध्यक्ष
2	सचिव, विद्युत मंत्रालय	श्री पंकज अग्रवाल	पदेन सदस्य
3	सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्री पंकज जैन	पदेन सदस्य
4	सचिव, कोयला मंत्रालय	श्री विक्रम देव दत्त	पदेन सदस्य
5	सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री संतोष कुमार सारंगी	पदेन सदस्य
6	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	डॉ. अजीत कुमार मोहंती	पदेन सदस्य
7	सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग	श्री मती निधि खरे	पदेन सदस्य
8	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्री तन्मय कुमार	पदेन सदस्य
9	सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	श्री श्रीनिवास आर कटीकीथला	पदेन सदस्य
10	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्री वी. उमाशंकर	पदेन सदस्य
11	सचिव, इस्पात मंत्रालय	श्री संदीप पोंड्रिक	पदेन सदस्य
12	सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	श्री समीर कुमार सिन्हा	पदेन सदस्य
13	सचिव, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	श्री विजय कुमार	पदेन सदस्य
14	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री एस. सी. एल. दास	पदेन सदस्य

क्रम सं.	पदनाम	नाम	स्थिति
15	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	श्री कामरान रिज़वी	पदेन सदस्य
16	प्रधान सचिव (ऊर्जा), बिहार	श्री मनोज कुमार सिंह	पदेन सदस्य
17	प्रधान सचिव (ऊर्जा), गुजरात	श्री एस. जे. हैदर	पदेन सदस्य
18	प्रधान सचिव (ऊर्जा), पंजाब	श्री तेजवीर सिंह	पदेन सदस्य
19	प्रधान सचिव (विद्युत), असम	डॉ. कृष्ण कुमार द्विवेदी	पदेन सदस्य
20	प्रधान सचिव (विद्युत), केरल	श्री के. आर. ज्योथिलाल	पदेन सदस्य
21	सदस्य, रेलवे बोर्ड (ऊर्जा प्रभारी), रेल मंत्रालय	श्री आर. राजगोपाल	पदेन सदस्य
22	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	श्री घनश्याम प्रसाद	पदेन सदस्य
23	महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	श्री असीत सिंह	पदेन सदस्य
24	कार्यपालक निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	श्री राजेश अग्रवाल	पदेन सदस्य
25	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, केंद्रीय खनन योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड	श्री चौधरी शिवराज सिंह	पदेन सदस्य
26	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो	श्री प्रमोद कुमार तिवारी	पदेन सदस्य
27	महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	पदेन सदस्य
28	महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	श्रीमती नीरजा शेखर	पदेन सदस्य
29	प्रबंध निदेशक, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	श्री प्रदीप कुमार दास	पदेन सदस्य
30	अध्यक्ष, भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महासंघ (एफ आई एस एम ई)	श्री संदीप किशोर जैन	सदस्य

क्रम सं.	पदनाम	नाम	स्थिति
31	महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	श्री चंद्रजीत बनर्जी	सदस्य
32	अध्यक्ष, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आरएएमए)	श्री मुकुंदन मेनन	सदस्य
33	प्रोफेसर, वास्तुकला विद्यालय स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), दिल्ली	प्रो. डॉ. चित्ररेखा काबरे	सदस्य
34	अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (एबीजीपी)	श्री नारायणभाई शाह	सदस्य
35	महानिदेशक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी)	डॉ. विभा धवन	सदस्य
36	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली	प्रो. रंगन बनर्जी	सदस्य
37	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव	पदेन सदस्य-सचिव

1.4 महानिदेशक की रिपोर्ट

- भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ हाल के वर्षों में ऊर्जा की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मुख्यतः निरंतर आर्थिक विस्तार, सुलभ एवं किफायती ऊर्जा की बेहतर उपलब्धता, तीव्र औद्योगीकरण, अवसंरचना विकास तथा तीव्र शहरीकरण के कारण हुई है।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और अपनी कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- सतत विकास रणनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, ऊर्जा दक्षता न केवल बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में सहायक है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। यह कार्यक्रम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा देश में ऊर्जा बचत बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दे रहा है। पीएटी चक्र–VIII, वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत 138 नामित उपभोक्ताओं (DCs) को शामिल किया गया है, जिनका सम्पूर्ण ऊर्जा बचत लक्ष्य 0.3370 एमटीओई निर्धारित किया गया है। अब तक PAT चक्र–I से VIII तक 13 क्षेत्रों के 1333 इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- उद्योग क्षेत्रों में ऊर्जा संक्रमण को तेज़ करने के उद्देश्य से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पीएटी योजना के विभिन्न हितधारकों के लिए 'यूज़र मैनुअल' विकसित किए हैं। ब्यूरो द्वारा विकसित ये यूज़र मैनुअल प्रमुख हितधारकों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने में निश्चित रूप से उपयोगी होंगे, ताकि पीएटी योजना को प्रभावी और कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए, बीईई ने टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लेदर क्षेत्रों में ऊर्जा एवं संसाधन मानचित्रण अध्ययन का विस्तार किया। इन अध्ययनों का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की संभावनाओं का मूल्यांकन करना तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम नीति रोडमैप विकसित करना था। इन तीन अध्ययनों के साथ, ब्यूरो ने अब तक 11 एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ऊर्जा एवं संसाधन मानचित्रण अध्ययन पूर्ण कर लिए हैं। इसके परिणामस्वरूप, बीईई वर्तमान में फोर्जिंग, फाउंड्री, स्टील री-रोलिंग एवं पेपर जैसे चार क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा (ईई/आरई) के विस्तार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। ये अध्ययन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष तकनीकों के परिनियोजन हेतु सहायता योजना (अदिति) की रूपरेखा तैयार करने में सहायक रहे हैं।

- उपकरण क्षेत्र में, बीईई का मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम उपभोक्ताओं को ऊर्जा-गहन उपकरणों एवं यंत्रों के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने में अत्यंत सफल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर तथा ईवी चार्जर के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इन नई श्रेणियों के साथ, यह कार्यक्रम अब कुल 41 उपकरणों को कवर करता है, जिनमें से 16 उपकरण अनिवार्य श्रेणी में तथा 25 उपकरण स्वैच्छिक श्रेणी में सम्मिलित हैं।
- भवन क्षेत्र में, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को उन्नत कर ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) के रूप में विकसित किया गया है, ताकि व्यावसायिक और आवासीय दोनों प्रकार के भवनों के लिए सततता संबंधी विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सके। सितंबर 2024 में ईसीएसबीसी-कमर्शियल (व्यावसायिक भवनों हेतु) तथा ईको-निवास संहिता (ईएनएस) या ईसीएसबीसी-रेज़िडेंशियल (आवासीय भवनों हेतु) जारी की गई। मार्च 2025 तक 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ईसीबीसी को अपनाया है, जबकि केरल ने नवीन ईसीएसबीसी कोड्स को मार्च 2025 में अधिसूचित किया। मौजूदा भवनों में ऊर्जा बचत की क्षमता को पहचानने के लिए, माननीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री तथा माननीय राज्य मंत्री (विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) द्वारा ऊर्जा दक्ष पुर्नसंयोजन मैनुअलों का विमोचन किया गया।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईसीएसबीसी को अपनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए, राज्य स्तर पर मानव संसाधन सहयोग प्रदान किया गया है, ताकि स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप कोड अधिसूचना और भवन उपविधियों में समावेशन सुनिश्चित हो सके।
- इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार को गति देने हेतु, बीईई ने शून्य-उत्सर्जन लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा एवं ईंधन दक्षता को समर्थन देने वाली नीति उपाय विकसित किए हैं। देशभर में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचाना गया है, और बीईई विद्युत मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण अवसंरचना के त्वरित परिनियोजन के लिए नीति उपायों के निर्माण में सहयोग कर रहा है।
- 17 सितम्बर, 2024 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने उर्जा दक्षता ब्यूरो को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) नामित किया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना के परिनियोजन के समन्वय के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त करनी होती है। मार्च 2025 तक 28 राज्यों ने अपनी ईवी नीतियाँ अधिसूचित की हैं तथा राज्य नोडल एजेंसियों का गठन किया है।
- बीईई ने 34वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (नेका) समारोह का आयोजन 14 दिसम्बर, 2024 को किया, जिसके मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति थे। प्रतियोगिता में 518 संगठनों ने भाग लिया।

- राज्य नामित एजेंसियाँ , राज्य स्तर पर बीईई की कार्यान्वयन शाखाएँ हैं, जो ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं संरक्षण को प्रोत्साहित एवं समन्वित करती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीए ने 26 प्रदर्शन परियोजनाएँ लागू कीं, जिनमें सड़क प्रकाश व्यवस्था, सरकारी भवनों, विद्यालयों एवं अस्पतालों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग, ग्रामीण पेयजल पंपिंग प्रणाली, निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा , कूल रूफ तकनीक, सरकारी भवनों में हीटिंग व्यवस्था तथा अस्पतालों एवं आंगनवाड़ियों में स्वच्छ/विद्युत खाना पकाने की पहल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बीईई एवं राज्य विभागों के सहयोग से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियाँ गठित की हैं, जो ऊर्जा संक्रमण से संबंधित पहलों की निगरानी करती हैं। बीईई ने सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना (एसईईएपी) विकसित की है।
- ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीईई ने मल्टीमीडिया एजेंसी की सेवाएँ लीं, जिसने जन-सामान्य हेतु जागरूकता अभियान विकसित किया। यह अभियान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर माध्यमों में प्रसारित किया गया। विद्यालयी छात्रों में जागरूकता बढ़ाने हेतु, राज्य नामित एजेंसियों के सहयोग से ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। उपकरणों की स्टार रेटिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु "बचत के सितारे" नामक रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला 20 भाषाओं में तैयार की गई, जिसे ऑल इंडिया रेडियो (रेनबो एफएम एवं विविध भारती) के 30 स्टेशनों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ब्यूरो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा दक्षता योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रमुख उपलब्धियां

- कुल विद्युत ऊर्जा बचत: 321.39 बिलियन यूनिट प्रतिवर्ष।
- तापीय ऊर्जा बचत: 25.96 मिलियन टन तेल समतुल्य।
- कुल ऊर्जा बचत: 53.60 मिलियन टन तेल समतुल्य (जो देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 6% है)।
- कुल मौद्रिक बचत: ₹200,212.84 करोड़।
- कुल CO_2 उत्सर्जन में कमी: लगभग 321.06 मिलियन टन प्रतिवर्ष।

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं

1.5.1 राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)

राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) भारत सरकार द्वारा जून 2008 में जारी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत प्रारंभ किए गए आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नीतियाँ और विनियामक ढाँचे तैयार करना है, जिससे ऊर्जा दक्षता के बाज़ार को सुदृढ़ और संगठित रूप से विकसित किया जा सके। एनएमईईई का मूल बल स्व-नियमन और बाज़ार सिद्धांतों पर आधारित पहलों को लागू करने पर है। इस मिशन के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण, वित्तपोषण तथा अन्य आवश्यक तंत्रों के माध्यम से एक सशक्त ऊर्जा दक्षता पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

(I) निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी)

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पी.ए.टी.) एक नियामक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य ऐसी इकाइयों में, जो अधिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं, विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना है। इसके साथ एक बाज़ार आधारित व्यवस्था जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा बचत का प्रमाणन किया जाता है और उसका व्यापार किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा दक्षता को किफायती बनाया जा सके।

यह व्यवस्था ऊर्जा अधिक खपत करने वाले उद्योगों और संस्थानों में ऊर्जा दक्षता के उपायों द्वारा निर्धारित विशिष्ट ऊर्जा खपत के लक्ष्यों और मानकों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। ऊर्जा खपत के ये मानक और लक्ष्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों और संस्थानों को नामित उपभोक्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है। इन नामित उपभोक्ताओं को एक ऊर्जा प्रबंधक नियुक्त करना अनिवार्य होता है, प्रत्येक वर्ष ऊर्जा खपत से संबंधित विवरण देना होता है, तथा समय-समय पर अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा भी करानी होती है।

विशिष्ट ऊर्जा खपत की गणना संयंत्र की सीमा के भीतर आने वाली ऊर्जा तथा संयंत्र से बाहर जाने वाले उत्पादों के आधार पर की जाती है। नामित उपभोक्ताओं की उपलब्धि का मूल्यांकन आधार वर्ष और लक्ष्य वर्ष में विशिष्ट ऊर्जा खपत के अंतर के अनुसार किया जाता है। इसमें संयंत्र में प्रवेश करने वाली कुल शुद्ध ऊर्जा और उससे बाहर निकलने वाले उत्पादों को निर्धारित अवधि के दौरान ध्यान में रखा जाता है।

पीएटी चक्र–I

पीएटी योजना के प्रथम चक्र में 8 क्षेत्रों – एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, कागज एवं लुग्दी, ताप विद्युत संयंत्र और वस्त्र – की 478 औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया। इन इकाइयों को उनके क्षेत्र-विशिष्ट औसत मानकों की तुलना में निर्धारित एसईसी लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा बचत का लक्ष्य दिया गया। कुल लक्ष्य इन उद्योगों की ऊर्जा खपत में 4.05% की कमी का था, जो 6.686 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) ऊर्जा बचत के बराबर था।

पीएटी चक्र - I मार्च, 2015 में पूर्ण हुआ। राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) और बीईई द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन दस्तावेज़ (पीएडी) का सत्यापन किया गया। इस चक्र के परिणामस्वरूप 8.67 एमटीओई ऊर्जा बचत हुई, जिससे लगभग 31 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन की रोकथाम हुई।

ईएस-सर्ट्स का व्यापार: विद्युत मंत्रालय ने PAT चक्र–I के तहत अतिरिक्त ऊर्जा बचत हासिल करने वाले 306 नामित उपभोक्ताओं को लगभग 38.25 लाख ईएस-सर्ट्स जारी किए। वहीं, 110 नामित उपभोक्ताओं ने अपने ऊर्जा बचत लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के कारण लगभग 14.25 लाख ईएस-सर्ट्स खरीदने के पात्र थे। ईएस-सर्ट्स का ट्रेडिंग सितंबर 2017 में पावर एक्सचेंज पर शुरू हुआ। कुल लगभग 12.98 लाख ईएस-सर्ट्स का व्यापार हुआ, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपये का कुल कारोबार दर्ज किया गया।

पीएटी चक्र–II

द्वितीय चक्र से पूर्व बीईई ने "डीपेनिंग " और "वाइडेनिंग" अध्ययन कराए। डीपेनिंग के तहत मौजूदा क्षेत्रों में 89 नए नामित उपभोक्ता जोड़े गए, जबकि वाइडेनिंग के तहत तीन नए क्षेत्र – रिफाइनरी, रेलवे और डिस्कॉम्स – को शामिल किया गया। कुल 621 नामित उपभोक्ताओं को 11 ऊर्जा–गहन क्षेत्रों (8 पूर्ववर्ती + 3 नए) से अधिसूचित किया गया। यह चक्र 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2019 तक चला। इसका लक्ष्य 13.63 एमटीओई ऊर्जा बचत था, जिसके विरुद्ध 14.08 एमटीओई ऊर्जा बचत प्राप्त की गई, जिससे लगभग 68 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी हुई।

ईएस-सर्ट्स का व्यापार: विद्युत मंत्रालय ने 57.38 लाख ईएस–सर्ट्स जारी किए और 193 डीसीज को 37.06 लाख ईएस–सर्ट्स खरीदने का अधिकार दिया गया। 40 सत्रों में लगभग ₹329 करोड़ का व्यापार किया गया जहाँ पीएटी चक्र – II के अंतर्गत 20.18 लाख का ईएस–सर्ट्स का व्यापार हुआ।

पीएटी चक्र–III

संसदीय स्थायी समिति ऊर्जा, प्रधान मंत्री कार्यालय के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन कार्यकारी समिति और सचिवों के समूह ने पीएटी योजना के तहत प्रत्येक वर्ष नामित उपभोक्ताओं को अधिसूचित करने की सिफारिश की, ताकि योजना का कवरेज तेज़ी से बढ़ाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, पीएटी योजना को क्रमिक चक्र के आधार पर लागू किया गया, जिसमें हर वर्ष नए उपभोक्ता/क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है। पीएटी-द्वितीय से इस निर्णय के तहत योजना को क्रमिक चक्र में रखा गया। पीएटी चक्र-तीसरा, जो वित्तीय वर्ष 2017-20 के लिए अधिसूचित किया गया था, ने छह क्षेत्रों – थर्मल ऊर्जा संयंत्र, सीमेंट, एल्यूमिनियम, कागज एवं गत्ता, लोहा एवं इस्पात, और वस्त्र – में कुल 116 नामित उपभोक्ताओं को लक्ष्य बनाया। पीएटी चक्र-तीसरे के कार्यान्वयन से 1.594 मिलियन टन तटीय ऊर्जा की बचत हुई, जो लक्ष्य 1.06 मिलियन टन से अधिक थी, और इससे 5.59 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हुई।

ईएस–सर्ट्स का व्यापार: विद्युत मंत्रालय द्वारा 75 नामित उपभोक्ताओं (डीसी) को लगभग 7.44 लाख ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र (ईएससर्ट्स) जारी किए गए, जबकि 20 नामित उपभोक्ताओं को 1.13 लाख ईएस–सर्ट्स

खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया। इस चक्र के अंतर्गत व्यापार प्रक्रिया 9 अप्रैल, 2024 से प्रारंभ हुई और कुल 13 व्यापार सत्रों का आयोजन किया गया। पीएटी चक्र–III के दौरान 0.50 लाख ईएस–सर्ट्स के अनुपालन के परिणामस्वरूप लगभग ₹11 करोड़ का व्यापार किया गया ।

पीएटी चक्र–IV

पीएटी योजना के चौथे चक्र के अंतर्गत कुल 109 नामित उपभोक्ताओं (डीसी) को अधिसूचित किया गया, जिनका कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य 0.701 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) निर्धारित किया गया था। ये नामित उपभोक्ता आठ क्षेत्रों से संबंधित थे, जिनमें से छह क्षेत्र पूर्ववर्ती पीएटी चक्र–I में सम्मिलित थे तथा दो नए क्षेत्र – पेट्रोकेमिकल्स और भवन क्षेत्र – इस चक्र में जोड़े गए।

वित्त वर्ष 2021–22 में पीएटी चक्र–IV का कार्यान्वयन पूर्ण हुआ, जिसके दौरान 0.919। एमटीओई की वास्तविक ऊर्जा बचत प्राप्त हुई, जो लक्ष्य से 31 प्रतिशत अधिक थी। इस उपलब्धि से लगभग 3.56 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई।

पीएटी चक्र–V

पीएटी चक्र-पाँच 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस चक्र के तहत कुल 110 नामित उपभोक्ताओं को अधिसूचित किया गया, जो मौजूदा पीएटी क्षेत्रों – एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली, वाणिज्यिक भवन (होटल), लोहा एवं इस्पात, कागज एवं गत्ता, वस्त्र, और थर्मल ऊर्जा संयंत्र – से संबंधित थे। पीएटी चक्र-पाँच का कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य 0.5130 मिलियन टन तेल समकक्ष था। इस लक्ष्य के मुकाबले, इस चक्र में 0.7478 मिलियन टन ऊर्जा की बचत हुई, जिससे 3.41 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई।

पीएटी चक्र–VI

पीएटी चक्र-VI 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ। पीएटी चक्र-VI के तहत छह क्षेत्रों – सीमेंट, वाणिज्यिक भवन (होटल), लोहा एवं इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कागज एवं गत्ता, और वस्त्र – के 135 नामित उपभोक्ताओं को अधिसूचित किया गया। पीएटी चक्र-VI के क्रियान्वयन से प्रारंभिक आकलन में कुल 1.304 मिलियन टन तटीय ऊर्जा की बचत हुई, जो लक्ष्य 1.277 मिलियन टन से अधिक है।

पीएटी चक्र–VII

पीएटी चक्र–VII वित्त वर्ष 2022–23 से 2024–25 के लिए अधिसूचित किया गया। इसके अंतर्गत 9 क्षेत्रों – एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर–अल्कली, लौह एवं इस्पात, कागज एवं लुग्दी, वस्त्र, ताप विद्युत संयंत्र, डिस्कॉम और रेलवे – की 707 इकाइयों को शामिल किया गया, जिनका कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य 8.485 एमटीओई है।

पीएटी चक्र–VIII

पीएटी चक्र–VIII वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 के लिए अधिसूचित किया गया। इस चक्र में एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर–अल्कली, लौह एवं इस्पात, कागज एवं लुग्दी, तथा वस्त्र क्षेत्रों की 138 इकाइयाँ शामिल की गई हैं। कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य 0.3370 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) निर्धारित किया गया है।

विभिन्न पीएटी चक्रों के अंतर्गत अधिसूचित नामित उपभोक्ताओं (डीसी) की कुल संख्या का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

क्षेत्र / नामित उपभोक्ताओं की संख्या	पीएटी चक्र–I अप्रैल, 12	पीएटी चक्र–II अप्रैल, 16	पीएटी चक्र–III अप्रैल, 17	पीएटी चक्र–IV अप्रैल, 18	पीएटी चक्र–V अप्रैल, 19	पीएटी चक्र–VI अप्रैल, 20	पीएटी चक्र–VII अप्रैल, 22	पीएटी चक्र–VIII अप्रैल, 23	कुल अधिसूचित डीसी
एल्यूमिनियम	10	12	1	-	1	-	12	1	14
सीमेंट	85	111	14	1	12	37	120	25	200
क्लोर–अल्कली	22	24	-	2	2	-	24	1	29
उर्वरक	29	37	-	-	-	-	0	-	37
लौह एवं इस्पात	67	71	29	35	23	5	134	66	270
कागज एवं लुग्दी	31	29	1	2	8	2	24	7	55
वस्त्र	90	99	34	7	16	7	120	38	206
ताप विद्युत संयंत्र	144	154	37	17	17	-	152	-	239
रिफाइनरी	-	18	-	-	-	20	0	-	20
रेलवे	-	22	-	-	-	-	26	-	26
डिस्कॉम्स	-	44	-	-	-	-	95	-	96
पेट्रोकेमिकल	-	-	-	8	-	-	0	-	8
भवन	-	-	-	37	31	64	0	-	133
कुल	**478**	**621**	**116**	**109**	**110**	**135**	**707**	**138**	**1333**

पीएटी योजना का विस्तार एवं गंभीरता

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का संभावित अध्ययन किया गया है, जिसके माध्यम से यह आकलन किया गया कि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (पीएटी योजना) को किन-किन नए क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता है। इस अध्ययन के अंतर्गत योजना के दायरे को बढ़ाते हुए शक्कर, जस्ता, ताँबा, काँच, दुग्ध, सिरेमिक, रासायनिक, टायर, ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट, फोर्जिंग, पोर्ट ट्रस्ट, फाउंड्री और रिफ्रैक्टरी उद्योगों जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना (उत्प्रेरक)

उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र , जिसे उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एआईटीडीसी) के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना एनपीटीआई, बदरपुर में की गई है। इस केंद्र में सीमेंट, क्लोर-अल्कली, लौह एवं इस्पात, कागज एवं लुग्दी तथा वस्त्र उद्योग जैसे पाँच प्रमुख क्षेत्रों की 13 ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। केंद्र का उद्घाटन जून 2023 में किया गया। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस केंद्र में सीमेंट, वस्त्र, ताप विद्युत संयंत्र तथा कागज एवं लुग्दी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों हेतु आठ क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों, राज्य नामित एजेंसियों एवं मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं का प्रदर्शन

ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के प्रदर्शन (डीप) की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को सौंपी गई है, जिसके अंतर्गत 27 नामित उपभोक्ताओं (डीसी) में 8 ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाना है। डीईईपी (डीप) के अंतर्गत ईईएसएल एवं 16 पीएटी नामित उपभोक्ताओं के बीच सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनके परिसर में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा





AITDC, बदरपुर में उद्योग पेशेवरों के लिए ऊर्जा दक्षता तकनीकों पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम की झलक।





ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं (DEEP) का प्रदर्शन: एम/एस सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टंडू में स्क्रू कंप्रेसर और एम/एस टेमंड लग्ज़री कॉटन, कोल्हापुर में टर्बो ब्लोअर।

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के साथ लौह एवं इस्पात क्षेत्र में "डीआरआई भट्ठी में अवकरणकारी के रूप में संश्लेषित गैस के इंजेक्शन" विषयक अनुसंधान एवं प्रदर्शन परियोजना के संचालन हेतु एक सहमति–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसी प्रकार, कागज एवं लुगदी क्षेत्र में "सोडा लुगदीकरण हेतु हरित द्रव का चुन-रहित रूपांतरण" शीर्षक से एक समान पहल शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ के साथ, सीमेंट क्षेत्र में डी-कार्बनीकरण प्रौद्योगिकियों पर आधारित तीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी एक सहमति ज्ञापन किया है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं–

- निम्न-ऊष्मा अनुप्रयोगों के लिए सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग
- कैल्साइनर में आरडीएफ/बायोमास गैसीफायर की प्रक्रिया डिज़ाइन एवं एकीकरण
- कूलर ईएसपी वेंट से प्राप्त अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग करते हुए वैकल्पिक ईंधन ड्रायर का डिज़ाइन

(ii) ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (एफईईपी)

भारत का कम-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर मार्ग और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों में भारी निवेश प्रवाह की आवश्यकता है। भारत में उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता के निवेश की संभावनाएँ अनुमानित रूप से 10–15 अरब अमेरिकी डॉलर के दायरे में हैं, विशेषकर एमएसएमई, बड़े उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों और नगरपालिकाओं जैसे क्षेत्रों में। हालांकि, समय पर और



IIT–रुड़की के साथ पल्प और पेपर सेक्टर में ऊर्जा दक्षता हेतु अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजना।



सीमेंट उद्योग में मध्यम तापमान अनुप्रयोगों हेतु NCCBM के साथ सौर तापीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना।

सुलभ वित्त उपलब्ध न होना तथा उधारदाताओं के बीच जोखिम की धारणा जैसी चुनौतियाँ ईई परियोजनाओं को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं।इसी संदर्भ में, राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत प्रारंभ किया गया ऊर्जा दक्षता के लिए वित्तपोषण कार्यक्रम (एफईईपी) एक व्यापक पहल के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य ईई परियोजनाओं में विश्वास स्थापित करना, परियोजना तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण तंत्र को बढ़ावा देना तथा वित्तीय संस्थानों, उद्योग भागीदारों और सेवा प्रदाताओं को लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से जोड़कर वित्त तक पहुँच को सक्षम बनाना है। एफईईपी में दो प्रमुख घटक शामिल हैं:

(1) ऊर्जा दक्षता वित्तीय मंच (ईईएफपी)

ऊर्जा दक्षता वित्तीय मंच, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्थापित एक रणनीतिक मंच है, जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों, परियोजना डेवलपर्स और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित कर विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण को गति देना है।

इस मंच का प्रमुख उद्देश्य मांग–पक्ष वित्तपोषण को सक्षम बनाना है, जिसके लिए भविष्य की ऊर्जा बचत को आधार बनाते हुए वित्तीय संस्थानों और ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) की क्षमता निर्माण करना तथा ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

क) ईईएफपी के अंतर्गत निवेश बाज़ार– ईईएफपी के तहत, बीईई ने "निवेश बाज़ार" को राज्य-स्तरीय पहल के रूप में प्रारम्भ किया, जिसका उद्देश्य मूल उपकरण निर्माता, ऊर्जा सेवा कंपनियाँ, वित्तीय संस्थान, एमएसएमई, बड़े उद्योगों तथा परियोजना विकासकर्ताओं के लिए संवाद एवं सहभागिता मंच उपलब्ध कराना है।

- इन कार्यक्रमों में प्रदर्शनियाँ और स्टॉल शामिल होते हैं, जिनमें ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियाँ तथा वित्तपोषण योजनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं।
- ये कार्यक्रम परियोजना पहचान, निवेशक जागरूकता तथा मांग और आपूर्ति पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायक होते हैं।
- मार्च 2025 तक, लगभग 45 निवेश बाज़ार 18 राज्य नामित अभिकरणों के माध्यम से पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, केरल, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन आयोजनों के दौरान ₹2700 करोड़ से अधिक लागत वाली ऊर्जा दक्ष (ईई) परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया है।

ख) ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण पर वित्तीय संस्थानों की क्षमता निर्माण – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से एक संरचित प्रशिक्षण श्रृंखला के माध्यम से वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जागरूकता और क्षमता को निरंतर सुदृढ़ किया है।

- कार्यक्रम का चौथा चरण अप्रैल 2024 में प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक विभिन्न राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) केंद्रों में लगभग 9 कार्यशालाएँ सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं।
- इनमें से एक विशेष सत्र वित्तीय विशेषज्ञों तथा परियोजना अभियंताओं/अर्थशास्त्रियों के कौशल संवर्धन हेतु विशेष रूप से आयोजित किया गया था।
- इस चरण में देशभर के लगभग 35 बैंकों से 130 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ग) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का ग्रेडिंग – ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की ऋण-योग्यता और वित्तीय विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से, बीईई ने जुलाई 2021 में "ग्रेडिंग पहल" पर एक पायलट परियोजना प्रारम्भ की।

- ग्रेडिंग एजेंसियाँ: क्रिसिल तथा स्मेरा को स्वतंत्र मूल्यांकन संचालित करने हेतु नामित किया गया।
- अब तक, 3 ग्रेडिंग प्रतिवेदन उन परियोजनाओं के लिए पूर्ण किए जा चुके हैं, जिन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तपोषित किया गया था, ताकि वित्तीय संस्थानों के बीच ईई वित्तपोषण के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, इस पहल के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, आईआरईडीए, यस बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास रूपरेखा (एफईईईडी)

यह एक पहल है जिसका उद्देश्य ऐसे राजकोषीय उपकरण विकसित और कार्यान्वित करना है, जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण में वित्तीय संस्थानों का समर्थन करें। इसका मुख्य लक्ष्य ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार विकास को प्रोत्साहित करना है, ताकि नवाचारी तंत्रों और राजकोषीय साधनों के माध्यम से वित्त तक पहुँच को सरल बनाकर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके।

क) ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण हेतु सुविधा केंद्र – ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने में तेजी लाने हेतु, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने नवंबर 2022 में एक ऑनलाइन सुविधा केन्द्र प्रारम्भ किया। यह मंच एक पारदर्शी, केंद्रीकृत केन्द्र के रूप में कार्य करता है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में ईई परियोजनाओं के वित्तपोषण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया है। सुविधा केन्द्र का मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, कार्यान्वयन को सरल बनाना तथा ऊर्जा प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। नीति और कार्यान्वयन के बीच की दूरी को कम करके, यह मंच ईई वित्तपोषण गतिविधियों की निर्बाध निगरानी, प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण और अनुगमन (ट्रैकिंग) को सक्षम बनाता है।

इसके अतिरिक्त, यह एक एकीकृत पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय संस्थानों, राज्य नामित अभिकरणों और उद्योग के हितधारकों को जोड़ता है, जिससे वे सहयोग कर सकें, परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें, तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, तथा ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों के समर्थन हेतु उपयुक्त वित्तीय उपकरणों की पहचान कर सकें।

ख) वित्तीय संस्थानों में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण प्रकोष्ठ – ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण को संस्थागत रूप प्रदान करने के उद्देश्य से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, बीईई द्वारा वित्तपोषित जनशक्ति के सहयोग से एक समर्पित ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

- मार्च 2024 तक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्थापित इस प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लगभग तीन (3) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है, साथ ही प्रशिक्षण और जन-जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई गई है।
- यह पहल वित्तीय संस्थानों के सहयोग से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए एक समर्पित और संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग) आंशिक जोखिम साझा सुविधा (पीआरएसएफ) – इसका उद्देश्य भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों को

पात्र ऊर्जा दक्षता उप–परियोजनाओं को ऋण प्रदान करते समय उत्पन्न होने वाले डिफ़ॉल्ट जोखिम के एक हिस्से को आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी विश्व बैंक है, जिसे स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा वित्तपोषित किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) इस योजना की सलाहकार समिति में सह–अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण को समर्थन देने हेतु नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस कार्यक्रम की परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) है। भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए प्रत्येक ऊर्जा बचत ऋण को अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक आंशिक गारंटी प्रदान की जाती है, जिसकी कवरेज ऋण राशि के 40 से 75 प्रतिशत तक या प्रति परियोजना अधिकतम ₹15 करोड़ है। अब तक कुल 15 बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) सिडबी के साथ पीआरएसएफ के अंतर्गत नामांकित की जा चुकी हैं। पीआरएसएफ के अंतर्गत 81 ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं, जिनकी कुल राशि 135.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹88,203 लाख) जो 81.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹53,203 लाख) से समर्थित है।

(3) अन्य पूरक गतिविधियाँ

क) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण साधन – ऊर्जा बचत बीमा सहित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण उपकरण, जिनमें ऊर्जा बचत बीमा (ईएसआई) भी शामिल है, ऊर्जा बचत में अनुमानित ऋण जोखिम और विश्वास की कमी जैसे बाजार अवरोधों को संबोधित करने हेतु प्रभावी साधन के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। ये उपकरण विशेष रूप से निजी निवेश को ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में आकर्षित करने में प्रभावी हैं, क्योंकि ये वित्तीय तथा प्रदर्शन संबंधी जोखिमों को कम करते हैं।

जोखिम-नियूनकरण उपकरणों के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु अपनाए गए व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत, बीईई ने ओईसीडी तथा एडीबी के सहयोग से निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित कीं:

(i) ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) एवं ऊर्जा लेखा-परीक्षकों के साथ परामर्श

23 अक्टूबर 2024 को बीईई, ओईसीडी तथा एडीबी ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में ईएससीओ तथा प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों के साथ एक संयोजित (हाइब्रिड) परामर्श बैठक आयोजित की। इस परामर्श का उद्देश्य था:

- भारत में ऊर्जा बचत बीमा (ईएसआई) के डिजाइन एवं कार्यान्वयन पर विचार प्राप्त करना
- जोखिमों, अवरोधों तथा नीतिगत आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया एकत्रित करना
- भारत में ईएसआई के पायलट कार्यान्वयन की संभावनाओं पर चर्चा करना

(II) वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श

20 मार्च 2025 को वित्तीय संस्थानों के साथ एक अर्द्ध-दिवसीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके उद्देश्य थे:

- स्कोपिंग अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करना
- ईएसआई तथा अन्य जोखिम-नियूनकरण तंत्रों की उभरती संरचना पर चर्चा करना
- क्षेत्रीय तैयारियों का मूल्यांकन करना और संभावित पायलट कार्यान्वयन पर हितधारक प्रतिक्रियाएँ एकत्रित करना

इस कार्यशाला के प्रमुख हितधारकों में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा/पुनर्बीमा कंपनियाँ, बैंक, विकास संगठन, ऊर्जा सेवा कंपनियाँ (ईएससीओ), तथा नीतिगत संस्थान शामिल थे। इस कार्यशाला का उद्देश्य जोखिम-नियूनकरण उपकरणों को भारतीय बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना तथा राष्ट्रीय मिशन ऊर्जा दक्षता संवर्धन (एनएमईईई) और भारत की अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुरूप कार्यान्वयन को गति प्रदान करना था।



1.5.2 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु सहायता (अदिति) योजना

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक कार्यक्रमात्मक योजना: औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा

दक्ष प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु सहायता (अदिति) योजना, का निर्माण किया है, जिसमें ₹1000 करोड़ का बजट प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रारम्भ से अंत तक सहयोग प्रदान करना तथा वित्तीय प्रोत्साहन (ब्याज सहायता) उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 5% ब्याज सहायता तथा मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता सुगम और सुलभ हो सके। यह योजना एमएसएमई को निवेश श्रेणी ऊर्जा लेखा-परीक्षा (आईजीईए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने, तथा कार्यान्वयन पश्चात मापन एवं सत्यापन (एम एंड वी) कराने में सहयोग करती है।

अदिति योजना का उद्देश्य क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रारम्भिक रूप से 60 एमएसएमई क्लस्टरों को लक्षित करते हुए कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है। यह पहल प्रौद्योगिकी को अपनाने, वित्तीय सुगमता, और पारदर्शी कार्यान्वयन पर बल देती है, जिसे एक समर्पित योजना पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। अदिति योजना ऊर्जा दक्षता की संभावनाओं और उसके कार्यान्वयन के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और सततता को प्रोत्साहित करती है।

इस वर्ष, विभाग ने सफलतापूर्वक योजना तथा इसके संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 से लागू की जाएगी।

1.5.3 भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम

(I) ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता – 2024 तथा इको निवास संहिता – 2024

भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ऊर्जा के कुशल उपयोग से संबंधित सभी पहलों को विनियमित करने के लिए मूल ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) भी सम्मिलित है। भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भवन संहिताओं को एक नियामक उपाय के रूप में अपनाया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में वर्ष 2022 में किए गए संशोधन के पश्चात, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को उन्नत कर ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) के रूप में रूपांतरित किया गया है, ताकि इसमें व्यावसायिक और आवासीय - दोनों प्रकार के भवन क्षेत्रों के लिए सतत विकास के तत्व को सम्मिलित किया जा सके। ईसीएसबीसी – 2024 को सितंबर 2024 में व्यावसायिक भवनों के लिए और इको निवास संहिता – 2024 (ईएनएस – 2024) को आवासीय भवनों के लिए प्रारंभ किया गया है।

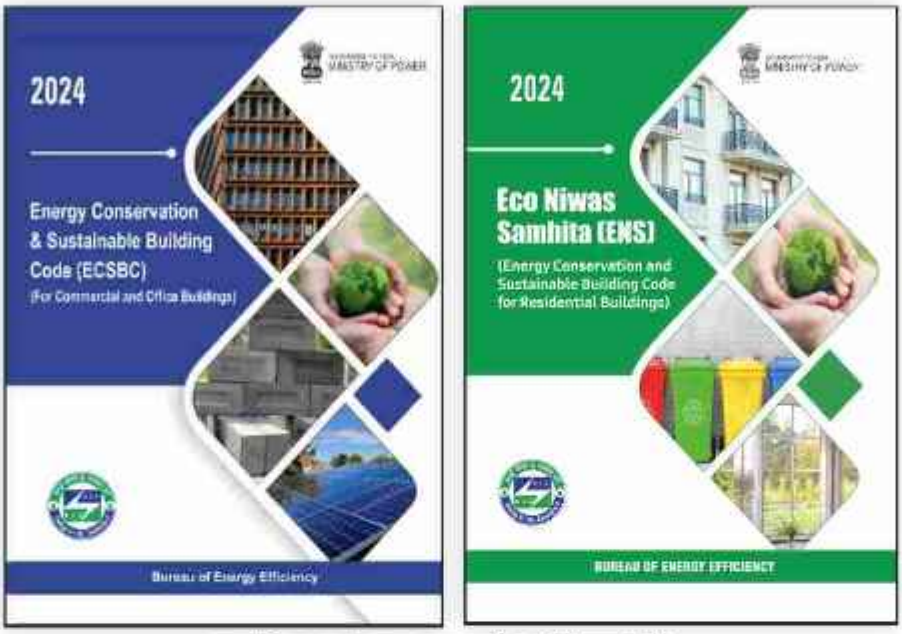

ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) – 2024 तथा इको निवास संहिता (ईएनएस) – 2024 के मुखपृष्ठ

ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) 2024 का शुभारंभ भारत के भवन क्षेत्र में सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।

ईसीएसबीसी – 2024 में निर्धारित ऊर्जा दक्षता मानक भारत के भवन क्षेत्र में प्रचलित वास्तविक निर्माण पद्धतियों और प्रवृत्तियों पर आधारित हैं। इस संहिता के निर्माण में भारत की प्रशीतन एवं वातानुकूलन निर्माता संघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय हीटिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन अभियंता संस्था, तथा भारतीय विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माता संघ जैसे औद्योगिक संगठनों का सराहनीय योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय मानक ब्यूरो जैसे सरकारी संस्थानों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया गया कि यह संहिता मौजूदा नियमों एवं मानकों के अनुरूप रहे। ईसीएसबीसी – 2024, पूर्व संस्करण ईसीबीसी – 2017 की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। नई संहिता में ऊर्जा दक्षता की सीमाएँ अधिक कठोर की गई हैं, जो भवन निर्माण सामग्री और उपकरणों से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में हुई प्रगति को प्रतिबिंबित करती हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन सततता उपायों का समावेश है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, अनुपालन में सरलता, निष्क्रिय भवन डिज़ाइन रणनीतियाँ, सतत स्थल नियोजन, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, भीतरी वायु गुणवत्ता में सुधार तथा डिज़ाइनरों के लिए लचीलापन जैसे तत्व सम्मिलित किए गए हैं।

इस संहिता के अंतर्गत जिन प्रमुख भवन घटकों को शामिल किया गया है, वे हैं - भवन आवरण (दीवारें, छत, खिड़कियाँ), प्रकाश व्यवस्था प्रणाली, हीटिंग- वेंटिलेशन- वातानुकूलन (एचवीएसी) प्रणाली, जल तापन, जल पंपिंग, विद्युत प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा भीतरी वायु गुणवत्ता। इन नए घटकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भवन केवल ऊर्जा की बचत ही न करें, बल्कि अपने पूरा जीवन चक्र में पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालें। यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे दीर्घकालिक सतत विकास की ठोस नींव तैयार होती है।

ईसीएसबीसी – 2024 में ऊर्जा प्रदर्शन के तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं -

ईसीएसबीसी अनुरूप भवन, ईसीएसबीसी प्लस भवन, तथा सुपर ईसीएसबीसी भवन। जहाँ मूल ईसीएसबीसी स्तर का अनुपालन अनिवार्य है, वहीं उच्चतर स्तर स्वैच्छिक (वैकल्पिक) हैं, जो ऊर्जा दक्षता और सततता के लिए आदर्श मानक के रूप में कार्य करेंगे। भविष्य के संशोधनों में इन उच्चतर मानकों को उद्योग के लिए नए आधार स्तर के रूप में अपनाने की दिशा में कदम उठाये जाएंगे।

ईसीएसबीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा कई सक्षम उपाय प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं -

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ईसीएसबीसी प्रकोष्ठों की स्थापना, ईसीबीसी विशेषज्ञों/संस्थाओं का पैनल तैयार करना, ईसीएसबीसी मास्टर प्रशिक्षकों का गठन, तकनीकी संदर्भ सामग्री का विकास, अनुपालन जाँच उपकरण (कंप्लायंस टूल), मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल, तथा विभिन्न राज्यों में सुपर ईसीएसबीसी डेमो भवन परियोजनाओं का विकास।

ईसीबीसी/ईसीएसबीसी के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख उपलब्धियाँ

- असम राज्य में नवंबर 2024 में भवन उपविधियों में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को सम्मिलित किया गया।
- नागालैंड द्वारा फरवरी 2025 में ईसीबीसी नियम तथा ईसीबीसी – 2017 को अधिसूचित किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, तथा जम्मू और कश्मीर में ईसीबीसी नियमों की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रगति पर है। मार्च 2025 तक कुल 23 राज्यों एवं 3 केंद्रशासित प्रदेशों में ईसीबीसी को अधिसूचित किया जा चुका है।

- केरल ने मार्च 2025 में नवीनतम ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) को अधिसूचित किया है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक कुल 26 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में ईसीबीसी/ईसीएसबीसी को अधिसूचित किया जा चुका है।

(II) वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग तथा नेट-ज़ीरो और नेट-पॉज़िटिव ऊर्जा भवनों के लिए शून्य लेबलिंग कार्यक्रम

वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग योजना वर्ष 2009 में कार्यालय भवनों के लिए प्रारंभ की गई थी। इसके पश्चात् इस योजना के दायरे का विस्तार करते हुए तीन अतिरिक्त प्रकारों – बीपीओ, अस्पताल और शॉपिंग मॉल – को भी सम्मिलित किया गया।

- कार्यक्रम के दायरे को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबलिंग कार्यक्रम वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया तथा इसके बाद दिसंबर 2021 में नेट-शून्य (नेट ज़ीरो) एवं नेट-पॉज़िटिव ऊर्जा भवनों के लिए शून्य लेबलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यालय भवनों और बीपीओ भवनों के लिए लागू मौजूदा स्टार रेटिंग कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया गया है, और इसका संशोधित संस्करण वर्ष 2022 से प्रभावी किया गया है।

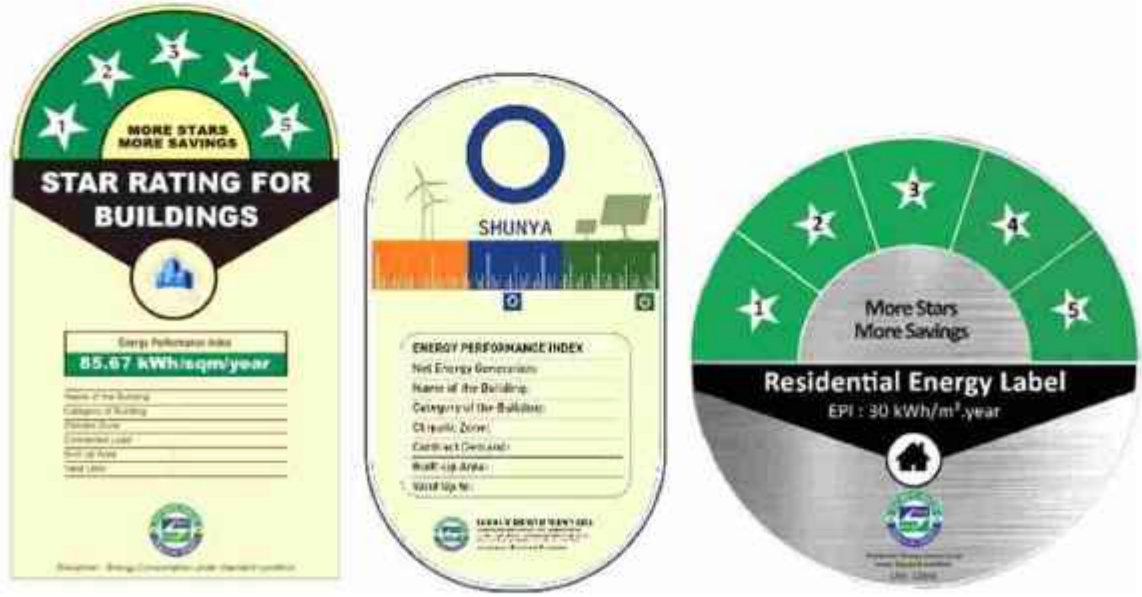

वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक प्रमाणपत्र जारी करने की स्थिति निम्नानुसार है -

- कुल 129 भवनों को स्टार रेटिंग प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।
- कुल 166 भवनों को शून्य रेटिंग प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।

भवनों के लिए प्रचलित लेबलिंग योजनाओं के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इस पुनरीक्षण का उद्देश्य ईसीएसबीसी – 2024 के अनुरूप सततता के मानकों को सम्मिलित करना तथा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए स्टार रेटिंग श्रेणियाँ (बैंड) विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन किया जा रहा है कि होटल और डेटा केंद्र (डेटा सेंटर्स) जैसी दो नई श्रेणियों को भी भवन रेटिंग कार्यक्रम के दायरे में सम्मिलित किया जाए।

(iii) विद्यमान भवनों के लिए ऊर्जा-दक्ष पुनरुद्धार (रेट्रोफिट) मार्गदर्शिकाएँ

ऊर्जा-दक्ष नए भवनों के डिजाइन में पर्याप्त प्रगति होने के बावजूद, विद्यमान संरचनाओं के पुनरुद्धार की संभावनाएँ अब भी बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त हैं। पुनरुद्धार ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु एक किफ़ायती और विस्तारीकरण योग्य समाधान उपलब्ध कराता है, जो राष्ट्रीय सततता लक्ष्यों के अनुरूप है। इस संभावित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, बीईई ने मूल्यांकन, योजना निर्माण, तथा वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों में ऊर्जा-दक्ष पुनरुद्धार के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिकाएँ विकसित की हैं।



माननीय श्री मनोहर लाल, केंद्रीय विद्युत एवं आवास-शहरी मामलों के मंत्री, तथा श्री श्रीपद नाईक, राज्य मंत्री (विद्युत एवं नवीन-नवीकरणीय ऊर्जा) द्वारा 'ऊर्जा दक्ष रेट्रोफिट मैनुअल्स: ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स' का विमोचन।

माननीय श्री मनोहर लाल, विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री, तथा माननीय श्री श्रीपद नाइक, विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा 21 फरवरी 2025 को 'विद्यमान भवनों हेतु ऊर्जा-दक्ष पुनरुद्धार मार्गदर्शिका' का औपचारिक अनावरण किया गया।

विद्यमान भवनों हेतु ऊर्जा-दक्ष पुनरुद्धार मार्गदर्शिकाएँ निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों और भवन प्रकारों के लिए विकसित की गई हैं:

क्रम संख्या	भवन का प्रकार	जलवायु क्षेत्र
1	वाणिज्यिक भवन	गर्म एवं शुष्क, मिश्रित, गर्म एवं आर्द्र, समशीतोष्ण
2	वाणिज्यिक भवन	शीत (ठंडा)
3	आवासीय भवन	गर्म एवं शुष्क, मिश्रित, गर्म एवं आर्द्र, समशीतोष्ण
4	आवासीय भवन	शीत (ठंडा)



इन मैनुअलों का प्रकाशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो आधुनिक ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के लिए एक सशक्त रूपरेखा प्रदान करती हैं, साथ ही संरचनात्मक और संचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान भी करती हैं। इन मैनुअलों में औद्योगिक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और तकनीकी नवाचारों को सम्मिलित किया गया है, जिससे विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में भवनों की ऊर्जा प्रदर्शन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक एवं क्रियान्वयन योग्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

मैनुअलों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

क. ऊर्जा दक्षता के मानकों की पहचान

- मौजूदा भवनों की ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु प्रमुख मानकों की पहचान की गई है, जैसे - भवन का प्रकार, निर्मित क्षेत्रफल, वार्षिक ऊर्जा खपत, लागत, ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई), वातानुकूलित क्षेत्र, जुड़ा हुआ विद्युत भार, तथा प्रकाश व्यवस्था।

ख. ऊर्जा संरक्षण उपाय (ईसीएम्स)

विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और भवन प्रकारों के आधार पर मौजूदा भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों (ईसीएम्स) की पहचान की गई है।

- इन उपायों को शून्य लागत, कम लागत, मध्यम लागत, और पूंजी-प्रधान लागत की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रत्येक उपाय या पुनर्संरचना क्रिया के लिए निवेश पर संभावित प्रतिफल (आरओआई) तथा भुगतान अवधि (पे-बैक विश्लेषण) का आकलन भी किया गया है।

ग. वास्तविक उदाहरण एवं आँकड़े

- विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के भवनों से प्राप्त आँकड़ों सहित अध्ययन आधारित उदाहरण (केस स्टडीज़) को सम्मिलित किया गया है।
- उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए सरल भाषा में वॉक-थ्रू ऊर्जा लेखा परीक्षा (ऑडिट) हेतु एक चेकलिस्ट तैयार की गई है, जिससे न्यूनतम परामर्श सहयोग में ऊर्जा ऑडिट किया जा सके।

घ. व्यापक ऊर्जा दक्षता मैनुअल

- इन मैनुअलों में चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण, वॉक-थ्रू ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु विस्तृत चेकलिस्ट, तथा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए मानक ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) सम्मिलित किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट के रूप में कम से कम तीस विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के वास्तविक उत्पाद आँकड़ों सहित निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) के उदाहरण भी शामिल किए गए हैं।

इन मैनुअलों का उपयोग भवन क्षेत्र में ऊर्जा प्रदर्शन को सुदृढ़ करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, जिससे भारत के उत्सर्जन कमी लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान मिलेगा। इन मैनुअलों को वास्तविक तथा बाजारोन्मुख (मार्केट-रेडी) रूप में तैयार किया गया है, जिनमें वास्तविक परियोजनाओं से प्राप्त आंकड़े एवं उदाहरण सम्मिलित हैं, जिससे इनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

क्षमता निर्माण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम

- सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 36 जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 2170 अधिकारी, वास्तुकार एवं अभियंता सम्मिलित हुए।



ऊर्जा दक्ष रेट्रोफिट मैनुअल्स के विकास हेतु आयोजित जागरूकता कार्यशालाओं की झलक।

- राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन फरवरी 2025 में किया गया, जिसका विषय था – "भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में मौजूदा भवनों की ऊर्जा दक्ष पुनर्संरचना को बढ़ावा देना तथा सतत भवन संहिताएँ।"

1.5.4 मानक और लेबलिंग योजना

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा कार्यान्वित मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न ऊर्जा-उपभोगी उपकरणों की ऊर्जा खपत तथा लागत-बचत क्षमता के संबंध में सूचित विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाना है। जुलाई 2025 तक, एस एंड एल कार्यक्रम में कुल 41 उपकरण सम्मिलित हैं, जिनमें से 16 उपकरण अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत तथा 25 उपकरण स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 में, एस एंड एल पहल से अनुमानित 89.84 अरब इकाई (बीयू) ऊर्जा की बचत तथा 7.72 मिलियन टन तेल तुल्य (एमटीओई) की बचत हुई, साथ ही 63.78 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान लगाया गया (स्रोत: इंडिया एनर्जी सीनारियो 2023–24)।

उपकरणों की सूची नीचे दी गई है।

क. अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत उपकरण

1. रूम एयर कंडीशनर (स्थिर गति वाले)

2. रूम एयर कंडीशनर (परिवर्तनशील)

3. रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, छत, कॉर्नर एसी)

4. फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर

5. डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर

6. ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप

7. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर

8. स्थिर जल भंडारण प्रकार का विद्युत जल हीटर

9. रंगीन टेलीविज़न

10. एलईडी लैम्प

11. सीलिंग फैन

12. लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर

13. डीप फ्रीज़र

14. अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (यूएचडी) टेलीविज़न

15. चिलर्स

16. वाशिंग मशीन

ख. स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत उपकरण

1. सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मोटर

2. सबमर्सिबल पंप सेट

3. कंप्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)

4. बैलेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक/मैग्नेटिक)

5. ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट (प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर, एमएफडी)

6. डीज़ल इंजन चालित मोनोसेट पंप

7. सॉलिड स्टेट इन्वर्टर

8. डीज़ल जनरेटर सेट

9. माइक्रोवेव ओवन

10. सौर जल हीटर

11. (एयर कंप्रेसर)

12. घरेलू एलपीजी चूल्हा

13. टायर

14. उच्च ऊर्जा लीथियम बैटरी इंडक्शन हॉब

15. इंडक्शन

16. साइड-बाई-साइड/मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर

17. पैडेस्टल फैन

18. टेबल/वाल पंखा

19. सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली

20. पैकेज्ड बॉयलर

21. कमर्शियल बेवेरेज कूलर्स

22. ग्रिड से जुड़े सौर इन्वर्टर

23. रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर

24. इवोपोरेटिव एयर कूलर्स विद्युत वाहन चार्जर

25. ई. वी.चार्जर

मानक एवं लेबलिंग योजना के प्रमुख लाभ

(क) उपभोक्ता जागरूकता : यह योजना उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्षता रेटिंग दिखाकर सचेत एवं सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है।

(ख) बाज़ार परिवर्तन : यह योजना ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की दिशा में बाज़ार परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है।

वित्त वर्ष 2024–25 की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. विकास एवं विस्तार

- रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर और विद्युत वाहन चार्जर (ईवी चार्जर) के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
- एकल चरणीय प्रेरण मोटर (सिंगल फेज इंडक्शन मोटर) के लिए स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत जारी संभाव्य अध्ययन जारी है।

2. ऊर्जा प्रदर्शन मानकों का उन्नयन

निम्नलिखित उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों को संशोधित किया गया -

- रूम एयर कंडीशनर
- सीलिंग पंखे
- फ्रॉस्ट-फ्री एवं डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर
- रंगीन टेलीविज़न

इन संशोधनों का उद्देश्य निर्माताओं को उच्च दक्षता वाले उपकरणों के उत्पादन की दिशा में प्रेरित करना है, जिससे ऊर्जा बचत की संभावनाएँ अधिकतम हो सकें।

3. ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन मानकों का विस्तार

ऊर्जा दक्षता निष्पादन मानकों का विस्तार निम्न उपकरणों के लिए किया गया -

अनिवार्य श्रेणी में :

- डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर
- अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (यूएचडी) टेलीविज़न

स्वैच्छिक श्रेणी में :

- पैडेस्टल फैन
- टेबल/दीवार पर लगे पंखे

- साइड-बाई-साइड रेफ्रिजरेटर
- कृषि पंप सेट
- सौर जल हीटर
- इंडक्शन हॉब
- घरेलू गैस चूल्हा
- माइक्रोवेव ओवन
- टायर
- एयर कम्प्रेसर

4. ब्रांड एवं मॉडल पंजीकरण

- मार्च 2025 तक, कुल 3,770 ब्रांड और 27,444 मॉडल मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत किए जा चुके हैं।

5. उपभोक्ता जागरूकता एवं खुदरा विक्रेता प्रशिक्षण

निम्नलिखित माध्यमों द्वारा जागरूकता प्रचार आरम्भ किया गया

- टेलीविज़न एवं रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से स्टार रेटेड उपकरणों के प्रचार अभियान प्रारंभ किए गए।
- सोशल मीडिया माध्यमों द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के सही उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाया गया।
- राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को खुदरा विक्रेताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।






6. तकनीक के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करन

- एलईडी लैंप के लिए क्यूआर कोड प्रणाली लागू की गई।
- क्यूआर कोड सत्यापन प्रणाली को अन्य उपकरणों के लिए भी स्वैच्छिक चरण में विस्तारित किया जा रहा है।

7. बाज़ार निगरानी एवं प्रवर्तन

- दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रीय एसडीए के साथ क्रमशः कोच्चि और श्रीनगर में परामर्श बैठकें (राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस) आयोजित की गईं।
- राष्ट्रीय एसडीए सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान बाज़ार निगरानी हेतु मोबाइल अनुप्रयोग (मोबाइल ऐप) का शुभारंभ और प्रदर्शन किया गया, ताकि राज्य एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके।

8. अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई

- लेबलिंग मानकों के उल्लंघन से संबंधित 9 विज्ञापन जारी किए गए, जिन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।



मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम देश में ऊर्जा दक्षता को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नियामक हस्तक्षेपों, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) बाजार को सतत और ऊर्जा-सचेत उपभोग की दिशा में अग्रसर कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के विस्तार ने विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ते प्रभाव को और अधिक सुदृढ़ किया है।

1.5.5 मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)

मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) उपायों के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियों को न केवल अधिकतम मांग (पीक डिमांड) को कम करने में सहायता मिली है, बल्कि उत्पादन, संचरण और वितरण नेटवर्क में उच्च निवेशों को टालने में भी मदद मिली है।

क. नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एम यू डीएसएम)

भारत का नगरपालिका क्षेत्र, देश की कुल विद्युत खपत का लगभग 4 प्रतिशत उपयोग करता है। यह क्षेत्र ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा अवसर प्रदान करता है और देश की कुल अंतिम उपयोग अक्षमता

का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा रखता है। मुडीएसएम कार्यक्रम के तहत किए गए उपायों से पीक समय में विद्युत वितरण कंपनियों का भार घटाने, तथा नगरपालिका क्षेत्र में उच्च विद्युत खपत से होने वाले वित्तीय नुकसानों को सीमित करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

ख. कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (ए जी डीएसएम)

कृषि मांग पक्ष प्रबंधन के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। इससे कुल विद्युत खपत में कमी, भूजल निकासी की दक्षता में सुधार, तथा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों पर सब्सिडी के भार में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

बीईई, राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के सहयोग से, किसानों और उपकरण तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

ग. वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का क्षमता निर्माण

परियोजना – 1 : डिस्कॉम का मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)

उपयोगिता स्तर पर मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) से तात्पर्य है कि विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली बिजली और अन्य सेवाओं की खपत के पैटर्न को प्रभावित करने और प्रबंधित करने के लिए उपायों की रणनीतिक योजना बनाती हैं तथा उनका क्रियान्वयन करती हैं। उपयोगिता डीएसएम का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन स्थापित करना, ग्रिड स्थिरता में सुधार लाना, अधिकतम मांग का प्रबंधन करना, परिचालन लागत को कम करना तथा उपभोक्ताओं में जिम्मेदार ऊर्जा उपभोग व्यवहार को प्रोत्साहित करके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है।

इस कार्यक्रम में विशेष रूप से ऐसी पहलें शामिल होती हैं जैसे ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और अपनाना, ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना, अधिकतम मांग की अवधि के दौरान ऊर्जा खपत में कमी हेतु प्रोत्साहन देना तथा ऊर्जा उपयोग की वास्तविक समय पर निगरानी और नियंत्रण के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

बीईई ने "भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देने" हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है। ऊर्जा मंत्रालय ने मांग-पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) योजना को 2012–17 की अवधि के दौरान अनुमोदित किया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2021–26 तक विस्तारित किया गया है।

बीईई के उपयोगिता-स्तरीय डीएसएम कार्यक्रम में प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं; लोड अनुसंधान करना, डीएसएम कार्य योजनाओं का अंतिम रूप देना, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों का आयोजन करके मास्टर प्रशिक्षकों का निर्माण करना, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के मंडल-स्तर के अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना, डिस्कॉम को जनशक्ति सहायता प्रदान करना तथा डिस्कॉम के परिक्षेत्र में ऊर्जा-दक्ष डीएसएम उपायों का कार्यान्वयन करना।

2012–17 तथा 2017–20 की अवधि के दौरान डीएसएम कार्यक्रम का चरण–I और चरण–II संचालित किया गया। कुल 62 वितरण कंपनियों ने पाँच ग्रिड क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से भाग लिया।

चरण–III (2023–25) या डीएसएम उपायों के कार्यान्वयन चरण को 5 ग्रिड क्षेत्रों में 36 वितरण कंपनियों के लिए प्रस्तावित और स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में यह परियोजना 33 वितरण कंपनियों में प्रगति पर है और शेष 3 वितरण कंपनियों में पुनः निविदा प्रक्रिया जारी है। परियोजना की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी गई है, अर्थात् अब 2026 तक। उन 33 वितरण कंपनियों की सूची, जहाँ चरण–III (2023–26) डीएसएम परियोजना वर्तमान में प्रगति पर है, नीचे दी गई है:

डीएसएम परियोजना क्षेत्र	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	डिस्कॉम का नाम
दक्षिण क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
	लक्षद्वीप	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
	कर्नाटक	बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड, मैसूर
	कर्नाटक	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
	कर्नाटक	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
	कर्नाटक	मैंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड

डीएसएम परियोजना क्षेत्र	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	डिस्कॉम का नाम
उत्तर क्षेत्र	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड
	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड
	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड
	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
	जम्मू-कश्मीर	कश्मीर बिजली वितरण निगम लिमिटेड
	जम्मू-कश्मीर	जम्मू बिजली वितरण निगम लिमिटेड
	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
उत्तर-पूर्व क्षेत्र	अरूणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार
	असम	असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड
	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
	मेघालय	मेघालय पावर वितरण निगम लिमिटेड
	मिज़ोरम	विद्युत एवं ऊर्जा विभाग, मिज़ोरम सरकार
	सिक्किम	सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड

चित्र 1: चरण–III (2023–26) में डीएसएम उपायों के क्रियान्वयन परियोजनाओं में भाग लेने वाले राज्य और डिस्कॉम



राज्य	डिस्कॉम की संख्या
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
आंध्र प्रदेश	1
केरल	1
लक्षद्वीप	1
गुजरात	3
कर्नाटक	5
दिल्ली	3
हरियाणा	2
जम्मू-कश्मीर	2
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	1
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	1
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिज़ोरम	1
सिक्किम	1
त्रिपुरा	1
कुल	29

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डीएसएम कार्यक्रम चरण-III (2023-26) की प्रमुख उपलब्धियाँ

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 4 ग्रिड क्षेत्रों में कुल 3 परियोजना प्रबंधन एजेंसियाँ (पीएमए) नियुक्त की हैं, जो 33 डिस्कॉम्स में डीएसएम परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य कर रही हैं।
- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 29 डिस्कॉम्स तथा उनकी संबंधित राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- बीईई द्वारा 29 डिस्कॉम्स में कुल 59 विशेषज्ञ मानवशक्ति (जिसमें 31 तकनीकी विशेषज्ञ एवं 31 वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हैं) की तैनाती की गई है।
- परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) ने 116 डीएसएम उपायों की पहचान की है, जिन्हें डिस्कॉम स्तर पर लागू किया जाना है। बीईई द्वारा प्रस्तुत सभी उपायों को अनुमोदित किया जा चुका है। पीएमए द्वारा पहचाने गए उपायों पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए गए हैं तथा स्वीकृति हेतु संबंधित डिस्कॉम्स को प्रस्तुत किए गए हैं।
- कुल 116 डीपीआर में से 64 डीपीआर को संबंधित डिस्कॉम्स द्वारा स्वीकृत किया गया है। 14 डिस्कॉम्स में लॉन्च समारोह आयोजित किए गए हैं, तथा इन डिस्कॉम्स में डीएसएम उपायों का क्रियान्वयन वर्तमान में प्रगति पर है।




लक्षद्वीप में डीएसएम उपायों के शुभारंभ कार्यक्रम



वीवाईपीएल में डीएसएम उपायों के शुभारंभ कार्यक्रम



मणिपुर में डीएसएम उपायों के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन

परियोजना–2 : डिस्कॉम्स में गैर–स्टार/अकुशल वितरण ट्रांसफार्मरों का अध्ययन तथा बीईई के 5–स्टार वितरण ट्रांसफार्मरों से प्रतिस्थापन

डीएसएम क्रियान्वयन परियोजना के साथ-साथ, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने चार क्षेत्रों – पूर्व एवं उत्तर–पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर – में स्थित 20 डिस्कॉम्स के साथ राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य आवश्यक डेटा इनपुट प्राप्त कर विद्युत वितरण नेटवर्क में पुराने परिसंपत्तियों के उन्नयन या प्रतिस्थापन के माध्यम से उपयोगिताओं में प्रदर्शन आधारित (ऊर्जा दक्षता और कार्बन फुटप्रिंट) व्यावसायिक मॉडल तैयार करना है। यह अध्ययन वितरण ट्रांसफार्मरों पर केंद्रित होगा और विभिन्न केवीए रेटिंग्स, डीटी लोडिंग पैटर्न, दक्षता लेबल तथा वास्तविक हानियों का वास्तविक मूल्यांकन किया जाएगा, जो डिस्कॉम्स के पुराने अकुशल वितरण ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन हेतु निर्णय लेने के लिए आवश्यक बिंदु हैं। अध्ययन प्रारंभ करने के लिए संबंधित डिस्कॉम्स से रेटिंगवार ट्रांसफार्मरों की संख्या, उनके स्टार लेबल, लोडिंग पैटर्न तथा हानियों से संबंधित प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रत्येक डिस्कॉम के लिए तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, पुराने अथवा अकुशल ट्रांसफार्मरों को या तो पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के माध्यम से प्रदर्शन सुधार हेतु लिया जाएगा या उन्हें बीईई के 5–स्टार रेटेड वितरण ट्रांसफार्मरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित 20 डिस्कॉम्स में गैर–स्टार/अकुशल वितरण ट्रांसफार्मरों के अध्ययन की परियोजना संचालित की जा रही है गैर–स्टार / अकुशल वितरण ट्रांसफार्मरों के अध्ययन हेतु चयनित डिस्कॉम्स की सूची :

क्रम सं.	परियोजना क्षेत्र	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम का नाम
1	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	ओडिशा	टाटा पावर नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
2	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	असम	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
4	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	त्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश
6	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	मेघालय	मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड
7	दक्षिण	कर्नाटक	बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी
8	दक्षिण	कर्नाटक	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	परियोजना क्षेत्र	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम का नाम
9	दक्षिण	तमिलनाडु	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
10	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
11	पश्चिम	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
12	पश्चिम	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
13	पश्चिम	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
14	पश्चिम	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
15	उत्तर	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल)
16	उत्तर	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)
17	उत्तर	चंडीगढ़	विद्युत विभाग, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़
18	उत्तर	दिल्ली	टाटा पावर – डीडीएल (टीपीडीडीएल)
19	उत्तर	दिल्ली	बीएसईएस राजधनी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)
20	उत्तर	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)

1.5.6 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

क्षेत्र का परिचय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन एवं असमानता में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह क्षेत्र अपने सामाजिक-आर्थिक संबंधों, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में योगदान तथा अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत पर रोजगार सृजन की क्षमता के कारण और भी अधिक महत्त्व रखता है।

वर्षों से देश के एमएसएमई क्षेत्र ने उत्पादन मूल्य श्रृंखला में प्रगति की है, जोकि प्रारंभ में मूलभूत वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अब जटिल उत्पादों के निर्माण तक पहुँच गया है। भारत में लगभग 64 करोड़ एमएसएमई

इकाइयाँ हैं, जो 113 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करती हैं। भारतीय एमएसएमई 50 प्रतिशत निर्यात में योगदान देते हैं तथा देश के निर्माण उत्पादन में एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं। भारत के एमएसएमई क्षेत्र की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें अनेक ऊर्जा-गहन उद्योगों जैसे सिरेमिक, ईंट, काँच, वस्त्र एवं धातुकर्म से संबंधित औद्योगिक क्लस्टर सम्मिलित हैं।

एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रमुख उपाय ऊर्जा दक्षता (ईई) है। ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को घटाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों (ईईटी) एवं श्रेष्ठ परिचालन प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की अत्यधिक संभावनाएँ विद्यमान हैं।

एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने इस क्षेत्र की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक पहलें प्रारंभ की हैं। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न एमएसएमई हितधारकों को एक साथ लाना, उपलब्धियों की समीक्षा करना, आगे की दिशा निर्धारित करना एवं भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार करना है।

एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, ब्यूरो ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं:

(i) एमएसएमई क्लस्टरों का ऊर्जा एवं संसाधन मानचित्रण

इस पहल के अंतर्गत, ब्यूरो ने अत्यंत ध्यानपूर्वक तीन प्रमुख एमएसएमई क्षेत्रों-वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा चमड़ा-का चयन किया है। इस चयन में प्रत्येक क्षेत्र से पाँच क्लस्टर शामिल हैं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा खपत, प्रौद्योगिकीय स्थिति, संचालन प्रथाओं तथा एमएसएमई इकाइयों के भीतर ऊर्जा प्रवाह पर विस्तृत सर्वेक्षण करना है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता एवं सततता को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र-वार ऊर्जा खपत मानदंड स्थापित करना है। विस्तृत ऊर्जा लेखा-परीक्षा पूर्ण होने के बाद, प्रत्येक क्षेत्र में पाँच विभिन्न स्थानों पर क्लस्टर-स्तर पर पश्च-लेखा-परीक्षा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, ताकि मानचित्रण के परिणामों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

व्यापक मानचित्रण प्रक्रिया के पश्चात, तीनों क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रीय रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें मानचित्रण प्रक्रिया के परिणामों को उजागर किया गया है, श्रेष्ठ प्रथाओं को प्रदर्शित किया गया है, तथा ऊर्जा खपत के पैटर्न पर आवश्यक अंतर्दृष्टियाँ प्रदान की गई हैं। इन निष्कर्षों के प्रसार एवं श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ब्यूरो ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें इन रिपोर्टों का औपचारिक रूप से विमोचन किया गया। अब तक, ब्यूरो ने देशभर में 55 क्लस्टरों के लिए ऊर्जा एवं संसाधन मानचित्रण पूर्ण कर लिया है, जो 11 एमएसएमई क्षेत्रों; जैसे कागज़, फोर्जिंग, फाउंड्री, इस्पात पुनः रोलिंग, औषधि, रसायन आदि-में सम्मिलित हैं।



(ii) ऊर्जा मित्र कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा अनुभवी प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों (सीईए) को "ऊर्जा मित्र" के रूप में नामित किया जा रहा है, जो चयनित एमएसएमई क्लस्टरों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये ऊर्जा मित्र एमएसएमई इकाइयों को ऊर्जा दक्षता सेवाएँ प्रदान करने, नीति-केंद्रित सहायता देने तथा ऊर्जा एवं संसाधन प्रबंधन पर क्षमता निर्माण गतिविधियाँ संचालित करने में सहयोग प्रदान करते हैं।

बीईई ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न एमएसएमई क्लस्टरों के लिए कुल 21 ऊर्जा मित्रों को नामित किया है। ये ऊर्जा मित्र एमएसएमई इकाइयों को परामर्श, वॉकथ्रू ऊर्जा लेखा परीक्षा, विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा, प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन सहायता तथा अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने जैसी व्यापक सेवाएँ प्रदान करते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, ऊर्जा मित्रों द्वारा 636 से अधिक औद्योगिक परामर्श, 170 से अधिक वॉकथ्रू ऊर्जा लेखा परीक्षाएँ, 47 से अधिक विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षाएँ की गईं तथा 5 परियोजना अध्ययन तैयार किए गए। इन प्रयासों ने एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है।



बीईई-जीआईजेड द्वारा ऊर्जा मित्रों के अभिग्रहण एवं परिचय कार्यशाला का आयोजन

(iii) ईई/आरई कार्यान्वयन कार्यक्रम का विस्तार

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से उद्योगों को ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। इस संदर्भ में, बीईई ने यह कार्यक्रम चार एमएसएमई क्षेत्रों-फोर्जिंग, फाउंड्री, कागज़, तथा इस्पात पुनः रोलिंग-में प्रारम्भ किया है। इस क्षेत्र में, बीईई ने देशभर में पाँच क्लस्टरों की पहचान की है, जिससे नई ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके। बीईई ने प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक "प्रौद्योगिकी संकलन" विकसित किया है, जिसमें पहचानी गई प्रौद्योगिकीय कमी, विक्रेता विवरण तथा संबंधित अध्ययन के आधार पर उन्नत ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का विस्तृत विवरण शामिल है। इस पहल में इन प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एमएसएमई को इनके कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु परिचयात्मक कार्यशालाओं का आयोजन भी सम्मिलित है।

कार्यक्रम में कई प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं- चयनित क्लस्टरों में जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना, एमएसएमई इकाइयों से रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त करना, इकाइयों का मूल्यांकन तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, विक्रेताओं, मूल उपकरण निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों आदि को जोड़ना, नई प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन करना, मापन एवं सत्यापन (एम एंड वी) करना, तथा प्रकरण अध्ययन तैयार करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चारों क्षेत्रों में कुल 490 कार्यान्वयन योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं, तथा 235 इकाइयों में परियोजना कार्यान्वयन संपन्न किया गया है।

1.5.7 राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) का सशक्तिकरण

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) देश में ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए दो-स्तरीय संगठनात्मक ढाँचा स्थापित करने का प्रावधान करता है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को प्रमुख एजेंसी तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। ईसी अधिनियम की धारा 15(डी) के अनुसार, राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन राज्य स्तर पर किसी एजेंसी को नामित कर सकता है जो राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों का समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन करे। अब तक 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी इकाइयों में एक राज्य नामित एजेंसी (एसडीए) नामित की है। ये एजेंसियाँ राज्यों के अनुसार भिन्न हैं – 16 नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियाँ, 7 विद्युत विभाग, 7 विद्युत निरीक्षणालय, 4 वितरण कंपनियाँ और 2 स्वतंत्र एसडीए।

राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य नामित एजेंसियों की संस्थागत, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने "राज्य स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण के समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना" को अनुमोदित किया है। इस योजना को "राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में योगदान" योजना के माध्यम से और भी सशक्त किया गया है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के

क्षेत्र में निरंतर प्रयासों एवं भावी पहलों को जारी रखने तथा प्रत्येक राज्य में पर्याप्त ऊर्जा बचत प्राप्त करने के उद्देश्य से "राज्य स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य नामित एजेंसियों के सशक्तिकरण" की योजना को वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि तक जारी रखा गया है।

क) राज्य स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं संरक्षण के समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को वित्तीय सहायता प्रदान करना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ₹4.37 करोड़ की राशि राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को निम्नलिखित उप–घटकों के अंतर्गत वितरित की गई।

- **राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शनि साझेदारी:** इस उप–घटक के अंतर्गत प्रदर्शन परियोजनाओं (डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स) का क्रियान्वयन किया गया। ये परियोजनाएँ सड़क प्रकाश व्यवस्था, जल पंपिंग प्रणाली (जैसे पेयजल आपूर्ति प्रणाली, कृषि जल पंपिंग प्रणाली आदि), भवनों में विद्युत उपकरणों/उपकरणों का पुनर्स्थापन, नगरपालिकाओं और सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर की स्थापना, कूल रूफ तकनीक, अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, तथा हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग आदि क्षेत्रों पर केंद्रित थीं। इन प्रदर्शन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे -
  - ऊर्जा दक्ष उपकरणों/प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता को व्यावहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन) के माध्यम से प्रदर्शित करना।
  - इन प्रदर्शन परियोजनाओं को विभिन्न विभागों/एजेंसियों के माध्यम से दोहराने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करना।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एसडीए द्वारा 26 प्रदर्शन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। ये परियोजनाएँ सड़क प्रकाश व्यवस्था, सरकारी भवनों, विद्यालयों और अस्पतालों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की स्थापना, ग्रामीण पेयजल पंपिंग प्रणाली, सरकारी भवनों/संस्थानों का निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा , कूल रूफ तकनीक, सरकारी भवनों में स्पेस हीटिंग तथा सरकारी अस्पतालों एवं आंगनवाड़ियों में स्वच्छ/विद्युत खाना पकाने (कुकिंग) से संबंधित थीं।

अब तक 7000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पारंपरिक उपकरणों जैसे बल्ब और पंखों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों से प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

- **मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम अभियान:** इस उप–घटक के अंतर्गत, राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) द्वारा 200–250 परिवारों वाले गाँवों (पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों एवं अन्य विशेष श्रेणी राज्यों के लिए

छूट प्रदान की गई) को ऊर्जा दक्ष ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अभियान में गाँवों के मौजूदा अकुशल उपकरणों/उपकरणों को स्टार लेबल वाले ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे जल पंप, पंखे, इंडक्शन कुकर, डीज़ल जेनरेटर, जल हीटर, स्ट्रीट लाइट्स एवं घरेलू प्रकाश व्यवस्था आदि से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक राज्य में दो से तीन गाँवों को इस अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की योजना है, जबकि अन्य गाँव भी अपने क्षेत्र के विधायकों के सहयोग से समान हस्तक्षेपों द्वारा लाभान्वित होंगे ताकि इन तकनीकों की प्रभावशीलता प्रदर्शित की जा सके।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एसडीए द्वारा कुल 15 गाँवों को इस अभियान के अंतर्गत लिया गया और उन्हें मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्रामों में परिवर्तित किया गया। इन गाँवों में बीईई स्टार रेटेड उपकरणों – बल्ब, स्ट्रीट लाइट, पंखे, जल पंप आदि – को सामुदायिक स्थलों एवं घरों में स्थापित किया गया।

- **राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र का संस्थानीकरण:** इस उप–घटक का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र विकसित करना है, ताकि ब्यूरो के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पीएटी, ईसीबीसी, एस एंड एल आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) की जाती है, जिसमें एसडीए द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी , राज्य विद्युत विनियामक आयोग में न्यायनिर्णायक अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं जो उक्त कार्यक्रमों के प्रवर्तन से संबद्ध हैं।
- **एसडीए को जनशक्ति सहायता:** इस घटक के अंतर्गत एसडीए को अपने कार्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन (मैनपावर) संलग्न करने की अनुमति दी जाती है, जो उन्हें उनके कार्यों के सुचारू एवं प्रभावी निष्पादन में सहायता प्रदान करते हैं।
- **ऊर्जा पेशेवरों के लिए कार्यशालाएँ / क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** इस उप–घटक का उद्देश्य एसडीए को यह सक्षम बनाना है कि वे राज्य स्तर पर सभी संबंधित हितधारकों के बीच ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण से संबंधित सूचनाओं का प्रभावी प्रसार कर सकें।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एसडीए द्वारा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता विषयों पर 50 से अधिक भौतिक/वर्चुअल कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- **ऊर्जा संक्रमण को सशक्त बनाना - बीईई–आईजेन भागीदारी शिखर सम्मेलन 2025:** राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु, बीईई–इंडो–जर्मन ऊर्जा भागीदारी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20–21 फरवरी 2025 को विजयवाड़ा में किया गया इस आयोजन में एसडीए, नीति निर्माता, बीईई अधिकारी, सहयोगी संस्थान, विशेषज्ञ एवं परामर्शदाता शामिल हुए, जिनका उद्देश्य राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता पहलों के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाना था।

  शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान, बीईई के सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि - "एसडीए बीईई के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अग्रणी मोर्चे पर हैं, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।"



- **राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) द्वारा ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण एवं सर्वेक्षण:** इस योजना के इस घटक का मुख्य उद्देश्य राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को राज्य स्तर पर की गई विभिन्न ऊर्जा दक्षता (ईई) एवं ऊर्जा संरक्षण (ईसी) गतिविधियों के परिणामों का दस्तावेज़ीकरण करने में सक्षम बनाना है।
- **निर्मित इंटरनेट प्लेटफार्म एवं अन्य डेटाबेस का रखरखाव एवं अद्यतन:** इस योजना के इस भाग का प्रमुख उद्देश्य एसडीए को अपनी स्थापित वेबसाइट की सामग्री एवं उस पर उपलब्ध विभिन्न डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करने में सक्षम बनाना है। एसडीए की वेबसाइटों के माध्यम से उपलब्ध जानकारी विभिन्न हितधारकों एवं समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान सिद्ध हो रही है।

  सभी एसडीए के पास राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु समर्पित वेबसाइट या टैब हैं।

- **छात्र जागरूकता / छात्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एससीबीपी):** इस घटक के अंतर्गत एसडीए द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :
  - विद्यालयों / राज्य बोर्डों / आईटीआई / डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण पर अध्यायों का विकास एवं समावेशन।
  - स्कूल शिक्षकों / व्याख्याताओं का नए मॉड्यूल / अध्यायों पर प्रशिक्षण।
  - विद्यालयों एवं डिग्री कॉलेज स्तर, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज (पॉलीटेक्निक), इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऊर्जा क्लबों की स्थापना के उपरांत वाद-विवाद एवं क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन।

वर्तमान तिथि तक, पूरे देश के सरकारी विद्यालयों/विद्यालयों/संस्थानों में 17,500 से अधिक ऊर्जा क्लब स्थापित किए जा चुके हैं।

ख. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 16(1) के अनुसार, राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को अपने-अपने राज्यों में ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि का गठन करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, "राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान" शीर्षक योजना को विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था, जो निरंतर जारी है।

एसईसीएफ ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। एसईसीएफ से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए, निधि का प्रमुख भाग परिवर्ती निवेश निधि के रूप में पृथक किया जाना है। यह आरआईएफ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उनके उपक्रमों/ एजेंसियों के सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, सड़क प्रकाश व्यवस्था या सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक पेयजल पंपिंग स्टेशनों, कृषि क्षेत्र में पंपिंग परियोजनाओं, तथा एमएसएमई औद्योगिक क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग की जा सकती है।

एसईसीएफ के अंतर्गत योगदान केवल उन राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को दिया जाता है जिन्होंने अपनी एसईसीएफ का गठन कर लिया है तथा उसे संचालित करने हेतु नियम और विनियम अधिसूचित कर दिए हैं। यह योजना सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकतम दो किश्तों में ₹4.0 करोड़ एंव ₹2.0 करोड़ उपलब्ध कराया जाता है। एसईसीएफ में योगदान की दूसरी किश्त तभी जारी की जाती है जब संबंधित राज्य ने बीईई की पहली किश्त के समतुल्य अंशदान की राशि जमा कर दी हो। पूर्वोत्तर राज्यों

एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह अंशदान राशि ₹2.0 करोड़ के स्थान पर ₹25.0 लाख निर्धारित की गई है।

वर्तमान में कुल 34 राज्य / केंद्रशासित प्रदेश – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल – ने अपनी राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि अधिसूचित कर दी है। इनमें से 29 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों ने बीईई की पहली किश्त के लिए अपना समतुल्य अंशदान भी उपलब्ध करा दिया है।

ग. ऊर्जा संक्रमण पर राज्य स्तरीय संचालन समिति

विद्युत मंत्रालय ने मई 2022 में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए कि वे अपने-अपने राज्यों में ऊर्जा संक्रमण हेतु एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इस समिति में विद्युत, ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे ताकि राज्य स्तर पर ऊर्जा संक्रमण उपायों का मार्गदर्शन और समन्वय किया जा सके।

ऊर्जा संक्रमण हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- राज्य स्तर पर ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख स्तंभों की पहचान,
- ऊर्जा संक्रमण के लिए रणनीतिक रोडमैप का निर्माण,
- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन,
- राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और निवेश के अवसरों की पहचान।

अब तक कुल 31 राज्य / केंद्रशासित प्रदेश - अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड - ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा संक्रमण पर राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन कर लिया है।

घ. राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह प्रत्येक राज्य के लिए राज्य-विशिष्ट ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार करे जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जलवायु लक्ष्यों के साथ समन्वित करना है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श तथा उनकी सहमति से तैयार की जा रही है। राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और प्रभावी नीतियों की पहचान करना है।

राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना के अंतर्गत प्रमुख अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं –

- प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है।
- अंतराल विश्लेषण रिपोर्ट, जिसके माध्यम से प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत गतिविधियों की पहचान की जाती है।
- राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना, जो राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती है।

राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना का निर्माण और सत्यापन देश के सभी 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्ण किया जा चुका है – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

1.5.8 परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता

परिवहन क्षेत्र अधिकतम ऊर्जा खपत क्षेत्र है। यह बिजली और औद्योगिक क्षेत्र के बाद कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो भारत के कुल CO_2 उत्सर्जन में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान करता है। यह देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ अंतिम उपयोगकर्ता क्षेत्र है। कुल उत्सर्जन में सड़क परिवहन का हिस्सा लगभग 9 प्रतिशत है।

वाहनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु कारों, मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं।

(I) यात्री कार

कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (सीएएफई) मानक वर्ष 2017 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पहली बार लागू किए गए थे। इन मानकों का उद्देश्य यात्री वाहनों द्वारा प्रति किलोमीटर तय दूरी में ईंधन की खपत को कम करना है।

क्रियान्वयन एवं कवरेज:

ये मानक पेट्रोल, डीज़ल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), हाइब्रिड और विद्युत यात्री वाहनों पर लागू होते हैं जिनका कुल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) 3500 किलोग्राम से कम है। सीएएफई यह निर्धारित करता है कि किसी कंपनी द्वारा निर्मित एक प्रतिनिधि वाहन प्रति किलोमीटर औसतन कितना ईंधन उपभोग कर सकता है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान निर्मित सभी वाहनों के औसत भार के आधार पर प्रतिनिधि वाहन का निर्धारण किया जाता है। भारी वाहनों को तुलनात्मक रूप से अधिक ईंधन उपभोग की अनुमति दी जाती है, परंतु कंपनी के पूरे वाहन समूह को निर्धारित सीमा के भीतर रहना अनिवार्य है।

ईंधन खपत की यह सीमा प्रति किलोमीटर अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में भी व्यक्त की जा सकती है। कंपनी द्वारा निर्मित सभी मॉडलों के टेलपाइप उत्सर्जन को वार्षिक रूप से मापा जाता है और कंपनी स्तर पर औसत निकाला जाता है।

सीएएफई स्वच्छ ऊर्जा वाहनों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम डिरोगेशन और प्रौद्योगिकी क्रेडिट प्रदान करता है। विद्युत वाहनों को वॉल्यूम क्रेडिट 3 तथा हाइब्रिड वाहनों को क्रेडिट 2 प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऑफ-साइकिल प्रौद्योगिकियाँ जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), स्टार्ट/स्टॉप तकनीक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तथा सिक्स-स्पीड गियर बॉक्स, प्रत्येक को 0.98 ग्राम CO_2 टेलपाइप उत्सर्जन कमी कारक के रूप में मान्यता दी गई है। इससे निर्माता कंपनियों को निर्धारित सीएएफई लक्ष्य से अल्प अंतर होने पर उसकी पूर्ति करने की अनुमति मिलती है।

यदि किसी कंपनी का मापा गया प्रदर्शन निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो उसके द्वारा ₹10 लाख का जुर्माना देना है। इसके अतिरिक्त, यदि ईंधन की खपत निर्धारित लक्ष्य से 2 मिलीलीटर प्रति किलोमीटर अधिक है तो प्रति वाहन ₹25,000 जुर्माना देना होगा अन्यथा ₹50,000 का दंड लगाया जाएगा।

अब तक बीईई ने सीएएफई के एक चक्र (2017–2022) का क्रियान्वयन पूरा किया है और वर्तमान में सीएएफई–II चक्र क्रियान्वयन के अधीन है।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- **सीएएफई–I (2017–2022)** के अंतर्गत औसत ईंधन खपत को 5.49 लीटर प्रति 100 किलोमीटर (130 ग्राम CO_2 प्रति किलोमीटर) तक सीमित किया गया था, जो 1037 किलोग्राम भार वाली यात्री कारों पर लागू था। सभी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे।
- **सीएएफई–II (2022 से आगे, जब तक नए मानक लागू नहीं होते)** के अंतर्गत औसत ईंधन खपत सीमा 4.76 लीटर प्रति 100 किलोमीटर (113 ग्राम CO_2 प्रति किलोमीटर) निर्धारित की गई है, जो 1082 किलोग्राम भार वाले वाहनों पर लागू है। सीएएफई–I की तुलना में कुल उत्सर्जन लक्ष्य में लगभग 15 प्रतिशत की कमी की गई। वित्त वर्ष 2022–23 में 18 में से 8 निर्माता लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह संख्या घटकर केवल 3 ओईएम रह गई।

(ii) वाणिज्यिक वाहन :

भारी मालवाहक वाहनों (एचडीवी) एवं हल्के तथा मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (एलएमसीवी) के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था मानक लागू किए गए हैं।

वर्ष 2021 में भारत में लगभग 55 लाख भारी वाहन थे, जो कुल परिवहन क्षेत्र के केवल 4 प्रतिशत वाहनों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु परिवहन क्षेत्र के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 48 प्रतिशत इन्हीं वाहनों से होता है। यह उत्सर्जन वृद्धि परिवहन आवश्यकताओं में वृद्धि, निर्माण कार्यों में तेजी तथा रेल से सड़क परिवहन की ओर स्थानांतरण के कारण हुई है।

भारी वाहनों के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था मानक

भारी मालवाहक वाहनों (एचडीवी) के लिए ईंधन दक्षता मानक पहली बार अगस्त 2017 में लागू किए गए थे। इन मानकों को 2018 में एक्सल भार संशोधन के उपरांत 21 सितंबर 2020 को अद्यतन किया गया और बाद में 29 मार्च 2022 को बीएस-VI मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया। भारी वाहनों के लिए चरण-I ईंधन अर्थव्यवस्था मानक अप्रैल 2023 में विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए तथा इनकी निगरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की जा रही है। ये मानक 12 टन या उससे अधिक भार वाले वाहनों पर लागू होते हैं जिनका ईंधन खपत परीक्षण 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर किया जाता है।

हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहन (एलएमसीवी):

हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (3.5 टन से 12 टन तक) के लिए ईंधन खपत मानक 16 जुलाई 2019 को अधिसूचित किए गए और बीएस-VI वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुए।

(iii) टायरों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम:

वाहनों की ईंधन दक्षता पर टायरों का सीधा प्रभाव पड़ता है। टायरों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम 14 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत टायरों के रोलिंग प्रतिरोध गुणांक की सीमा निर्धारित की गई है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष लगभग 2.27 मिलियन मीट्रिक टन डीज़ल, 1.04 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल की बचत और लगभग 10.1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक होगा।

ई-गतिशीलता

विद्युत वाहन (ईवी) भारत के सतत गतिशीलता परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि ये शून्य टेलपाइप उत्सर्जन प्रदान करते हैं और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करते हैं। परिवहन क्षेत्र देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 13% का योगदान देता है और सड़क परिवहन अकेले लगभग 90% यात्री आवागमन के लिए उत्तरदायी है। इस संदर्भ में, विद्युत वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को लक्षित नीतियों के माध्यम से तीव्र गति प्रदान की गई है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) फेम-I और फेम-2 योजना

(ii) उन्नत रासायनिक कोश (एसीसी) बैटरियों हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई)

(iii) प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना

(iv) भारत में विद्युत यात्री कारों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु योजना (एसपीएमईपीसीआई)

(v) राज्य स्तरीय ईवी नीतियों के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रोत्साहन

साल 2024 में, भारत में कुल 19.4 लाख विद्युत वाहन बेचे गए (वाहन डैशबोर्ड, 2024), जो बढ़ती उपभोक्ता स्वीकृति तथा विस्तारित चार्जिंग अवसंरचना को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत बैटरी निर्माण के स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि लागत कम की जा सके और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने की भारत की पहल नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करती है कि विद्युत गतिशीलता समग्र डीकार्बोनाइजेशन में योगदान दे।

ऊर्जा मंत्रालय ने इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(i) यह स्पष्ट किया गया है कि विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रखते, क्योंकि वे विद्युत संचरण, वितरण या व्यापार में संलग्न नहीं हैं।

(ii) 14 दिसंबर 2018 को ईवी चार्जिंग दिशानिर्देश एवं मानक जारी किए गए और नवीनतम संशोधन (17 सितंबर 2024) के साथ "विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना-2024 की स्थापना एवं संचालन के दिशानिर्देश" लागू किए गए।

(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को 27 राज्य नोडल अभिकरणों के साथ परामर्श करते हुए देशभर में ईवी चार्जिंग के समन्वय हेतु केंद्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) नामित किया गया।

(iv) 10 जनवरी 2025 को बैटरी स्वैपिंग दिशानिर्देश जारी किए गए, ताकि पारंपरिक ईवी चार्जिंग के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग को प्रोत्साहित किया जा सके।

(v) वर्ष 2021 में "गो इलेक्ट्रिक अभियान" प्रारम्भ और कार्यान्वित किया गया, जिसके माध्यम से विद्युत वाहनों तथा विद्युत पाक-कला के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 500 से अधिक जनसंपर्क गतिविधियाँ, जैसे वेबिनार, रैलियाँ और मीडिया अभियान चलाये गए।

(vi) 2022 में 'ईवी यात्रा पोर्टल' को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच के रूप में प्रारम्भ किया गया, जिससे ईवी उपयोगकर्ताओं को निकटतम सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का पता लगाने में सहायता मिल सके।

(vii) 8 राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में ईवी त्वरक प्रकोष्ठ स्थापित किए गए, ताकि राज्य स्तर पर सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के त्वरित विकास हेतु एकल-खिड़की तंत्र के रूप में कार्य किया जा सके।

(viii) बीईई देशभर में सार्वजनिक ईवी-चार्जिंग अवसंरचना की प्रगति की निगरानी कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक देश के विभिन्न स्थलों पर 26,367 सार्वजनिक ईवी-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

1.5.9 विविध

1.5.9.1 ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा-परीक्षकों हेतु राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार, सभी नामित ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा-परीक्षक द्वारा ऊर्जा लेखा-परीक्षा कराएँ और एक ऊर्जा प्रबंधक को नामित या नियुक्त करें।

बीईई ने मई 2004 से राष्ट्रव्यापी ऊर्जा प्रबंधकों एवं ऊर्जा लेखा-परीक्षकों के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का संचालन किया है और ऊर्जा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, वित्तपोषण तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवर ऊर्जा प्रबंधकों एवं लेखा-परीक्षकों का एक समूह (कैडर) विकसित किया है।

मार्च 2025 तक, **देश में कुल 20,151 ऊर्जा लेखा-परीक्षक एवं ऊर्जा प्रबंधक हैं, जिनमें से 11,419 'प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक' के रूप में योग्य घोषित किए गए हैं,** जो 2004–2024 के दौरान आयोजित 24 परीक्षाओं के आधार पर है।

25वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी और इसका परिणाम दिसंबर 2025 में घोषित होने की अपेक्षा है।

राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधकों तथा ऊर्जा लेखा-परीक्षकों की क्षमता निर्माण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊर्जा-गहनता में कमी आएगी।

(i) प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों का प्रत्यायन

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह ऊर्जा-गहन औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को "नामित उपभोक्ता" घोषित करे, जिन्हें समय-समय पर मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा-परीक्षकों से ऊर्जा लेखा-परीक्षा कराना अनिवार्य है। यह अधिनियम बीईई को इस उद्देश्य के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षकों का प्रत्यायन करने का दायित्व भी देता है।

प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिए अनुशंसा, प्रत्यायन सलाहकार समिति द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता बीईई के महानिदेशक द्वारा की जाती है, तथा इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय के सदस्य शामिल होते हैं। इन अनुशंसित नामों को बाद में ब्यूरो की प्रबंधन सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मार्च 2025 तक, देश में कुल 302 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा-परीक्षक उपलब्ध हैं।

(ii) पीएटी योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों का पंजीकरण

सभी नामित उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे सत्यापन और जांच-परीक्षण का कार्य केवल मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों से ही करवाएँ। वर्तमान में देशभर में कुल 95 मान्यता प्राप्त फर्में कार्यरत हैं, जो ऊर्जा उपभोग मानकों और नियमों के अनुपालन से संबंधित सत्यापन और जांच का कार्य करती हैं, साथ ही ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के निर्गम और क्रय की प्रक्रिया भी संचालित करती हैं। यह कार्य "प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार" (पीएटी) योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

(iii) ऊर्जा प्रबंधक प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, ऊर्जा प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जिसने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा के तीन प्रश्नपत्र - ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा लेखा के सामान्य पहलू, विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता तथा तापीय उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता - में उत्तीर्णता प्राप्त की हो।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) योग्य ऊर्जा प्रबंधकों / ऊर्जा लेखा परीक्षकों को प्रमाणपत्र जारी करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रियाएं), 2010 के विनियमन 8 के अनुसार, इस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद आवश्यक है। यह नवीनीकरण ब्यूरो या उसके द्वारा अनुमोदित संस्थान/संगठन द्वारा आयोजित पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेकर किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्रबंधकों को ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों, मानकों और मानदंडों की जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार कर सकें और अपने कार्यों में दक्षता ला सकें।

बीईई द्वारा पुनर्तांजगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 137 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। अब तक कुल 3484 ऊर्जा प्रबंधकों / ऊर्जा लेखा परीक्षकों ने इन कार्यशालाओं में भाग लेकर अपने प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया है तथा ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के साथ अपनी क्षमता को सुदृढ़ किया है। चरण–IV के अंतर्गत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन ऊर्जा प्रबंधकों / ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए जारी है जिन्होंने सितम्बर 2019 में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

1.5.9.2 भारतीय कार्बन बाजार

भारत के उन्नत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए, सरकार का उद्देश्य एक सशक्त भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) ढाँचा विकसित करना है, जिसका प्रमुख

उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की कीमत तय कर भारत की अर्थव्यवस्था के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन की एक प्रमुख धारा के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार को धारा 14 के खंड (w) के अंतर्गत "कार्बन व्यापार योजना" निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अधिनियम में किए गए संशोधन से यह भी प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किसी एजेंसी को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा। प्रत्येक प्रमाणपत्र एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO_2e) की कमी (या निष्कासन) का प्रतिनिधित्व करेगा।

उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) अधिसूचना संख्या S.O. 2825(E) के माध्यम से जून 2023 में अधिसूचित की, तथा संशोधित अधिसूचना संख्या S.O. 5369(E) दिसंबर 2023 में जारी की।

केंद्र सरकार ने भारतीय कार्बन बाजार हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससीआईसीएम) का गठन किया है, जो कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) के अंतर्गत कार्य करती है। यह समिति आईसीएम के कार्यान्वियन की निगरानी करती है। समिति की अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के सचिव द्वारा तथा सह-अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) में दो तंत्र परिभाषित किए गए हैं - अनुपालन तंत्र एवं प्रतिपूरक तंत्र

क) अनुपालन तंत्र

- इस तंत्र के अंतर्गत, उत्तरदायी इकाइयों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों का पालन करना अनिवार्य है। जो इकाइयाँ अपने निर्धारित मानकों से कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता प्राप्त करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (सीसीसी) जारी किए जाएँगे। वहीं जो इकाइयाँ अपने लक्षित जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता स्तर को प्राप्त नहीं कर पातीं, वे भारतीय कार्बन बाजार से सीसीसी खरीदकर अपनी कमी को पूरा कर सकती हैं। स योजना के अंतर्गत प्रारंभ में आठ क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है - एल्यूमिनियम, क्लोर-अल्कली, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, लुगदी एवं कागज, पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम रिफाइनरी तथा वस्त्र उद्योग। भविष्य में अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिलकिया जाएगा।
- इस योजना के कार्यान्वियन के भाग के रूप में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जुलाई 2024 में "अनुपालन तंत्र हेतु विस्तृत प्रक्रिया" तथा "मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए मान्यता प्रक्रिया एवं पात्रता मापदंड" प्रकाशित किए हैं।

ख) ऑफ़सेट तंत्र

- ऑफ़सेट तंत्र गैर-अनिवार्य इकाइयों के लिए एक परियोजना-आधारित आधाररेखा और क्रेडिट तंत्र है, जहाँ ये इकाइयाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हटाने, या परिहार के लिए अपनी परियोजनाओं को आधाररेखा के विरुद्ध स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत कर सकती हैं, जिसके आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों का निर्गमन किया जाता है (सीसीसी)।
- निम्नलिखित क्षेत्रों को ऑफ़सेट तंत्र में सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है: 1. ऊर्जा, 2. उद्योग, 3. कृषि, 4. अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण, 5. वानिकी, 6. परिवहन, 7. अपसारी उत्सर्जन, 8. निर्माण, 9. विलायक उपयोग, 10. कार्बन कैप्चर और CO_2 का भण्डारण और अन्य अपसारण
- इसके अतिरिक्त, ऑफ़सेट तंत्र हेतु विस्तृत प्रक्रिया तथा ऑफ़सेट तंत्र के अंतर्गत आठ कार्यविधियाँ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मार्च 2025 में जारी की गई हैं।

1.5.9.3 भारत में जिला शीतलन प्रणाली का प्रोत्साहन और कार्यान्वयन

भारत के कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी) की भवन क्षेत्र के लिए एक अनुशंसा यह है कि त्रि-उत्पादन प्रणाली, जिला शीतलन, तापीय ऊर्जा भंडारण आदि जैसी "इन-काइंड नहीं" प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। जिला शीतलन प्रणाली (डीसीएस) शहरों और परिसरों में भवनों के समूहों को वातानुकूलित करने का एक आधुनिक और कुशल तरीका है। यह भवन स्तर पर चिलर और कूलिंग टावर लगाने की पूंजीगत लागत से बचाता है और मूल्यवान छत तथा भवन स्थान को मुक्त करता है। एकाधिक भवनों की शीतलन आवश्यकताओं को एकत्रित करके, जिला शीतलन पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करता है। पारंपरिक वातानुकूलन प्रणालियाँ आमतौर पर एक भवन की चरम बिजली मांग का 50% से अधिक उत्पन्न करती हैं, जो सामान्यतः चरम लागत पर होती है। जिला शीतलन के साथ, ग्रिड पर चरम मांगों से बचा जा सकता है, और परिचालन ऊर्जा खपत में 30% तक की कमी आती है। इसके अतिरिक्त, डीसीएस कम या शून्य वैश्विक ऊष्मीकरण क्षमता वाले रेफ्रिज़रेंट का उपयोग कर सकता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जिला शीतलन प्रणाली (डीसीएस) को एक सतत शहरी शीतलन समाधान के रूप में बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को "ऊर्जा दक्ष शीतलन" परियोजना के अंतर्गत जीआईज़ेड के साथ जारी रखा। वर्ष 2024–25 के दौरान, चेन्नई, अमरावती, मुंबई जैसे शहरों में और एनटीपीसी तथा स्मार्ट सिटी जैसे पनाजी-गोवा में जिला शीतलन की क्षमता का त्वरित मूल्यांकन समर्थित किया गया। जिला शीतलन परियोजनाओं के लिए विभिन्न नीति संक्षेप, वित्तीय मॉडल और व्यावसायिक मॉडल तैयार किए गए। जीआईज़ेड जैसे साझेदारों के साथ आयोजित क्षमता-विकास कार्यशालाओं में 200 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। ऊर्जा दक्ष शीतलन परियोजना के अंतर्गत, जिला शीतलन प्रणालियों के प्रोत्साहन

हेतु एक जिला शीतलन उत्कृष्टता केंद्र/डीसी हब स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को जोड़ा गया।

1.5.9.4 भारत में कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता

भारत सरकार ने कृषि मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत कोल्ड चेन के विकास को प्राथमिकता दी है ताकि कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने देश में कोल्ड चेन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कई मिशन और योजनाएँ तैयार की हैं। क्षमता वृद्धि प्रयासों के साथ-साथ, भारत सरकार ने एक सतत कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास को भी प्राथमिकता दी है ताकि ऊर्जा मांग, रेफ्रिज़रेंट उपयोग और उत्सर्जन से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जा सके, जैसा कि भारत कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी) में उल्लिखित है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने अंतरिक्ष शीतलन, कोल्ड चेन और शीतलन उपकरणों पर अपने कार्यों के माध्यम से आईसीएपी के कार्यान्वयन में अपना योगदान दिया है। कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता पर आगे के प्रयासों को बढ़ाने हेतु, बीईई ने निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:

(क) बीईई ने राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र (एनसीसीडी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ 2 जुलाई 2024 को कोल्ड चेन अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

(ख) अगस्त 2024 में कोल्ड चेन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिज़रेंट कंप्रेसरों के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम प्रारम्भ किया।

(ग) बीईई ने "ऊर्जा दक्ष कोल्ड चेन" विषय पर एनसीसीडी द्वारा आयोजित एक सत्र में सहयोग किया। एनसीसीडी ने कोल्ड चेन से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर इनपुट एकत्रित करने हेतु कई समितियाँ और उप-समितियाँ गठित की हैं। इन समितियों और बैठकों का सदस्य होने के नाते, बीईई ने कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता से संबंधित इनपुट प्रदान किए हैं।

1.5.9.5 ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू)

विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में स्थापित ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू) भारत की सुदृढ़ ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति एवं खपत से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ों का संकलन और प्रसार करना है। इस प्रकार का समग्र डेटा साक्ष्य-आधारित नीतियों के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है, जो राष्ट्रीय एवं वैश्विक ऊर्जा पहुँच, सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन के लक्ष्यों को सशक्त करता है।

ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, विचार समूहों (थिंक टैंक), नीति आयोग तथा अन्य

संबंधित पक्षों के सहयोग से कार्य करती है। इसकी गतिविधियों की निगरानी सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा की जाती है, जो इकाई के कार्यों को रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाए रखने में सहायक है। अब तक ईडीएमयू की संचालन संरचना और उसके कार्य परिणामों को अंतिम रूप देने हेतु छह बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

जून 2023 में ईडीएमयू का पहला प्रकाशन "राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा: सर्वेक्षण एवं विश्लेषण" जारी किया गया, जिसने भारत की ऊर्जा परिदृश्य की समेकित झलक प्रस्तुत करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। इसके पश्चात फरवरी 2025 में ईडीएमयू का द्वितीय संस्करण "इंडिया एनर्जी सीनारियो" (वित्त वर्ष 2023–24) जारी किया गया। इस रिपोर्ट में पिछले संस्करण की तुलना में अनेक नवीन मूल्य संवर्द्धन किए गए हैं, जिनमें राज्य-वार सूक्ष्म आँकड़े, जैव ईंधन तथा विद्युत उत्पादन पर नए अनुभाग, और वर्ष 2023–24 के लिए अद्यतन ऊर्जा संतुलन सम्मिलित हैं।

1.5.9.6 ऊर्जा सेवा कंपनियाँ (ईएससीओ)

ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) वह संस्था होती है जो ऊर्जा सेवाएँ प्रदान करती है - जैसे डिज़ाइन, पुनर्संरचना (रेट्रोफिटिंग) तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का क्रियान्वयन, जो मौजूदा प्रतिष्ठानों के ऊर्जा लेखा के माध्यम से ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान के बाद की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ईएससीओ कंपनियाँ ऊर्जा अवसंरचना प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति, वित्तपोषण की व्यवस्था, अथवा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए संस्थान मालिकों को वित्त जुटाने में सहयोग भी प्रदान करती हैं। ईएससीओ मॉडल इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कंपनी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बचत की गारंटी, जोखिम प्रबंधन, तथा मापन एवं सत्यापन (एम एंड वी) गतिविधियों के माध्यम से वास्तविक ऊर्जा बचत का आकलन सुनिश्चित करती है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ईएससीओ मॉडल को बढ़ावा देने हेतु मौजूदा पहलें :

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 72 नई अथवा पुनः पंजीकृत ईएससीओ कंपनियों को ऊर्जा सेवा कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। वर्तमान में कुल 127 सक्रिय ईएससीओ कंपनियाँ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ सूचीबद्ध हैं।
- निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा का कार्य 184 भवनों में पूर्ण किया गया है, जिनमें 74 रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भी सम्मिलित हैं।
- व्यय विभाग द्वारा दिनांक 11.08.2023 केकार्यालय ज्ञापन संख्या F.1/3/2022-PPD अनुसार, वाणिज्यिक भवनों में (जहाँ निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा किया गया है) ईएससीओ व्यवसाय मॉडल के माध्यम

से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का क्रियान्वयन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।

- विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप एनटीपीसी और पावरग्रिड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ ईएससीओ व्यवसाय मॉडल के तहत कुछ ऊर्जा दक्षता प्रायोगिक परियोजनाएँ प्रारंभ की हैं।

1.5.9.7 नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ)

नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचित एक तंत्र है, जिसके द्वारा नामित उपभोक्ताओं को अपनी कुल विद्युत खपत के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में पात्र गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त विद्युत का उपभोग करना अनिवार्य किया गया है।

इस प्रावधान के अनुरूप, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नामित उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म स्रोतों से विद्युत खपत के इस न्यूनतम हिस्से को अनिवार्य किया है। यह प्रावधान विद्युत वितरण लाइसेंसधारी तथा अन्य नामित उपभोक्ताओं (जो ओपन एक्सेस उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता हैं) पर लागू होता है, इस सीमा तक कि वे अपनी कुल ऊर्जा खपत के प्रतिशत के रूप में वितरण लाइसेंसधारी के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त विद्युत का उपभोग करें। यह अनिवार्यता पवन, जल तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के लिए अलग-अलग उप-लक्ष्यों को भी रेखांकित करती है, जो व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों में योगदान करती है।

सभी विद्युत वितरण लाइसेंसधारी और सभी नामित उपभोक्ता, सिवाय उन ताप विद्युत संयंत्रों के जो कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) या ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं, इस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा-गहन क्षेत्र में वार्षिक ऊर्जा खपत उस निर्दिष्ट सीमा से ऊपर होने पर अधिसूचित किया जाता है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 के अधिनियम 52) की धारा 14 के उपखंड (e) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 20 अक्टूबर 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गैर-जीवाश्म स्रोतों से विद्युत खपत के न्यूनतम हिस्से को सभी विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों (डिस्कॉम) तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) या ओपन एक्सेस का उपयोग करने वाले नामित उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य किया है, ताकि वे गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत के न्यूनतम खपत लक्ष्य को पूरा कर सकें। ये लक्ष्य उनकी कुल विद्युत खपत के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

(a) विद्युत वितरण लाइसेंसधारक (डिस्कॉम) के लिए लक्ष्य:

गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत का लक्ष्य सभी विद्युत वितरण लाइसेंसधारकों (डिस्कॉम) के लिए, जो

अपनी आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई विद्युत की सीमा तक बाध्य हैं, नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	पवन अक्षय ऊर्जा	जल अक्षय ऊर्जा	वितरित अक्षय ऊर्जा	अन्य अजीवाश्म ऊर्जा	कुल अजीवाश्म ऊर्जा
1	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	29.91%
2	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
4	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
6	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

टिप्पणी: *पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों - जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड – के लिए वितरित अक्षय ऊर्जा का घटक उपर्युक्त तालिका में दिए गए मान का आधा होगा, तथा शेष भाग को अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित किया जाएगा।*

(ख) नामित उपभोक्ताओं हेतु लक्ष्य (ओपेन एक्सेस एवं स्व-उपभोगकर्ता)

अजीवाश्म स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उपभोग का लक्ष्य उन सभी नामित उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित किया गया है जो अपनी आवश्यकता की विद्युत ऊर्जा स्व-उत्पादन संयंत्रों अथवा ओपेन एक्सेस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इन उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित लक्ष्य, जो उनके कुल ऊर्जा उपभोग का एक प्रतिशत है, नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है -

वर्ष	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
लक्ष्य (%)	29.91%	33.01%	35.95%	38.81%	41.36%	43.33%

आरसीओ के लिए अनुपालन तंत्र:

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डेटा बनाए रखने और नामित उपभोक्ता/उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के अनुपालन को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

इन ज़िम्मेदारियों के अनुरूप, बीईई ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन करके, सभी संबंधित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद, आरसीओ के लिए अनुपालन तंत्र विकसित किया है, जिसमें सभी एसईआरसी/जेईआरसी, डिस्कॉम, और कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) वाले नामित उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। इन कार्यशालाओं के दौरान प्राप्त मूल्यवान सुझाव और प्रतिक्रियाएँ, विशेषकर क्षेत्र-विशिष्ट, आरसीओ के लिए अनुपालन तंत्र को परिष्कृत करने में सहायक रहीं।

अनुपालन तंत्र की प्रक्रिया में, बीईई आरसीओ अनुपालन तंत्र के लिए एक वेब-आधारित निगरानी उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिसे अंततः क्रियान्वित किया जाएगा।

चूंकि आरसीओ पोर्टल विकास चरण में है, इस बीच, वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुपालन, विस्तृत आरसीओ अनुपालन निगरानी उपकरण (एक्सेल आधारित) के माध्यम से मॉनीटर किया जाएगा, जो बीईई के आधिकारिक पोर्टल पर नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) कार्यक्रम अनुभाग में उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बीईई द्वारा आरसीओ अनुपालन रिपोर्टिंग पर हितधारक सहभागिता कार्यक्रम

क) कार्यदल (वर्किंग ग्रुप) का गठन:

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नए आरसीओ मार्ग की अधिसूचना के बाद, वित्त वर्ष 2025 के लिए सीपीपी वाले नामित उपभोक्ताओं के लिए आरसीओ लक्ष्य अब 30% के करीब राज्यों में अधिसूचित किए गए। इस संदर्भ में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और विद्युत मंत्रालय को नामित उपभोक्ताओं से तकनीकी और वाणिज्यिक कठिनाइयों, चुनौतियों, तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आरसीओ मार्ग प्राप्त करने में अक्षमता संबंधी अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

इस अधिसूचना से पहले, 01.04.2016 से पूर्व स्थापित सीपीपी पूर्ववर्ती आरपीओ लक्ष्यों का पालन कर रहे थे, जो वित्त वर्ष 2015–16 के लिए अनिवार्य स्तरों पर निर्धारित थे। 01.04.2016 को या उसके बाद स्थापित सीपीपी को उस वर्ष के उपयुक्त आरपीओ स्तर को अपनाना हो सकता है, जिसमें सीपीपी स्थापित किया गया था। जब भी कंपनी सीपीपी की क्षमता बढ़ाती है, उसे उस वर्ष के अनुसार अतिरिक्त आरपीओ की पूर्ति करनी होगी, जिसमें नई क्षमता स्थापित की गई हो। अधिकांश नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के सीपीपी वर्ष 2016 से पहले स्थापित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आरपीओ स्तर 1.5% (उत्तर-पूर्व) से 11.25% (हिमाचल प्रदेश) तक रहे, जिनका औसत लगभग 6% था।

इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, एक कार्यदल का गठन किया गया ताकि सीपीपी के लिए उपयुक्त आरसीओ मार्ग की अनुशंसा की जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में सीपीपी की लचीलेपन का आकलन किया जा सके।

परामर्श परिणाम और तकनीकी विश्लेषण: विस्तृत हितधारक परामर्श और तकनीकी मूल्यांकन के बाद, कार्यदल ने क्षेत्रीय और सेक्टोरल असमानताओं को ध्यान में रखते हुए एक विभेदित मार्ग ढांचा प्रस्तावित किया। अनुशंसाएँ निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित थीं:

मुख्य विचार-विमर्श :

- नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता।
- विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए भंडारण अवसंरचना की पर्याप्तता।
- संचालन संबंधी बाधाएँ और दीर्घकालिक व्यावसायिक व्यवहार्यता।
- प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट तकनीकी बाधाएँ और ऊर्जा मांग प्रोफ़ाइल

ख) हितधारक परामर्श कार्यशाला

नई अधिसूचित विनियमों के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा उपभोग दायित्व (आरसीओ) के अनुपालन ढाँचे को और सुदृढ़ करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा देशभर में क्षेत्रीय हितधारक परामर्श कार्यशालाओं की श्रृंखला आरंभ की गई है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के बीच सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना है ताकि संस्थागत संरचना, प्रस्तावित नियमों तथा संचालन प्रक्रियाओं को और परिष्कृत किया जा सके – जिसमें भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना तथा नए आरसीओ नियम के अनुरूप आवश्यक तंत्र विकसित करना शामिल है। संस्थागत दृष्टिकोणों के साथ-साथ, इन सत्रों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न पक्षों से व्यावहारिक चुनौतियों, प्रक्रिया सुधारों और औद्योगिक सर्वोत्तम प्रथाओं पर रचनात्मक सुझाव प्राप्त करना भी है।

इन सुझावों से संशोधित अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) ढाँचे के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा के प्रभावी और व्यापक एकीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्यशालाओं का विवरण निम्नलिखित है - आरसीओ अनुपालन निगरानी तंत्र एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के विकास पर परामर्श कार्यशाला, 21 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित।

I. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अद्यतन आरसीओ प्रक्षेपवक्र एवं आरपीओ अनुपालन प्रक्रिया पर परामर्श कार्यशाला, 23 सितम्बर 2024 को विशाखापट्टनम में आयोजित।

III. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अद्यतन आरसीओ ट्रेजेक्ट्रीज एवं आरसीओ अनुपालन प्रक्रिया पर परामर्श कार्यशाला, 28 नवम्बर 2024 को जयपुर में आयोजित।



IV. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अद्यतन आरसीओ ट्रेजेक्ट्रीज एवं आरपीओ अनुपालन प्रक्रियाओं पर परामर्श कार्यशाला, 06 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित।

V. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अद्यतन आरसीओ ट्रेजेक्ट्रीज एवं आरसीओ अनुपालन प्रक्रिया पर परामर्श कार्यशाला, 24 मार्च 2025 को गोवा में आयोजित।



1.5.9.8 जनजागरण एवं जनसंपर्क (2024–25)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जनता में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न अभियानों की शुरुआत की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक, बाह्य (आउटडोर) तथा मुद्रित माध्यमों के जरिए जनसंपर्क अभियान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से संचालित किए गए। जनसाधारण में ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता लाने और इसे व्यापक स्तर पर फैलाने के उद्देश्य से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, सामाजिक माध्यमों और बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए अनेक गतिविधियाँ संचालित कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है -

क. प्रिंट माध्यम: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए, जिनका उद्देश्य जनता को विद्युत उपकरणों की स्टार रेटिंग के बारे में जागरूक करना तथा उनके उपयोग से संबंधित जानकारी देना

था। इस पहल से उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष उत्पादों की पहचान और उनके लाभों के प्रति शिक्षित करने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, ब्यूरो द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में भर्ती विज्ञापन, सूचना विज्ञापन, जाँच-परीक्षण से संबंधित विज्ञापन आदि भी प्रकाशित किए गए। साथ ही, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (नेका) की घोषणा से संबंधित विज्ञापन भी देशभर के समाचार पत्रों में जारी किए गए। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (नेका) उद्योग, संस्थान, उपकरण, भवन, परिवहन आदि विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से उन उद्योगों, संस्थानों, उपकरणों, भवनों एवं परिवहन क्षेत्रों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इस पहल से अन्य संस्थानों एवं उपभोक्ताओं को भी ऊर्जा दक्षता अपनाने के लिए प्रेरणा मिलती है।









ख. आउटडोर मीडिया :

प्रदर्शनी: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विभिन्न प्रदर्शनियों और आयोजनों में अपने स्टॉल के माध्यम से अपनी योजनाओं – जैसे ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), ईको निवास संहिता (ईएनएस), शून्य लेबलिंग, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) आदि - से संबंधित जानकारी और उपलब्धियाँ प्रदर्शित कीं।

(i) स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो, 2024, नई दिल्ली





(ii) 43वाँ भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली





(iii) प्रतिज्ञा प्रदर्शनी 2024, भिवानी, हरियाणा





ग. सोशल मीडिया : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वर्तमान में निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय उपस्थिति बनाए हुए है –

- फेसबुक : ttps://www.facebook.com/beeindiadigital/
- ट्विटर : https://twitter.com/beeindiadigital
- लिंकडिन : https://www.linkedin.com/company/beeindiadigital/
- इंस्टाग्राम : https://www.instagram.com/beeindiadigital/
- यूट्यूब : https://www.youtube.com/bureauofenergyefficiency

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विविध प्रकार की क्रिएटिव पोस्ट्स और वीडियो साझा कर रहा है। विविध विषयों पर आधारित इस सामग्री ने दर्शकों की सहभागिता और पहुँच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सबसे अधिक पसंद, टिप्पणी और साझा किए गए पोस्टों की विषय-वस्तु एवं प्रमुख थीम निम्नलिखित हैं –













ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए गए कुछ प्रमुख अभियान :

- #CoolSmarter, #SavePower
- #Ecooking
- #Swachchta Campaign
- #VigilanceAwareness

- #GoElectric, #GoGreen
- #ChooseLiFE, #MissionLiFE
- #NECA2024
- #NationalPaintingCompetition2024

1. स्वच्छता पखवाड़ा 16 मई – 31 मई, 2024: एक स्वच्छ भविष्य की ओर कदम



राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के अनुरूप, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 16 मई से 31 मई, 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा सक्रिय रूप से मनाया, जिससे एक अधिक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया गया और हमारे आसपास तथा कार्यस्थलों में स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया। बैनर और स्टैंडीज़, जो अभियान की थीम को उजागर करते थे, ब्यूरो के कार्यालय परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए ताकि कर्मचारियों और आगंतुकों के बीच अधिक जागरूकता उत्पन्न की जा सके और कार्रवाई हेतु प्रेरित किया जा सके।

स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के अंतर्गत आयोजित गतिविधियां ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा 2024 की विभिन्न गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया गया। इन पोस्टों में ब्यूरो के कार्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान, तथा स्वच्छता के महत्व से संबंधित जानकारीपूर्ण सामग्री शामिल थी, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। साथ ही, 29 मई 2024 को राजकीय सर्वोदय विद्यालय, सेक्टर-6 एवं होसे मार्ती सर्वोदय विद्यालय, सेक्टर-12, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में कूड़ादान (डस्टबिन) वितरित किए गए, जिससे समुदाय में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिला और सामूहिक स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा मिला।





2. स्वच्छ भारत दिवस (स्वच्छता ही सेवा अभियान – 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2024)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह अभियान स्वच्छता और सतत जीवनशैली के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक सशक्त सोशल मीडिया पहल के रूप में मनाया गया। अभियान के दौरान आकर्षक पोस्ट, प्रभावशाली दृश्य सामग्री और समुदाय-केंद्रित संदेशों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छ और हरित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल ने ऊर्जा दक्षता और स्वच्छता के आपसी संबंध को उजागर करते हुए एक सतत और समृद्ध भारत की परिकल्पना को सशक्त किया।

अभियान की प्रमुख झलकियाँ:

स्वच्छता और सततता का संदेश प्रसारित करने हेतु प्रभावशाली नारों और दृश्यों वाले बैनर तैयार कर ब्यूरो के कार्यालय परिसर में प्रदर्शित किए गए। इन बैनरों ने स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया, जिससे कर्मचारियों और आगंतुकों को प्रेरणा मिली।

3. सतर्कता जागरूकता अभियान (16 अगस्त – 15 नवम्बर, 2024)



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह को एक प्रभावशाली मीडिया अभियान के माध्यम से मनाया। इस दौरान आकर्षक बैनर और स्टैंडीज़ प्रदर्शित किए गए, जिनका विषय था - "राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति"। अभियान के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की गई, जिसका उद्देश्य था लोगों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित करना।





E. प्रकाशन : इस वर्ष ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कई दस्तावेज़ों और रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया। इन प्रतियों को संबंधित हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को वितरित किया गया तथा व्यापक प्रसार के लिए इन्हें ब्यूरो की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।

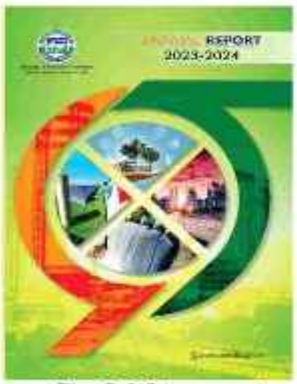

वार्षिक रिपोर्ट (2023-24)



बीईई लाइन न्यूज़लेटर का 22वाँ अंक



"बचत के सितारे" – एक आंतरिक हिंदी पत्रिका



विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश

1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता

I. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक पहल है। यह पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ताकि उन संगठनों और व्यक्तियों को पहचान और सम्मान दिया जा सके जिन्होंने भारत में ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें भवन, उद्योग, विद्युत उपयोगकर्ता और निर्माता शामिल हैं। विजेताओं का चयन उनके ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के आधार पर किया जाता है, जिसमें ऊर्जा दक्ष तकनीकों का उपयोग, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना शामिल है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का उद्देश्य पूरे देश में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के अभ्यासों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना है। ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करके, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आशा करता है कि अन्य लोग भी ऐसा ही करें और भारत के सतत विकास के प्रयासों में योगदान दें।

यह पुरस्कार समारोह विशेष रूप से प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को आयोजित किया जाता है (जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है) और विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। एनईसीए 2024 के लिए, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के उपभोक्ताओं के लिए कई लाभ हैं। मुख्य लाभों में शामिल हैं -

1. ऊर्जा बिलों में कमी: जब संगठन ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके ऊर्जा बिलों में कमी आती है। यदि संगठन अपनी इस बचत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं, तो इससे उपभोक्ताओं की लागत में भी कमी आती है।

2. ऊर्जा दक्षता में सुधार: राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार संगठनों को ऊर्जा दक्ष तकनीकों और व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में लाभदायक है।

3. जागरूकता में वृद्धि: यह पुरस्कार समारोह सफल ऊर्जा संरक्षण पहलों को प्रदर्शित करने का मंच है, जो उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। यह व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि वे अपने घरों और दैनिक जीवन में ऊर्जा दक्ष व्यवहार अपनाएँ।

4. बेहतर जीवन गुणवत्ता: ऊर्जा संरक्षण उपाय पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उपभोक्ताओं के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी से वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

संक्षेप रूप में, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देश में ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिलों में कमी, ऊर्जा दक्षता में सुधार, जागरूकता में वृद्धि, और टिकाऊ भविष्य की दिशा में योगदान जैसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।



विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले संगठनों की सूची इस प्रकार है:

एनईसीए 2024 के पुरस्कार विजेता

श्रेणी	क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	प्रशस्ति पत्र
उद्योग	सीमेंट	**डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड,** कटक (ओडिशा)	**जे.के. सीमेंट वर्क्स,** निम्बाहेड़ा (राजस्थान)	**(1) जे.के. सीमेंट वर्क्स,** मुद्गपुर (कर्नाटक) **(2) न्यूवोको विस्तास कॉर्प लिमिटेड,** चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) **(3) प्रिज़्म जॉनसन लिमिटेड,** सतना (मध्य प्रदेश)
	खाद्य प्रसंस्करण	**सुमुल फूड फैक्ट्री,** सूरत (गुजरात)	**हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड,** सोनीपत (हरियाणा)	**श्रीराम पापड्स प्रा. लि.,** बीकानेर (राजस्थान)
	टायर	**योकोहामा इंडिया प्रा. लि.,** बहादुरगढ़ (हरियाणा)	**जे.के. टायर इंडस्ट्री लिमिटेड,** बानमोर (मध्य प्रदेश)	**बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चोपनकी यूनिट,** भिवाड़ी (राजस्थान)
	औषधि एवं फार्मास्युटिकल	**डेक्कन फाइन केमिकल्स इंडिया प्रा. लि.,** अंकलेश्वर (गुजरात)	**शिल्पा फार्मा लाइफ साइंसेज़ लि.,** रायचूर (कर्नाटक)	**सिप्ला लिमिटेड, साइट गोवा-2,** वेरना (गोवा)
	कागज एवं लुगदी	**खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड,** अमृतसर (पंजाब)	**विल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड,** बल्लारपुर (महाराष्ट्र)	**तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड,** करूर (तमिलनाडु)
	प्लास्टिक	**एसएमआर ऑटोमोटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड,** कांचीपुरम (तमिलनाडु)	**जगदम्बा पॉलिमर्स प्रा. लि.,** बालासोर (ओडिशा)	**(1) द सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड,** भद्राचलम (तेलंगाना) **(2) मैरेली माथरसन ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडिया प्रा. लि.,** पुणे (महाराष्ट्र)
	क्लोर-अल्कली	**ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड,** केमिकल डिवीजन, पलामू (झारखंड)	**बोडाल केमिकल्स लिमिटेड, यूनिट XII,** पटियाला (पंजाब)	**ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन,** भरूच (गुजरात)
	चाय	**टाटा कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड,** रोहतक (हरियाणा)	**टाटा कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड,** सलोना (असम)	**पीजीपी ग्लास प्रा. लिमिटेड,** कोसाम्बा (गुजरात)

श्रेणी	क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	प्रशस्ति पत्र
भवनों	होटल	**ग्रैंड होटल,** कोच्चि (केरल)	**आईटीसी सोनार,** कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	**(1) ताज क्लब हाउस,** चेन्नई (तमिलनाडु) **(2) द रेजिडेंसी, चेन्नई** (तमिलनाडु)
	अस्पताल	**रेलवे हॉस्पिटल,** गुंटाकल (आंध्र प्रदेश)	**डिविज़नल रेलवे हॉस्पिटल,** इज़्ज़त नगर (उत्तर प्रदेश)	**(1) सेंट्रल हॉस्पिटल, साउथ सेंट्रल रेलवे,** हैदराबाद (तेलंगाना) **(2) मेरी क्वींस मिशन हॉस्पिटल,** कोट्टायम (केरल) **(3) डिविज़नल रेलवे हॉस्पिटल,** साउथ वेस्टर्न रेलवे, बेंगलुरू (कर्नाटक)
	शॉपिंग मॉल एवं प्लाज़ा	**लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्रा. लि.,** तिरुवनंतपुरम (केरल)	**फीनिक्स मार्केटसिटी,** मुंबई (महाराष्ट्र)	**लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्रा. लि.,** कोच्चि (केरल)
	हवाई अड्डा			**अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड,** अहमदाबाद (गुजरात)
परिवहन	रेलवे स्टेशन	**रेनिगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन** (आंध्र प्रदेश)	**जमिकुंटा रेलवे स्टेशन** (तेलंगाना)	**(1)) हैदराबाद रेलवे स्टेशन** (तेलंगाना) **(2) निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन** (तेलंगाना) **(3) सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन** (उत्तर प्रदेश)
	विमानन			**(1) स्पाइसजेट लि.** (हरियाणा) **(2) इंटरग्लोब एविएशन लि. (इंडिगो एयरलाइंस),** हरियाणा
संस्थान	वितरण कंपनी	**नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,** पटना (बिहार)	**टीपी वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,** सम्बलपुर (ओडिशा)	**(1) टीपी नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,** बालासोर (ओडिशा) **(2) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,** दिल्ली
	राज्य प्रदर्शन पुरस्कार	समूह-1: महाराष्ट्र समूह-2: आंध्र प्रदेश समूह-3: असम समूह-4: त्रिपुरा	समूह-1: कर्नाटक समूह-2: केरल समूह-3: गोवा समूह-4: (1) मेघालय(2) चंडीगढ़	

CATEGORY	APPLIANCE NAME	MODEL NUMBER
उपकरण	पंखा	एटम वर्ग (मॉडल नं. REC41235RM)
	डीप फ्रीज़र	हायर (मॉडल नं. HFC-588D)
	रेफ्रिजरेटर	एलजी (मॉडल नं. GL-D211HSEZ)

ii. राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है, जो उन व्यक्तियों, संगठनों या परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ऊर्जा दक्षता नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को बढ़ावा देना और उनका उत्सव मनाना है, उन लोगों को मान्यता देते हुए जिन्होंने ऊर्जा खपत को कम करने, सततता को बेहतर बनाने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए नवाचारी समाधान विकसित किए हैं।

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों के विशिष्ट मापदंड और श्रेणियाँ आयोजन करने वाली संस्था या संगठन के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। हालाँकि, सामान्यतः शामिल की जाने वाली श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं -

1. ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी : यह श्रेणी उन प्रगतियों को मान्यता देती है जो ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास या उपयोग में की गई हैं, जैसे अक्षय ऊर्जा प्रणालियाँ, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण समाधान या ऊर्जा दक्ष उपकरण।

2. भवन दक्षता: यह श्रेणी उन परियोजनाओं या पहलों को उजागर करती है जिन्होंने वाणिज्यिक, आवासीय या सार्वजनिक भवनों में असाधारण ऊर्जा दक्षता का प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में नवाचारी डिजाइन रणनीतियाँ, कुशल एचवीएसी प्रणालियाँ, इन्सुलेशन समाधान या टिकाऊ भवन सामग्रियाँ शामिल हो सकती हैं।

3. औद्योगिक दक्षता: यह श्रेणी औद्योगिक प्रक्रियाओं, विनिर्माण या उत्पादन सुविधाओं में ऊर्जा दक्षता सुधारने के उल्लेखनीय प्रयासों को स्वीकार करती है। इस श्रेणी का फोकस प्रायः उन नवाचारी प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों या प्रणालियों पर होता है जो ऊर्जा की बर्बादी को कम करती हैं और औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करती हैं।

4. परिवहन दक्षता: यह श्रेणी उन पहलों को पहचान देती है जिन्होंने परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधारने में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, जैसे विद्युत वाहनों का विकास, कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियाँ या स्मार्ट मोबिलिटी समाधान।

5. ऊर्जा प्रबंधन और नीति: यह श्रेणी उन संगठनों या कार्यक्रमों को सम्मानित करती है जिन्होंने ऊर्जा प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियाँ या नीतिगत उपाय लागू किए हैं, जिससे बड़े स्तर पर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिला है। इस श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण अभियानों, नीतिगत समर्थनों, ऊर्जा ऑडिटिंग कार्यक्रमों, या नवाचारी वित्तीय मॉडलों को शामिल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ सफल कहानियाँ और श्रेष्ठ प्रथाएँ प्रदर्शित की जाती हैं, जिससे अन्य संगठनों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी ऐसे ही उपाय अपनाएँ और अधिक टिकाऊ एवं ऊर्जा दक्ष भविष्य के निर्माण में योगदान दें। विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले संगठनों की सूची निम्नलिखित है -

एन.ई.ई.आई.ए. 2024 के पुरस्कार प्राप्तकर्ता

क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र
उद्योग	शॉट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड -100% ऑक्सीफ्यूल भट्टी		(1) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा रिफाइनरी - बॉयलर फीड वॉटर इंजेक्शन इन एटमॉस्फेरिक वैक्यूम यूनिट प्रीहीट ट्रेन (2) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हजीरा - एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन प्रोजेक्ट
परिवहन	इंटीग्रल कोच फैक्टरी वंदे भारत – स्वदेशी अर्ध-उच्च गति ट्रेन सेट		राजकोट मंडल, पश्चिम रेलवे अंडरगियर लाइट्स के स्वचालन
भवन	डीपीएपी आर्किटेक्ट्सप्रथम सुपर ईसीबीसी भवन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर - प्रीकास्ट बांस प्रबलित कंक्रीट	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फ़ाउंडेशन स्मार्ट कैंपस

iii. ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता

ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता उन्हें कला के माध्यम से अपनी सृजनात्मकता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह मंच युवा कलाकारों को अवसर प्रदान करता है कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और साथ ही ऊर्जा संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करें।

ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता

यह प्रतियोगिता कक्षा 5वीं, 6वीं एवं 7वीं (समूह–क) तथा कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 10वीं (समूह–ख) के विद्यार्थियों के लिए है। प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है कि वे ऐसी चित्रकला या कलाकृतियाँ तैयार करें जो ऊर्जा संरक्षण का संदेश दें, ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत जीवनशैली अपनाने के महत्व को प्रदर्शित करें।

चित्रों के विषय हर वर्ष भिन्न हो सकते हैं, परंतु प्रायः वे निम्नलिखित अवधारणाओं के इर्द-गिर्द होते हैं - जैसे अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियाँ, कार्बन उत्सर्जन में कमी, मिशन लाइफ , प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, या सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना। ये विषय प्रतिभागियों को रचनात्मक सोचने और ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं।

यह प्रतियोगिता ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती है। विजेताओं और फाइनलिस्ट का चयन उनके मौलिक विचारों, रचनात्मकता और ऊर्जा संरक्षण विषय से संबद्धता के आधार पर किया जाता है। विजेता चित्रों को अक्सर ऊर्जा संरक्षण अभियानों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे यह संदेश व्यापक जनसमूह तक पहुँच सके।

ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता न केवल विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है, बल्कि उन्हें ऊर्जा संरक्षण के महत्व से अवगत कराने और इस दिशा में सक्रिय रूप से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रतियोगिता ऐसी पर्यावरण-सचेत पीढ़ी तैयार करने में सहायक है जो अपनी कला और कर्मों के माध्यम से एक सतत भविष्य के निर्माण में योगदान दे सके।

वर्ष 2024 में, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर माननीय विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई।



विभिन्न समूहों के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची इस प्रकार है:

समूह – क

पुरस्कार	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश
प्रथम पुरस्कार	सहज चतुर्भुज रमाणी	हिलवुड्स स्कूल, गांधीनगर	गुजरात
द्वितीय पुरस्कार	श्रीराम प्रसाद अन्कुला	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, गजपति	ओडिशा
तृतीय पुरस्कार	अगन ललित कुमार	सेंट एडवर्ड्स स्कूल, शिमला	हिमाचल प्रदेश

समूह – ख

पुरस्कार	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश
प्रथम पुरस्कार	रितेश गुहा रॉय	भवन्स त्रिपुरा विद्यालय, अगरतला	त्रिपुरा
द्वितीय पुरस्कार	निष्ठा प्रियं शर्मा	गुरुकुल ग्रामर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुवाहाटी	असम
तृतीय पुरस्कार	रुद्रांश जिंदल	सेंट एडवर्ड्स स्कूल, शिमला	हिमाचल प्रदेश

अध्याय – 2

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

2.1 अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

2.2 अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.1 अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

(I) भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

उद्योग एवं डेटा में ऊर्जा दक्षता

भारत और जर्मनी की सरकारों के बीच वर्ष 2019 में हुए सरकार-से-सरकार वार्तालाप के दौरान, स्टील, पल्प एवं पेपर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों या अन्य समान उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने पर सहमति बनी। इस समझौते के अंतर्गत 4.9 मिलियन यूरो तक की तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, बीएमजेड जर्मनी द्वारा "ऊर्जा दक्षता इन इंडस्ट्री एंड डेटा" नामक एक नई परियोजना प्रारंभ की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष (2020-23) निर्धारित की गई थी। इस अवधि के पश्चात परियोजना को दो वर्ष के लिए और बढ़ाया गया, जिसमें 2 मिलियन यूरो की अतिरिक्त निधि प्रदान की गई। इस परियोजना का उद्देश्य द्वितीयक इस्पात एवं कागज उद्योगों को तकनीकी एवं नीतिगत स्तर पर सुदृढ़ बनाना है, जिससे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिल सके।

परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की गईं:

- इंडस्ट्री 4.0 पर दो पायलट परियोजनाएँ सफलतापूर्वक महाराष्ट्र के कोल्हापुर फाउंड्री एवं पुणे फोर्जिंग उद्योगों में लागू की गईं, जिनसे क्रमशः 12% एवं 5% ऊर्जा बचत प्राप्त हुई।
- औद्योगिक ऊर्जा दक्षता पर 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वर्चुअल रियलिटी आधारित डीजिट्विन सिम्युलेटर का उपयोग किया गया। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से 6 राज्यों में 238 उद्योगों के 1190 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।
- एनपीसी चेन्नई में औद्योगिक उपयोगिताओं पर कार्यरत 31 राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के 60 अधिकारियों की क्षमता वृद्धि की गई। इन प्रशिक्षणों से एसडीए की औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की क्षमता और सशक्त हुई।



- ऊर्जा प्रबंधन प्रकोष्ठ (ईएमसी) का गठन 4 एसडीए (उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र) में किया गया ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) में ऊर्जा दक्षता पहलों को प्रोत्साहित किया जा सके। इन ईएमसी द्वारा 25 वॉकथ्रू ऑडिट, लगभग 6 विस्तृत ऊर्जा ऑडिट, 20 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही 4 कार्यान्वयन सहयोग और लगभग 6 निधि उपयोग प्रस्ताव तैयार किए गए।
- आईएसओ 50001 पर 12 क्लस्टरों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।



- 37 बेंचमार्क (रोलिंग–16, फाउंड्री–5, पेपर–16) विकसित कर सिंप्लिफाइड डिजिटल हैंड्स-ऑन इंफॉर्मेशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी (सिद्धी)वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए।
- लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) हेल्पडेस्क को सिद्धी पोर्टल पर एकीकृत किया गया।
- छह ज्ञान उत्पाद तैयार किए गए, जिनमें 12 वीडियो ट्यूटोरियल, एक तकनीकी संकलन, एसएमई हेल्पडेस्क, 37 प्रक्रिया बेंचमार्क, दो सेक्टर अध्ययन और स्टील एवं पेपर पर दो वैश्विक अध्ययन, एक विक्रेता डेटाबेस तथा इंडस्ट्री 4.0 पर एक केस स्टडी शामिल है।
- बीईई-भारत-जर्मन ऊर्जा साझेदारी एसडीए सम्मेलन 2025 का आयोजन फरवरी 2025 में विजयवाड़ा में किया गया। इस कार्यक्रम में 31 एसडीए, बीईई, जीआईजेड विशेषज्ञों एवं विभिन्न संगठनों के परामर्शदाताओं ने भाग लिया।

ऊर्जा दक्ष शीतलन

संघीय आर्थिक मामलों एवं जलवायु कार्रवाई मंत्रालय, जर्मनी के सहयोग से तथा डॉयचे गेसेलशाफ्ट फ्यूर इंटरनेशनल ज़ुसामेनआर्बाइट (जीआईजेड) के साथ साझेदारी में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को डिस्ट्रिक्ट कूलिंग गाइडलाइंस विकसित करने में सहायता प्रदान की जा रही है।

बीईई ने वर्ष 2024–25 के दौरान जीआईजेड के साथ मिलकर ऊर्जा दक्ष शीतलन परियोजना के अंतर्गत, जिला शीतलन प्रणाली (डीसीएस) को एक सतत शहरी समाधान के रूप में बढ़ावा दिया। इस दौरान चेन्नई, अमरावती, मुंबई और स्मार्ट सिटी जैसे पणजी (गोवा) में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग की संभावनाओं का आकलन किया गया। इस परियोजना के तहत विभिन्न नीतिगत संक्षिप्त रिपोर्ट, वित्तीय एवं व्यावसायिक मॉडल तैयार किए गए और 200 से अधिक अधिकारियों को क्षमता-विकास कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।यूएनईपी को इस परियोजना के तहत डीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/डीसी हब स्थापित करने हेतु संलग्न किया गया ताकि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स को बढ़ावा दिया जा सके।

(ii) भारत–यूनाइटेड किंगडम सहयोग

भारत–यूनाइटेड किंगडम संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप) की पाँचवीं बैठक 31 जनवरी 2025 को आयोजित की गई, जिसमें ऊर्जा विकास साझेदारी के अंतर्गत प्रगति और भावी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

इसके अतिरिक्त, चौथा भारत–यूनाइटेड किंगडम वार्षिक मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल तथा यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा सुरक्षा एवं नेट ज़ीरो विभाग के सचिव श्री एड मिलिबैंड ने की। इस संवाद के दौरान "स्मार्ट पावर और नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी (एस्पायर)" कार्यक्रम तथा "एल्युमिनियम रोडमैप कार्यक्रम तथा एल्यूमिनियम रोडमैप पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया।

(iii) भारत–संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग

मई, 2024 में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक के दौरान यूएस–भारत सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता स्तंभ पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा संयुक्त राज्य ऊर्जा विभाग मिलकर सुपर ऊर्जा दक्ष शीतलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। यह पहल एससीईपी के ऊर्जा दक्षता खंड के अंतर्गत होगी।

(IV) भारत–भूटान

मार्च, 2024 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, तथा भूटान सरकार के ऊर्जा विभाग एवं ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच किया गया।

भूटान के एमओईएनआर के एक प्रतिनिधिमंडल ने 1 अगस्त 2024 को बीईई का दौरा किया, जहाँ बीईई ने मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम और प्रस्तावित रोडमैप प्रस्तुत किया। भूटान ने अपने वर्तमान प्रयासों को साझा करते हुए यह रेखांकित किया कि एलईडी लैम्प, रेफ्रिजरेटर और स्टोरेज वॉटर हीटर जैसे प्रमुख उपकरण भारत से बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं।

अगस्त, 2024 में भूटान के ऊर्जा विभाग द्वारा इस रोडमैप को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी गई। बीईई वर्तमान में भूटान को चिन्हित उपकरणों के लिए मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम विकसित करने तथा आयातित उपकरणों के लेबलों के सत्यापन हेतु सहायता प्रदान कर रहा है।

2.2 अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

(I) स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय मंच (सीईएम)

स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय मंच (सीईएम) की स्थापना वर्ष 2009 में एक उच्च-स्तरीय वैश्विक मंच के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के विकास को बढ़ावा देना है जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और समाधान को आगे बढ़ाएँ, सीखे गए अनुभवों और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करें, तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को सुगम बनाएँ। यह मंच अपने वार्षिक ऊर्जा मंत्रियों की मंत्रिस्तरीय बैठक तथा वर्ष भर चलने वाले तकनीकी कार्यों, अभियानों और पहलों के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त करता है, जिनका नेतृत्व और भागीदारी सदस्य देशों की सरकारें करती हैं। इस मंच के समन्वय के लिए बहुपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय सचिवालय (सीईएम सचिवालय) उत्तरदायी है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अंतर्गत कार्यरत है। भारत इस मंच का सह-अध्यक्ष और स्टीयरिंग समिति का सदस्य है।

भारत इस मंच का संस्थापक सदस्य है और 2009 से ही इसका सक्रिय हिस्सा रहा है। पहली मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष 2010 में आयोजित हुई थी। भारत ने वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाहियों में अग्रणी भूमिका निभाई है और इस मंच की वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेज़बानी दो बार की है - वर्ष 2013 में (चौथी स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक – सीईएम-4) तथा वर्ष 2023 में (सीईएम-14)।

भारत ने वर्ष 2024 में सी-ई-एम-15 / एमआई-9 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान दो नए कार्यक्षेत्र प्रारंभ किए, जो फ़ोज़ दो इगुआसु, ब्राज़ील में आयोजित हुई थी।

1. सतत जीवनशैली और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता

2. "जीटी बाय 2030" अभियान: कार्बन प्रबंधन समाधानों के विस्तार हेतु एकीकृत प्रयास





भारत ने घोषणा की है कि वह सी-ई-एम सचिवालय के चतुर्थ चरण (जुलाई 2025 – जून 2028) हेतु अपनी स्वैच्छिक आर्थिक सहायता जारी रखेगा, जो 3,00,000 यूरो (अर्थात् प्रति वर्ष 1,00,000 यूरो) के बराबर है।

(ii) अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1973-74 के तेल संकट के प्रत्युत्तर में की गई थी। यह संकट ओपेक द्वारा अमेरिका पर लगाए गए प्रतिबंध का परिणाम था, जो अरब-इज़राइल युद्ध के दौरान अमेरिका के इस्राइल समर्थक निर्णय के प्रतिशोध में लगाया गया था।

भारत की आई-ई-ए सदस्यता से संबंधित आगामी कदमों पर विचार करने हेतु मार्च, 2024 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया। इस समिति के सह-अध्यक्ष सचिव (पीएनजी) एवं सचिव (पावर) हैं, जबकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक समिति के संयोजक हैं।

आईएमसी की पहली बैठक 26 और 30 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई, जिसमें स्कोपिंग रिव्यू प्रश्नावली को भरकर आईईए को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन दिया गया। तत्पश्चात आईईए का इन-कंट्री मिशन 9 से 11 सितम्बर 2024 तक भारत आया, जहाँ वर्तमान विधायन की समीक्षा करते हुए, आवश्यकताओं एवं प्रस्तावित रोडमैप का मूल्यांकन किया गया।

इन आवश्यकताओं के अनुरूप आई-एम-सी की दूसरी बैठक 19 सितम्बर, 2024 को आयोजित की गई। तेल भंडारण और आयात/निर्यात संबंधित आँकड़ों के साझा उपयोग पर चर्चा के लिए डेटा वर्किंग ग्रुप (डीडब्ल्यूजी) का गठन मोपीएनजी और आईईए के बीच किया गया है।

(iii) ऊर्जा दक्षता हब

भारत ने जनवरी, 2025 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में सदस्यता ग्रहण की। यह एक वैश्विक मंच है जो सहयोग को बढ़ावा देने और विश्व-भर में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। इस पहल ने सतत विकास और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और सशक्त किया है।

वर्ष 2020 में इस हब की स्थापना अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सहयोग भागीदारी (आईपीईईसी) के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी, जिसमें भारत पूर्व सदस्य रहा है। यह हब सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को जोड़ता है ताकि वे ज्ञान, श्रेष्ठ प्रथाएँ और नवीन समाधान साझा कर सकें। इस हब से जुड़ने के बाद भारत को विशेषज्ञों और संसाधनों के विशाल नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त हुई है, जिससे उसे अपनी घरेलू ऊर्जा दक्षता पहलों को और सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।वर्तमान में कुल 16 देश - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लक्ज़मबर्ग, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम - इस हब के सदस्य हैं। भारत इसका 17वाँ सदस्य बना है।

इस हब के अंतर्गत चार प्रमुख टास्क ग्रुप कार्यरत हैं:

I. डिजिटलीकरण कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी)

ii. भवनों में ऊर्जा दक्षता (ईईबी)

iii. ऊर्जा प्रबंधन कार्रवाई नेटवर्क (ईएमएके)

iv. अत्यधिक दक्ष उपकरण एवं उपकरण परिनियोजन (एसईएडी)

अध्याय – 3
ब्यूरो के लेखे

3.1 पूंजी संरचना

3.2 वित्तीय परिणाम का सारांश

3.3 ब्यूरो के कार्यों को सुदृढ़ बनाने हेतु उठाए गए कदम

3.4 पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट

3.5 पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर

3.6 वार्षिक लेखा विवरण

3.1 पूंजी संरचना

विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु. 50 करोड़ की समग्र निधि का उपयोग ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण कोष की स्थापना हेतु किया गया है। इस रु. 50 करोड़ की समग्र निधि को गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन के साथ सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय तथा गैर-संचयी प्रतिदेय सावधि जमा के रूप में राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में निवेशित किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस निवेश पर रु. 3.83 करोड़ की ब्याज राशि अर्जित हुई, जिसका उपयोग ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय को वहन करने में किया जा रहा है। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कोई नया धन नहीं प्रदान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की समग्र निधि के संवर्धन हेतु विद्युत मंत्रालय से रु. 45.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई। इस राशि को भी वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में निवेशित किया गया, जिससे रु. 3.28 करोड़ की ब्याज राशि प्राप्त हुई। इन समस्त जोड़ के पश्चात 31.03.2025 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की समग्र निधि की कुल राशि रु. 95.00 करोड़ हो गई है।

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्त वर्ष 2024-25 में ब्यूरो द्वारा रु. 382.97 लाख की ब्याज राशि रु. 50 करोड़ की समग्र निधि के सावधि निवेश से अर्जित हुई, तथा रु. 45.00 करोड़ की अतिरिक्त समग्र निधि पर राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में निवेश से रु. 328.22 लाख की ब्याज राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, 24वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (ऊर्जा प्रबंधक एवं ऊर्जा लेखा परीक्षक) हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क के रूप में रु. 389.24 लाख तथा ऊर्जा लेखा मान्यता से रु. 6.05 लाख की आय ब्यूरो को प्राप्त हुई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय, अनावर्ती व्यय एवं परियोजना व्यय क्रमशः रु. 1,195.70 लाख, रु. 185.34 लाख, रु. 20.84 लाख तथा रु. 0.45 लाख रहे। इसके अतिरिक्त, 24वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (ऊर्जा प्रबंधक एवं ऊर्जा लेखा परीक्षक) के आयोजन पर रु. 259.37 लाख का व्यय किया गया। व्यय पर आय की 121.50 लाख की अधिकता राशि पिछले वर्ष की अधिकता आय से स्थानांतरित की गई है।

3.3 ब्यूरो के कार्यों को सुदृढ़ बनाने हेतु उठाए गए कदम

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्य निष्पादन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2024-25 में दो लेखाकारों की नियुक्ति क्रमशः 31.01.2025 एवं 06.02.2025 से प्रभावी रूप से की गई।

3.4 दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. तुलन–पत्र

क.1 ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची–1): ₹97,164.23 लाख

मानक एवं लेबलिंग शुल्क: ₹80,532.55 लाख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार, लेबलिंग शुल्क संकलित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, "वार्षिक लेखों और अभिलेखों का विवरण" नियमावली, 2007 के अनुसार ब्यूरो को इस आय को देयता-आधार (आक्यूअल) पद्धति से मान्य करना अपेक्षित है।

हालाँकि, परीक्षण में यह पाया गया कि वर्ष 2024-25 के लिए मानक और लेबलिंग शुल्क से प्राप्त आय 14,192.20 लाख रुपये थी, जबकि ब्यूरो ने केवल 11,831.14 लाख रुपये ही दर्शाए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष में प्राप्त मानक और लेबलिंग शुल्क में 6,235.14 लाख रुपये पूर्व वर्षों से संबंधित थे, जिन्हें पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।

इससे अनुसूची-1 में दर्शाई गई मानक एवं लेबलिंग शुल्क आय 3,874.08 लाख रुपये अधिक प्रदर्शित हुई है। साथ ही, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों (अनुसूची-11) में 2,361.06 लाख रुपये की कमी तथा पूर्व अवधि की आय में 6,235.14 लाख रुपये की कमी प्रदर्शित हुई है।

क.2 आरक्षित निधि और बचत (अनुसूची–2): शून्य

निर्धारित/दान निधि (अनुसूची–3): ₹11,601.89 लाख

(i) कार्यालय परिसर के क्रय पर व्यय किए गए 11,045.46 लाख रुपये को गलती से "मानक एवं अंकन कार्यक्रम" के अंतर्गत चिन्हित/दान निधि (अनुसूची-3) में दर्शाया गया है, जबकि इसे पूँजी आरक्षित निधि (अनुसूची–2) के माध्यम से ले जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय सामान्य प्रकृति का है और किसी विशेष योजना से संबंधित नहीं है।

(ii) अनुदान–रूप में प्राप्त स्थायी संपत्तियाँ, जिनका मूल्य 216.51 लाख रुपये है, को अनुसूची–8 में मूल्यह्रास 167.92 लाख रुपये के साथ दर्शाया गया है। ब्यूरो ने इन संपत्तियों के लिए कोई पूँजी आरक्षित निधि नहीं बनाई है और न ही अपनी लेखा नीति के अनुसार संबंधित कटौती दर्शाई है। (अनुसूची – 2)

उपरोक्त कारणों से निर्धारित /दान निधि तथा पूँजी आरक्षित निधि - दोनों में - 11,094.05 लाख रुपये की अधिक–दर्शाविटी हुई है।

क.3 निर्धारित/दान निधि (अनुसूची-3): ₹11,601.89 लाख

वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹1,02,195.33 लाख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जून 2024 में 216 लाख रुपये "राज्य नामित एजेंसियों" को परीक्षण उपकरण खरीदने हेतु "मानक और लेबलिंग कार्यक्रम" के अंतर्गत दिए। परीक्षण-प्रमाण (प्रयोगिता प्रमाण) मात्र 55.42 लाख रुपये के ही प्राप्त हुए। शेष राशि के प्रमाण न प्राप्त होने पर भी ब्यूरो ने पूरे 216 लाख रुपये को व्यय के रूप में दर्शा दिया, जबकि केवल 55.42 लाख रुपये को व्यय के रूप में और 160.58 लाख रुपये को "प्रमाण प्राप्त होने तक अग्रिम" के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

इससे "मानक और अंकन कार्यक्रम" के अंतर्गत उपलब्ध निधियों तथा चिन्हित/दान निधि (अनुसूची-3) और अन्य अग्रिम तथा प्राप्य-राशियों - वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11) - दोनों में 160.58 लाख रुपये की कम-दर्शाविटी हुई है।

क.4 निर्धारित /दान निधि (अनुसूची-3): ₹11,601.89 लाख

वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹1,02,195.33 लाख

संभावित देयताएँ तथा लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची-26)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 31 मार्च 2025 तक राज्य नामित एजेंसियों को 29,751.73 लाख रुपये जारी किए थे। परंतु उपयोग-प्रमाण के रूप में केवल 25,852.19 लाख रुपये (कुल राशि का 86.89 प्रतिशत) ही प्राप्त हुए। उपयोग-प्रमाण लंबित होने के बावजूद, पूरे व्यय को निर्धारित/दान निधि (अनुसूची-3) के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शा दिया गया, जिससे निर्धारित/दान निधि तथा वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि - दोनों में -3,899.54 लाख रुपये की कम-दर्शाविटी हुई है।

उपरोक्त 3,899.54 लाख रुपये की उपयोग-प्रमाण प्राप्त न होने की तथ्यपरक जानकारी "लेखों पर टिप्पणियाँ" (अनुसूची-26) में भी नहीं दर्शाई गई है, जो स्वयं भी उचित प्रकटीकरण में कमी है।

क.5 निर्धारित /दान निधि से प्राप्त निवेश (अनुसूची-9): ₹9,500.00 लाख

वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹1,02,195.33 लाख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के "वार्षिक लेखों और अभिलेखों के विवरण" नियम, 2007 के अनुसार, निर्धारित/दान निधि से प्राप्त सभी निवेशों को "निर्धारित/दान निधि से प्राप्त निवेश" (अनुसूची-11) में दर्शाया जाना आवश्यक है। किन्तु मानक और लेबलिंग शुल्क से प्राप्त 67,553.61 लाख रुपये को गलती से वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11) के अंतर्गत दर्शा दिया गया है।

इससे "निर्धारित/दान निधि से प्राप्त निवेश" (अनुसूची-9) में कम-दर्शाविटी और "वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि" (अनुसूची-11) में समान राशि की अधिक-दर्शाविटी हुई है।

ख. आय और व्यय लेखा

ख.1 अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची–21): ₹259.81 लाख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आत्म-चित्र (सेल्फी) बिंदुओं की स्थापना पर 62.54 लाख रुपये तथा स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय आयोजन पर 294.71 लाख रुपये व्यय किए। इन राशियों को "मानक और लेबलिंग कार्यक्रम" के अंतर्गत निर्धारित/दान निधि (अनुसूची–3) में दर्शाया गया, जबकि ये व्यय सामान्य प्रकृति के थे और किसी विशेष योजना से संबंधित नहीं थे। अतः इन्हें "अन्य व्यय (परियोजना व्यय)" (अनुसूची–21) के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप "अन्य व्यय" (अनुसूची–21) तथा "निर्धारित/दान निधि" (अनुसूची–3) - दोनों में - 357.25 लाख रुपये की कम–दर्शाविटी, तथा "आय अधिक और व्यय कम" के विवरण में 357.25 लाख रुपये की अधिक–राशि दर्शाई गई है।

ख.2 अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची–21): ₹259.81 लाख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपनी वार्षिक स्वैच्छिक अंशदान राशि के रूप में 91.29 लाख रुपये, मानक और लेबलिंग शुल्क से, जून–जून की अवधि के लिए दिए। इनमें से 68.47 लाख रुपये वर्ष 2024–25 से और 22.82 लाख रुपये वर्ष 2025–26 से संबंधित हैं। चूँकि यह अंशदान किसी विशेष योजना से संबंधित नहीं है, अतः इसे आय और व्यय लेखा में ही दर्शाया जाना चाहिए था।

इससे "अन्य व्यय" 68.47 लाख रुपये कम दर्शाए गए तथा 22.82 लाख रुपये की अग्रिम-व्यय राशि बढ़ा–चढ़ाकर दिखाई गई। इसके अतिरिक्त "आय अधिक और व्यय कम" विवरण में 68.47 लाख रुपये की अधिक- दर्शाई गई तथा "ऊर्जा संरक्षण निधि" में 91.29 लाख रुपये की अधिक दर्शाई गई है।

ख.3 अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची–21): ₹259.81 लाख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को "प्रबंधन सलाहकार समिति" से यह स्वीकृति प्राप्त हुई थी कि "मानक तथा लेबलिंग शुल्क" से स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (जुलाई 2023) हेतु व्यय किया जा सकता है। यद्यपि यह व्यय सीमा पूर्व स्वीकृति के अनुसार पूर्ण रूप से उपयोग की जा चुकी थी, फिर भी "राज्य नामित एजेंसी, गोवा" द्वारा जून 2024 में आयोजित "सी.ई.एम.-14/एम.आई.-8" कार्यक्रम हेतु प्राप्त 50.39 लाख रुपये के दावे को ब्यूरो ने "जन-जागरूकता अभियान योजना" के अंतर्गत दर्शाया। समिति की नई स्वीकृति प्राप्त किए बिना इन व्ययों को "अन्य व्यय (परियोजना व्यय)" (अनुसूची–21) में दर्शाया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, इस सम्मेलन से संबंधित व्यय का 60 प्रतिशत भार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पर तथा 40 प्रतिशत भार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर होना था। परंतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने सम्पूर्ण व्यय को अपनी लेख–पुस्तकों में ही दर्शा दिया।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप

अन्य व्यय (परियोजना व्यय)" (अनुसूची-21) में 30.23 लाख रुपये की कम-दर्शाविटी, वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि" (अनुसूची-11) में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त होने योग्य 20.16 लाख रुपये की कम-दर्शाइ गई है तथा "निर्धारित/दान निधि" (अनुसूची-3) में 50.39 लाख रुपये की कम-दर्शाइ गई है।

ग. लेखांकन नीतियाँ

संभावित देयताएँ तथा लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची-26)

(i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा नीति संख्या 4, 5 तथा 6 में, स्थायी परिसंपत्तियों, मूल्यहास तथा अनुदान एवं राजस्व से संबंधित परिवर्तन किए गए। परंतु इन परिवर्तनों के कारण प्राप्त होने योग्य राशियों तथा आय की 5,090.94 लाख रुपये की राशि का समुचित प्रकटीकरण नहीं किया गया।

अतः लेखों पर टिप्पणियाँ इस स्तर पर अपूर्ण हैं।

(ii) विधिक तथा मध्यस्थता मामलों के विवरण के अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विरुद्ध तीन प्रकरण लंबित हैं। इनमें से दो प्रकरण कार्यादेशों से उत्पन्न बकाया राशि की वसूली सम्बंधित हैं, जिनकी राशि क्रमशः 12.13 लाख रुपये तथा 68.99 लाख रुपये है। तीसरा प्रकरण 15 माह से अधिक अवधि से कर्मचारी को अवैतनिक अनुग्रह-भत्ता (ग्रेच्युटी) का है। इसके अतिरिक्त, अनुग्रह-भत्ता अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान न किए जाने के 40 समान प्रकरण और भी हैं, जिनमें न तो कोई प्रावधान किया गया है और न ही इन संभावित देयताओं को वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

इन संभावित देयताओं का अप्रकटीकरण वित्तीय विवरणों को लेखा मानक संख्या 29 के अनुरूप नहीं बनाता।

घ. सामान्य

शून्य

ङ. प्रबंधन पत्र

जो कमियाँ पृथक परीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं थीं, वे प्रबंधन के संज्ञान में एक पृथक "प्रबंधन पत्र" के माध्यम से लाई गई हैं ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाई की जा सके।

च. आंतरिक नियंत्रक व्यवस्था का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रक व्यवस्था की उपयुक्तता

आंतरिक नियंत्रक व्यवस्था का स्तर, लेन-देन की मात्रा और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है। तथापि, परीक्षण टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की उपयुक्तता

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का आंतरिक लेखा परीक्षण विद्युत मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, वर्ष 2024–25 के लिए यह आंतरिक परीक्षण प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा नहीं किया गया।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों एवं भंडार की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों एवं उपभोग्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाना आवश्यक है। किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका तत्काल परीक्षण तथा लेखा–दर्शांकन आवश्यक है। परन्तु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया।

(iv) विधिक देयताओं का नियमित भुगतान

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है।

(v) अन्य विषय

(क) लेखा–सर्वर (टैली) का पर्याप्त बैक–अप उपलब्ध न होना

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लेखा–सर्वर के अभिलेख–अनुसरण (ट्रेल–लॉग) सुविधा को सक्षम नहीं किया गया। साथ ही, लेखा–सर्वर उसी कार्य–स्थल पर स्थित है और किसी वैकल्पिक स्थान पर इसका अतिरिक्त बैक–अप उपलब्ध नहीं है, जिससे किसी आकस्मिक घटना की स्थिति में आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती। यह ब्यूरो की वित्तीय आंकड़ों से संबंधित आंतरिक नियंत्रक प्रणाली में कमजोरी को दर्शाता है।

(ख) राज्य नामांकित एजेंसियों को जारी निधियों पर नियंत्रक की कमजोरी

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो राज्य नामित एजेंसियों द्वारा निधियों को स्वयं के बैंक खातों में रखे जाने (पार्किंग) को रोकने में सक्षम नहीं रहा है।

च. अनुदान–सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 7,095.32 लाख रुपये (जिसमें 6,947.41 लाख रुपये वर्ष में प्राप्त राशि तथा राज्यों से प्राप्त ब्याज/अप्रयुक्त अनुदान 147.91 लाख रुपये सम्मिलित हैं) में से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 6,943.58 लाख रुपये व्यय किए तथा 121.86 लाख रुपये वापस कर दिए। 31 मार्च 2025 को अप्रयुक्त शेष राशि 29.88 लाख रुपये है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह०/-
प्रमोद कुमार
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (ऊर्जा)

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 24/11/2025

3.5 पृथक लेखा रिपोर्ट का प्रत्युत्तर, पत्र संख्या– डीजीए (ऊर्जा)/ प्रतिवेदन/ 01-136/अकाउंट्स–बी.ई.ई/2025-26/खंड-II/562 दिनांक 24-11-2025, के संदर्भ में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों पर।

पैरा 1.1 ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची-1): ₹97,164.23 लाख
मानक एवं लेबलिंग शुल्क: ₹80,532.55 लाख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार लेबलिंग शुल्क एकत्र किया जाता रहा है। आगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेखों के रूप–प्रारूप) नियम 2007 के अनुसार, ब्यूरो को इस आय को उपार्जन-आधार पर मानना आवश्यक है।

हालाँकि, लेखा परीक्षण ने यह देखा कि वर्ष 2024-25 के लिए मानक एवं लेबलिंग शुल्क से प्राप्त आय ₹14,192.20 लाख थी, जिसमें से ब्यूरो ने केवल ₹11,831.14 लाख की ही मान्यता दी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान प्राप्त मानक एवं लेबलिंग शुल्क में ₹6,235.14 लाख पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे, जिन्हें पूर्व अवधि की आय के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था।

इससे अनुसूची-1 के अंतर्गत मानक एवं लेबलिंग शुल्क से प्राप्त आय में ₹3,874.08 लाख की अधिकता प्रदर्शित हो गई है तथा वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों (अनुसूची-11) में ₹2,361.06 लाख की कमी और पूर्व अवधि आय में ₹6,235.14 लाख की कमी प्रदर्शित हो गई है।

पैरा 1.1 का प्रत्युत्तर:

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) शुल्क के रूप में मानते हुए संबंधित लेखा परीक्षण टिप्पणी का परीक्षण किया है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है:

एस एंड एल शुल्क का लेखांकन निम्नलिखित आधार पर किया जा रहा है

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण एवं अभिलेखों के रूप-प्रारूप) नियम, 2007 (भारत सरकार द्वारा महालेखाकार एवं नियंत्रक के परामर्श से अधिसूचित)के टिप्पणी 8के अनुसार: "आय की स्वीकृति तब तक नहीं की जाएगी जब तक (क) संबंधित कार्य निष्पादित न हो जाए, (ख) प्रतिफल की राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो, और (ग) प्रतिफल की प्राप्ति एवं अंतिम वसूली की यथोचित संभावना न हो।"
- इस सिद्धांत के अनुपालन में एवं महालेखाकार एवं नियंत्रक के परामर्श से, ब्यूरो ने यह प्रक्रिया अपनाई है कि एस एंड एल शुल्क से संबंधित आय की स्वीकृति केवल उसी समय की जाती है जब उत्पादन आँकड़ों तथा देयता का प्रलेखित प्रमाणीकरण कार्यरत अधिकृत लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा उपलब्ध हो, जिससे वसूली की यथोचित निश्चितता सुनिश्चित होती है।

- तदनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 के लेखों में प्रदर्शित राशियाँ उन देय राशियों पर आधारित हैं जो अधिकृत लेखाकार प्रमाणपत्र तथा पुष्टि-प्राप्त वसूली से समर्थित हैं। यह सावधानी सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा अधिक-प्रदर्शन को रोकता है।

(i) लेखा परीक्षण ने ध्यान दिलाया है कि पोर्टल आँकड़ों के आधार पर देय राशियाँ ₹14,192.20 लाख थीं, जबकि स्वीकृत केवल ₹11,831.14 लाख की की गई, और ₹2,361.06 लाख की स्वीकृति नहीं हुई। इस संबंध में निम्न प्रस्तुत है:

- यह अंतर इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि एस एंड एल पोर्टल एक गतिशील प्रणाली है तथा प्रबंध परिषद द्वारा लेखों की स्वीकृति (26.06.2025) के बाद भी आँकड़ों में समय-समय पर अद्यतन होते रहते हैं। लेखा परीक्षण के निर्देश पर तैयार कुछ रिपोर्टें, लेखों के अंतिम रूप प्राप्त होने के बाद, उच्चतर आँकड़े दर्शाती थीं।
- सावधानी सिद्धांत के अनुसार, ब्यूरो ने केवल वही देय राशियाँ लेखाबद्ध कीं जो अधिवृत्त लेखाकार के प्रमाणन एवं रिपोर्टिंग तिथि पर पुष्टि-प्राप्त देयता से समर्थित थीं।
- तत्पश्चात, ₹5,090.94 लाख की संपूर्ण देय राशि वित्त वर्ष 2025–26 में वसूल कर ली गई, और इस प्रकार कोई भी शेष राशि लंबित नहीं रही।

(ii) लेखा परीक्षण ने यह भी उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2024–25 में प्राप्त एस एंड एल शुल्क में ₹6,235.14 लाख पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं। इस संबंध में निम्न प्रस्तुत है:

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेखा नियम, 2007 की टिप्पणी 9 के अनुसार, पूर्व अवधि मदें वे होती हैं जो पिछली अवधियों के वित्तीय विवरणों की तैयारी में "त्रुटियों या चूक" के कारण उत्पन्न होती हैं।
- इस मामले में, शुल्क किसी त्रुटि के कारण पूर्व में प्रदर्शित नहीं हुए थे, बल्कि उत्पादन एवं देयता के बाद में प्राप्त प्रमाणन के आधार पर वित्त वर्ष 2024–25 में वसूल हुए। अतः ये नियमों के अनुसार "पूर्व अवधि मदें" की श्रेणी में नहीं आते।
- तथापि, पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2025–26 से ब्यूरो अनुसूची-26 में एक पृथक प्रकटीकरण करेगा, जिसमें पूर्व अवधियों से संबंधित शुल्क-प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया जाएगा।

पैरा 1.2 आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची–2): शून्य

नामित / एंडोमेंट निधियाँ (अनुसूची–3): ₹ 11,601.89 लाख

(i) कार्यालय स्थान की खरीद के लिए खर्च की गई 11,045.46 लाख रुपये की राशि को गलत तरीके से निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची-3) में "मानक और लेबलिंग कार्यक्रम" के तहत दर्ज किया गया है, जबकि इसे "आरक्षित और अधिशेष" (अनुसूची 2) के तहत पूंजी आरक्षित के माध्यम से दर्ज किया गया है, क्योंकि यह व्यय सामान्य है और योजना-विशिष्ट नहीं है।

पैरा ए.2 का उत्तर

प्रशासन परिषद द्वारा अपनी 12वीं बैठक, दिनांक 19 अप्रैल, 2024 में, तथा प्रबंधन सलाहकार समिति द्वारा अपनी 24वीं बैठक, दिनांक 01 मई, 2023 में, व्यापक विचार–विमर्श के उपरांत एनबीसीसी से कार्यालय परिसर क्रय करने एवं आंतरिक साज-सज्जा हेतु अनुमानित ₹136.2 करोड़ (± 2–3%) की लागत पर, 23,000 वर्ग फुट (± 10% क्षेत्र) कारपेट क्षेत्रफल के लिए, संचयित मानक एवं लेबलिंग शुल्क का उपयोग करते हुए, अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यालय भवन से संबंधित प्रगतिशील भुगतानों का लेखांकन मानक एवं लेबलिंग योजना के अंतर्गत किया गया है। चूँकि संपत्ति का कब्ज़ा एवं स्वामित्व वर्तमान लेखा वर्ष में प्राप्त होने की अपेक्षा है, अतः भवन का पूँजीकरण भी इसी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। ब्यूरो द्वारा यह प्रकटीकरण किया गया है कि एनबीसीसी द्वारा विकसित कार्यालय परिसर हेतु ₹11,045.46 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा अंतिम देयता का निर्धारण, कब्ज़ा प्राप्त होने एवं समायोजन पूर्ण होने पर, वित्त वर्ष 2025–26 में किया जाएगा।

पैरा ए.2 (ii)

अनुदान-स्वरूप प्राप्त ₹216.51 लाख मूल्य की अचल संपत्तियों को अनुसूची-8 के अंतर्गत ₹167.92 लाख के मूल्यह्रास के साथ दर्शाया गया है। बीईई ने इन संपत्तियों के लिए न तो कोई पूंजी आरक्षित निधि (अनुसूची-2) बनाई है और न ही अपनी लेखा नीति का पालन न करते हुए उसमें कोई कमी दर्शाई है।

इससे विशेष प्रयोजन निधि तथा दान निधि की राशि ₹11,094.05 लाख अधिक और पूँजी आरक्षित निधि उतनी ही राशि कम दर्शाई गई है।

पैरा 1.2 (ii) का प्रत्युत्तर :

लेखा-परीक्षण ने अनुदान-स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए पूँजी आरक्षित निधि न बनाए जाने की ओर संकेत किया है। इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत है :

- लेखा-नीति के बिंदु 4(ग) और 4(घ) के अनुसार केवल वे अनुदान, जो पूर्णतः गैर-मौद्रिक रूप में प्राप्त होते हैं, अथवा बिना किसी धनराशि के प्रतिफल के मिलते हैं, उनके लिए ही पूँजी आरक्षित निधि में समायोजन आवश्यक होता है।
- अनुसूची–8 में दर्शाई गई परिसंपत्तियाँ योजनाओं से संबद्ध हैं, जैसे - पीड्साइ, यूनिडो, मानक एवं लेबलिंग योजना - जिनके अनुदान-व्यय का विवरण पहले ही अनुसूची–3 में दर्शाया जा चुका है।
- स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य दो भागों में दर्शाया जाता है - ब्यूरो की परिसंपत्तियाँ तथा अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियाँ। अवमूल्यन का प्रभाव विधिवत अनुदान शीर्षक के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

- ये परिसंपत्तियाँ अनुदान-स्वरूप प्राप्त नहीं हुई हैं

बल्कि अनुदान की धनराशि से खरीदी गई हैं, अतः इनका वर्गीकरण अनुदान-स्वरूप प्राप्त परिसंपत्ति के रूप में नहीं होता।

पैरा 1.3 ईयरमार्क्ड/एंडोमेंट फंड्स (अनुसूची-3): ₹11,601.89 लाख

करेंट एसेट्स, लोन, एडवांसेज़ आदि (अनुसूची-11): ₹1,02,195.33 लाख

बी ई ई द्वारा (जून 2024) ₹216 लाख राज्य नामित एजेंसियों को स्टैण्डर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत चेक-टेस्टिंग उपकरण खरीदने हेतु जारी किए गए। तथापि, उपयोगिता प्रमाणपत्र मात्र ₹55.42 लाख के ही प्राप्त हुए। पूर्ण राशि के यूसी प्राप्त न होने के बावजूद, बी ई ई ने पूरे ₹216 लाख को व्यय के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि नियमों के अनुसार केवल ₹55.42 लाख ही व्यय दिखाया जाना चाहिए था, और शेष ₹160.58 लाख को यूसी प्राप्त होने तक एसडीए के प्रति अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।

इससे स्टैण्डर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों (अनुसूची-3) में ₹160.58 लाख की कमी (कम दर्शाना) और अन्य अग्रिम एवं प्राप्य – करंट एसेट्स, लोन एवं एडवांसेज़ (अनुसूची-11) में ₹160.58 लाख की कमी दर्शाने की स्थिति उत्पन्न हुई।

पैरा 1.3 का प्रत्युत्तर :

अनुदानों के अंतर्गत व्यय का लेखा-जोखा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, उपधारा 7(घ) (अनुसूची-25) के अनुसार किया जाता है, जिसमें उल्लेख है कि:

"विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न योजनाओं के अनुदानों के विरुद्ध हुए व्यय का लेखा उस वर्ष किया जाता है, जिसमें अनुदान जारी किया गया हो।"

उपरोक्त नीति के अनुरूप, जून 2024 में विभिन्न राज्यों की नामित एजेंसियों (एसडीए) को जारी ₹216 लाख की कुल राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना व्यय के रूप में दर्शाया गया है। यह लेखांकन पद्धति बी ई ई की पुस्तकों में स्थापना से लेकर अब तक सभी योजना-संबंधी निर्गमों पर नियमित रूप से अपनाई जाती रही है तथा पूर्व ऑडिटों में भी स्वीकार की गई है।

साथ ही, सम्मानपूर्वक निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है:

- बी ई ई एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एसडीए को धनराशि जारी करता है। एक बार धनराशि जारी होने के पश्चात्, बी ई ई उनके व्यय पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक या परिचालन नियंत्रण नहीं रखता।

- तथापि, बी ई ई एसडीए द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसीएस) व अन्य सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु सक्रिय अनुवर्ती प्रणाली का पालन करता है। ₹216 लाख की जारी राशि में से ₹120 लाख के यूसीएस प्राप्त हो चुके हैं तथा शेष के लिए कार्रवाई जारी है।

अतः, अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया उल्लिखित नीति के अनुरूप है तथा प्रचलित प्रथा के अनुसार ही है।

पैरा 1.4 – निर्दिष्ट/निधिकृत कोष (अनुसूची–3): ₹11,601.89 लाख

वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11): ₹1,02,195.33 लाख

संभाव्य दायित्व तथा लेखा टिप्पणियाँ (अनुसूची–26)

बी ई ई द्वारा 31.03.2025 तक राज्य नामित अभिकरणों को ₹29,751.73 लाख की राशि जारी की गई, परन्तु उपयोगिता प्रमाणपत्र केवल ₹25,852.19 लाख (86.89 प्रतिशत) की राशि के लिए ही प्राप्त हुए। उपयोगिता प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से प्राप्त न होने के बावजूद, संपूर्ण राशि को अनुसूची–3 के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया, जबकि वास्तव में केवल ₹25,852.19 लाख को ही व्यय माना जाना चाहिए था। इस प्रकार ₹3,899.54 लाख की राशि को व्यय के रूप में अधिक दर्शाया गया है तथा इसी राशि से निर्दिष्ट/निधिकृत कोष तथा वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि (अनुसूची–11) कम प्रदर्शित हुए हैं।

उक्त ₹3,899.54 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने का उल्लेख 'लेखा टिप्पणियाँ (अनुसूची–26) में भी नहीं किया गया है, जिसके कारण यह टिप्पणी भी उतनी ही मात्रा में अपूर्ण पाई गई है।

पैरा 1.4 का प्रत्युत्तर :

अनुदानों के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय का लेखा-जोखा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के उपबन्ध 7(घ) तथा अनुसूची 25 के आधार पर किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख है :

"भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में किया गया व्यय उसी वर्ष के लेखों में दर्ज किया जाएगा, जिसमें अनुदान जारी की गई हो।"

अनुसूची 25 (महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ) के अनुसार, बी ई ई द्वारा राज्य नामित अभिकरणों (एस.डी.ए.) को प्रदान की गई अनुदान-राशि को अनुदान जारी होने वाले वर्ष में ही व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। यह प्रक्रिया सभी योजनाओं में निरंतर रूप से अपनाई जाती है ताकि बजटीय आवंटनों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित हो सके।

यह स्वीकार किया जाता है कि ₹29,751.73 लाख में से ₹25,852.19 लाख (87 प्रतिशत) के प्रयोग प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्राप्त हो चुके हैं, जबकि शेष यू.सी. लंबित हैं। बी ई ई द्वारा शेष लंबित यू.सी. की प्राप्ति

हेतु निरंतर पत्राचार, समीक्षा बैठकों तथा अनुस्मारकों के माध्यम से अनुवर्ती प्रयास किए जा रहे हैं।

आगे निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है :

- वार्षिक प्रतिवेदन : सभी एस.डी.ए. को वित्तीय तथा प्रत्यक्ष प्रगति से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन बी ई ई को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रभाव मूल्यांकन : एस.डी.ए., बी ई ई की सहायता से, प्रत्येक तीन वर्ष में परियोजनाओं के परिणाम एवं ऊर्जा-संचयन का मूल्यांकन करते हैं।
- मासिक प्रगति : एस.डी.ए. प्रत्येक माह वित्तीय तथा प्रत्यक्ष प्रगति की सूचनाएँ प्रस्तुत करते हैं, जिससे बी ई ई विद्युत मंत्रालय हेतु समेकित प्रतिवेदन तैयार कर सके।

ये सभी प्रक्रियाएँ अतिरिक्त नियंत्रण-स्तर के रूप में कार्य करती हैं तथा प्रयोग प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ अनुदान उपयोग की निगरानी में बी ई ई की सहायता करती हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बी ई ई द्वारा निम्नलिखित पहलें पहले से ही की जा चुकी हैं :

- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें : वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित, जिनमें एस.डी.ए. को अप्रयुक्त धनराशि के उपयोग एवं दिशा-निर्देशों के पालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं।
- लोक वित्त प्रबन्धन प्रणाली पर क्षमता-विकास : वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप, शून्य शेष सहायक खाते (ज़ेड बी एस ए) जुलाई 2021 से संचालित हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम : बी ई ई द्वारा एस.डी.ए. के नोडल अधिकारियों एवं वित्त अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, ताकि वे लोक वित्त प्रबन्धन प्रणाली के अनुपालन में सक्षम बन सकें।
- धन-रोक पर स्पष्ट निर्देश : यह स्पष्ट किया गया है कि ज़ेड बी एस ए से किसी अन्य खाते में राशि का हस्तांतरण, लोक वित्त प्रबन्धन प्रणाली के नियमों के विपरीत है।

निष्कर्ष :

- अनुदान-राशि को जारी करने का लेखा-जोखा निर्धारित लेखांकन नीतियों एवं स्थापित प्रथाओं के अनुरूप किया गया है।
- बी ई ई के पास पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रणालीगत व्यवस्था उपलब्ध हैं – वार्षिक प्रतिवेदन, प्रभाव मूल्यांकन, मासिक प्रगति प्रतिवेदन, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय बैठकें इत्यादि।
- शेष प्रयोग प्रमाण-पत्रों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा धन-रोक की स्थिति समाप्त करने हेतु सुधारात्मक कदम पहले से ही जारी हैं।

पैरा 1.5 निर्धारित/न्यासित निधियों से निवेश (अनुसूची–9): ₹9,500.00 लाख

वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11): ₹1,02,195.33 लाख

बी ई ई (वार्षिक लेखा–विवरण एवं अभिलेखों के प्रपत्र) नियम, 2007 के अनुसार, निर्धारित/न्यासित निधियों से किए गए निवेशों को अनुसूची–9 के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाना चाहिए। किन्तु, मानक एवं लेबलिंग शुल्क से प्राप्त ₹67,553.61 लाख की जमा–राशि को अनुसूची–11 में दर्शाया गया है।

इससे :

- निर्धारित/न्यासित निधियों से निवेश (अनुसूची–9) में राशि कम दर्शाई गई है, तथा
- चल परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) में समान राशि ₹67,553.61 लाख अधिक दर्शाई गई है।

पैरा 1.5 का प्रत्युत्तर :

स्थापना काल से ही कोष/पूँजी निधि से किए गए निवेशों को अनुसूची–9: निर्धारित/न्यासित निधियों से निवेश के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता रहा है। प्रारम्भ में यह कोष राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम के बन्धपत्रों में निवेशित किया गया था, जो मई 2024 में परिपक्व हुए। परिपक्वता से प्राप्त राशि को तत्पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध बैंकों में एक वर्ष की अवधि वाले सावधि जमाओं में पुनः निवेशित किया गया, ताकि इन निवेशों से आय प्राप्त होती रहे। यह आय निम्न प्रयोजनों के लिए विनियोग योग्य है:

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पारिश्रमिक,
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अधीन सांविधिक कार्य,
- भारत सरकार के अनुमोदन पत्र संख्या 14/3/02–ई एम, दिनांक 27 जनवरी 2003 में वर्णित व्यय।

इन निवेशों से प्राप्त ब्याज को अनुसूची–15 निवेशों से प्राप्ति में विधिवत् दर्शाया गया है।

लेखा–वर्गीकरण का विधिक आधार बी ई ई (वार्षिक लेखा–विवरण एवं अभिलेखों के प्रपत्र) नियम, 2007 पर आधारित है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- कोष/पूँजी निधि का स्वरूप स्वामी–निधि के समान है,
- लेखा–प्रदर्शन में विधिक रूप पर लेनदेन का वास्तविक स्वरूप वरीयता प्राप्त करेगा।

तदनुसार में कोष/पूँजी निधि से किए गए निवेशों को अनुसूची–9 में प्रदर्शित करना पूर्व प्रचलन एवं नियमों के पूर्णतः अनुरूप है।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित/न्यासित निधियों की अनुसूची के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि "वे अनुदान/निधियाँ, जिनका स्वरूप प्रवर्तक–अंशदान जैसा हो और जो कोष/पूँजी निधि की प्रकृति की हों, उन्हें चिन्हित निधि नहीं माना जाएगा।"

अतः, बी ई ई द्वारा प्राप्त मानक एवं लेबलिंग शुल्क कोष/पूँजी निधि की प्रकृति का नहीं है, बल्कि यह पूर्णतः कार्यक्रम-संबंधी प्राप्ति है। अतः इसे निर्दिष्ट बैंक खातों में जमा करते हुए अनुसूची-11 (चल परिसम्पत्तियाँ) में बैंक शेषराशि के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो इनके स्वभाव तथा स्थापित लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है।

लेनदेन-प्रदर्शन में एकरूपता एवं पारदर्शिता के संदर्भ में निम्नलिखित प्रस्तुत है :

- कोष/पूँजी निधि के निवेशों का वर्गीकरण अनुसूची-9 में तथा मानक एवं लेबलिंग शुल्क का अनुसूची-11 में प्रदर्शित किया जाना स्थापना काल से ही निरंतर है।
- इससे कोष/पूँजी निधि (मूल-अंशदान) तथा योजना-संबंधी प्राप्ति (मानक एवं लेबलिंग शुल्क) के बीच स्पष्ट पृथक्करण बना रहता है।
- बी ई ई ने समस्त वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित की है, जो शासन परिषद एवं संसद के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

निष्कर्ष :

विधिक प्रावधानों, लेखांकन सिद्धांतों तथा बी ई ई द्वारा अनुसरण की जा रही स्थापित प्रथा के अनुसार, कोष/पूँजी निधि के निवेशों का अनुसूची-9 में तथा मानक एवं लेबलिंग शुल्क की जमा-राशि का अनुसूची-11 में प्रदर्शित किया जाना पूर्णतः उचित, युक्तिसंगत एवं औचित्यपूर्ण है।

पैरा 2 आय एवं व्यय खाता

2.1 आय एवं व्यय खाता

अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची-21): ₹259.81 लाख

बी ई ई द्वारा ₹62.54 लाख (सेल्फ़ी पॉइंट लगाने हेतु) तथा ₹294.71 लाख (स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय आयोजन की मेज़बानी हेतु) को "मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम" में व्यय दिखाया गया, जबकि ये व्यय प्रकृति में सामान्य थे और मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम से संबंधित नहीं थे। अतः इन्हें "अन्य व्यय (परियोजना व्यय)" (अनुसूची-21) में दिखाया जाना चाहिए था।

इससे "अन्य व्यय" (अनुसूची-21) तथा "आरक्षित/अनुदान निधि" (अनुसूची-3) दोनों में कम लेखांकन हुआ तथा आय पर व्यय की अधिकता ₹357.25 लाख से अधिक दर्शाई गई।

2.2 अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची-21): ₹259.81 लाख

बी ई ई द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक सी ई एम स्वैच्छिक अंशदान के रूप में ₹91.29 लाख का भुगतान "मानक एवं लेबलिंग शुल्क" से किया गया, जिसमें से ₹68.47 लाख वर्ष 2024-25 से संबंधित है तथा ₹22.82 लाख वर्ष 2025-26 से, क्योंकि यह अंशदान जून से जून के बीच लागू होता है। चूँकि यह अंशदान किसी विशिष्ट योजना से संबद्ध नहीं है, इसे आय-व्यय खाते से व्यय किया जाना आवश्यक था।

इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अन्य व्यय में ₹68.47 लाख की कम दर्शाई गई। ₹22.82 लाख को अग्रिम व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, तथा आय पर व्यय की अधिकता ₹68.47 लाख से अधिक दिखी और ऊर्जा संरक्षण निधि में ₹91.29 लाख अधिक दर्शाए गए।

2.3 अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची–21): ₹259.81 लाख

बी ई ई द्वारा मानक एवं लेबलिंग शुल्क से "स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय" (सीईएम –14) आयोजन हेतु व्यय करने की अनुमति प्रबंधन सलाहकार समिति (एमएसी) से ली गई थी। जुलाई 2023 में यह आयोजन हुआ। परंतु, योजना के अनुमोदित व्यय सीमा का पूर्ण उपयोग होने के बावजूद, गोवा राज्य नामित एजेंसी द्वारा जून 2024 में भेजा गया ₹50.39 लाख का दावा, जिसे सीईएम–14/एमआई–8 कार्यक्रम से संबंधित बताया गया था, बी ई ई ने "जागरूकता कार्यक्रम" के व्यय के रूप में दर्ज कर लिया। समिति की अलग अनुमति प्राप्त किए बिना, बी ई ई ने इसे "अन्य व्यय (परियोजना व्यय)" (अनुसूची–21) के अंतर्गत नहीं दर्शाया।

अतिरिक्त रूप से, इस आयोजन का व्यय बी ई ई (60%) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (40%) द्वारा वहन किया जाना था, किन्तु बी ई ई ने सम्पूर्ण राशि को अपने लेखों में व्यय के रूप में दर्ज कर दिया।

इससे

अन्य व्यय (अनुसूची–21) में ₹30.23 लाख राशि कम दर्शाई गई , "चल परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम" (अनुसूची–11) में ₹20.16 लाख कम दिखाए गए (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त होने योग्य), तथा "आरक्षित/अनुदान निधि" (अनुसूची–3) ₹50.39 लाख से अधिक दिखाई गई।

पैरा 2.1 ; 2.2 ; 2.3 का प्रत्युत्तर :

सेल्फी प्वाइंट स्थापित करने के प्रस्ताव को विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ और अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पहलों के प्रति जन-साधारण में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना था, जो भारत सरकार द्वारा बी ई ई के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

उसी के अनुरूप, प्रथम चरण में, दिल्ली–एनसीआर के प्रमुख एवं अधिक आवागमन वाले सार्वजनिक स्थलों-जैसे मेट्रो स्टेशन, शासकीय भवन तथा सार्वजनिक उद्यान-में कुल 20 सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए गए। ₹53 लाख (₹2.65 लाख प्रति सेल्फी प्वाइंट + 18% जी एस टी) का व्यय विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पी एफ सी) के माध्यम से किया गया, जिसने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भूमिका निभाई। कार्य तथा व्यय को प्रबंधन सलाहकार समिति (एम ए सी) की 26वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

इन सेल्फी प्वाइंटों को रणनीतिक रूप से इस प्रकार स्थापित किया गया है कि वे विद्युत मंत्रालय तथा बी ई ई की उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित करें, विशेषकर ऊर्जा-दक्षता पहलों एवं स्टार-लेबलिंग कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। ये प्वाइंट उपभोक्ताओं को स्टार-मूल्यांकित उत्पाद अपनाने

तथा ऊर्जा-दक्ष व्यवहार अपनाने के महत्व को दृष्टिगत रूप में दर्शाते हैं, जिससे उपभोक्ता जागरूकता तथा एस एंड एल कार्यक्रम के संपर्क एवं प्रसार को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है।

ऊर्जा-दक्षता एवं स्टार-मूल्यांकित उत्पादों पर जानकारी के प्रसार में इन प्वाइंटों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, इस व्यय को एस एंड एल कार्यक्रम के जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है, न कि सामान्य परियोजना व्यय के रूप में।

स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीस्तरीय (सी ई एम) मंच का गठन वर्ष 2009 में किया गया था, जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य है। यह एक उच्च-स्तरीय वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों एवं समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का विकास किया जाए, उपलब्ध अनुभवों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा किया जाए तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को सुगम किया जाए। यह उद्देश्य वार्षिक ऊर्जा मंत्रियों की मंत्रीस्तरीय बैठक तथा वर्षभर तकनीकी कार्यों एवं अभियानों के रूप में सदस्य देशों के नेतृत्व एवं सहभागिता से पूरा किया जाता है।

सी.ई.एम. की प्रारम्भिक पहलों में से एक सुपर-इफिशिएंट इक्विपमेंट तथा एप्लायंस डिप्लॉयमेंट (एसईएडी) पहल थी, जिसका शुभारम्भ वर्ष 2010 में हुआ तथा जिसका सह-नेतृत्व भारत द्वारा किया गया। इस पहल के अन्य सह-नेता यूरोपीय आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन तथा यूनाइटेड किंगडम रहे।

सी.ई.एम. के अंतर्गत एसईएडी पहल ने भारत में ऊर्जा-कुशल उपकरणों के प्रसार को तीव्र गति प्रदान की है, जो कि मानक एवं लेबलिंग (एसएण्डएल) कार्यक्रम के माध्यम से संचालित होता है। इस पहल ने एस-एण्ड-एल कार्यक्रम अंतर्गत परीक्षण-मानकों के उन्नयन, अधिक हितधारक सहभागिता, श्रेष्ठ-श्रेणी के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध कराने, नीति-निर्माण में सहायता पहुँचाने तथा ऊर्जा-दक्षता मानकों के नियमित उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा-बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

एस-ई-ए-डी प्रभावी मॉडल पुरस्कार पहली बार भारत में वर्ष 2013 में आयोजित सी.ई.एम.-4 के दौरान ऊर्जा-कुशल फ्लैट-पैनल टेलीविजन तथा एल.ई.डी. के लिए प्रदान किया गया। इस पहल के फलस्वरूप भारत वर्ष 2014 में एल.ई.डी. बल्बों के प्रदर्शन, सुरक्षा एवं गुणवत्ता के विनियमन को स्थापित करने वाला प्रथम देश बना। तत्पश्चात, बी ई ई द्वारा वर्ष 2015 में एल.ई.डी. बल्बों हेतु एस-एण्ड-एल कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

इस पहल ने बी ई ई को एस-एण्ड-एल कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करते हुए अधिक संख्या में उपकरणों को सम्मिलित करने में सक्षम बनाया है तथा बाज़ार-स्तर पर उत्पादों की बेंचमार्किंग एवं ऊर्जा-कुशल उपकरणों की दक्षता-निगरानी को सुदृढ़ किया है।

सितम्बर 2025 तक एस-एण्ड-एल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 42 उपकरणों की श्रेणियाँ शामिल हैं, जबकि वर्ष 2009 में इनकी संख्या केवल 4 थी, जिसके परिणामस्वरूप लेबलिंग शुल्क-संग्रह तथा ऊर्जा-बचत दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2023–24 में एस-एण्ड-एल कार्यक्रम के माध्यम से 90 बी.यू. ऊर्जा-बचत प्राप्त हुई है तथा लेबलिंग शुल्क से प्राप्त राजस्व ₹100.00 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा सी.ई.एम. की मेज़बानी तथा इसकी सदस्यता हेतु नियमित योगदान, बी ई ई के ऊर्जा दक्षता से सम्बन्धित एस-एण्ड-एल कार्यक्रम को भी सुदृढ़ करता है। विद्युत मंत्रालय के साथ परामर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि बी ई ई को प्राप्त अनुदान से पृथक, अपने राजस्व से सी.ई.एम. को स्वैच्छिक योगदान हेतु व्यय किया जाए, जो सी.ई.एम. चरण–तीन के लिए भारत सरकार के अनुदान से अतिरिक्त हो। आगे, बी ई ई की प्रबंधन सलाहकार समिति (एम.ए.सी.) ने यूरो 3,00,000 के योगदान को स्वीकृति प्रदान की, जिसे तीन वर्ष की अवधि में तीन किस्तों में जुलाई 2022 से जून 2023, जुलाई 2023 से जून 2024 और जुलाई 2024 से जून 2025 तक जारी किया जाना निर्धारित किया गया।

राज्य नामित अभिकरण (एस.डी.ए.) गोवा ने सूचित किया कि उसने बी ई ई को राज्य में सी.ई.एम.–14 / एम.आई.–8 आयोजनों से सम्बद्ध विभिन्न गतिविधियों; जैसे कार्यशालाएँ, जन-जागरूकता कार्यक्रम तथा 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शनि' प्रदर्शनी के आयोजन में सहयोग प्रदान किया। चूँकि जी–20 ऊर्जा मंत्रिगण, अपने-अपने देशों की क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल प्रतिनिधिमंडलों का भी नेतृत्व कर रहे थे, अतः ये आयोजन जी–20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक के समानांतर सम्पन्न हुए।

जी–20 के प्रोटोकॉल एवं नोडल अधिकारी, गोवा सरकार द्वारा दिनांक 22/05/2024 के ई-मेल तथा पश्चात् प्रेषित पत्र (संख्या G-20 Cell/GF/714/2022-23/754) में सी.ई.एम.–14 आयोजन के दौरान वितरित किए गए स्मृति-चिह्नों एवं प्रतिनिधि किटों से सम्बंधित बिल प्रस्तुत किए गए। इसके उपरांत, गोवा राज्य सरकार ने राज्य नामित अभिकरण (एस.डी.ए.) गोवा से भुगतान निस्तारण का अनुरोध किया। एस.डी.ए. द्वारा 04/06/2024 को प्रेषित ई-मेल के आधार पर, इस मद पर व्ययित ₹50.39 लाख की राशि को बी ई ई द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वित्त वर्ष 2024–25 में 'जागरूकता अभियान–कार्यशाला–प्रदर्शनी व्यय' शीर्ष में लेखाबद्ध किया गया।

इस बैठक में 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने 50 देशों से भाग लिया, जो 4 दिनों तक चली। इसमें 26 सदस्य राष्ट्र तथा 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व मंत्री-स्तर पर हुआ। चार दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 8 विभिन्न क्षेत्रों में 80 सह-आयोजन, 8 मंत्री–मुख्य कार्यपालक संवाद/गोष्ठियाँ तथा 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजक सम्मिलित रहे।

इसने गोवा सरकार को "वसुधैव कुटुम्बकम्" अथवा "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की थीम के अंतर्गत अपने स्थानीय कला, शिल्प एवं सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष स्मृति-चिह्नों एवं प्रतिनिधि किटों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार की गतिविधियाँ उपभोक्ता जागरूकता, सततता तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने में भी सहायक हैं।

पैरा 3 . लेखा नीतियाँ

अनिश्चित देयताएँ तथा खातों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 26)

पैरा (i)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, स्थायी परिसंपत्तियों, मूल्यह्रास तथा अनुदानों एवं राजस्व से सम्बन्धित लेखा-नीति संख्या 4, 5 एवं 6 में परिवर्तन किए गए। तथापि, इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्राप्तियों की मान्यता तथा ₹5,090.94 लाख की आय पर होने वाले प्रभाव का खुलासा नहीं किया गया है।

अतः, खातों पर टिप्पणियाँ इस सीमा तक अपूर्ण हैं।

पैरा 3 (i) का प्रत्युत्तर :

जबकि बीईई, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय निगम के रूप में, भारत सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श कर अधिसूचित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेखों का प्रारूप) नियम, 2007 के अनुसार अपने लेख तैयार करता है, ब्यूरो यह पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि

बीईई, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय निगम के रूप में, भारत सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श कर अधिसूचित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेखों का प्रारूप) नियम, 2007 के अनुसार अपने लेख तैयार करता है, ब्यूरो यह पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रथाओं को आधारभूत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।:

- वित्त वर्ष 2024–25 में, वाजिब वसूली की सुनिश्चितता के सिद्धांत के अनुरूपता को सुदृढ़ करने हेतु, मानक एवं लेबल शुल्क (एस एंड एल शुल्क) से संबंधित प्राप्तियों की मान्यता को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से संशोधित किया गया।
- ₹5,090.94 लाख की प्राप्तियों को ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर स्वीकार किया गया, जिनमें उत्पादकता तथा देयता प्रमाणित थी, तथा यह संपूर्ण राशि वित्त वर्ष 2025–26 में वसूल हो गई।

- यह परिवर्तन माननीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद द्वारा 26.06.2025 को वार्षिक खातों के अनुमोदन के साथ ही अनुमोदित किया गया।

ब्यूरो लेखा परीक्षण की इस गंभीरता को स्वीकार करता है तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वित्त वर्ष 2025–26 से अनुसूची–26 में किसी भी लेखा–नीति परिवर्तन, परिवर्तन की प्रकृति तथा उसके वित्तीय विवरणों पर मात्रात्मक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

पैरा (ii)

उपलब्ध विधिक एवं मध्यस्थता मामलों के अनुसार, बी ई ई के तीन कानूनी प्रकरण लंबित हैं: दो प्रकरण कायदिशों से उत्पन्न देय राशि की वसूली से संबंधित हैं, जिनकी राशि क्रमशः ₹12.13 लाख तथा ₹68.99 लाख है। तीसरा प्रकरण एक कर्मचारी को 15 माह से अधिक अवधि तक अनुग्रह–भत्ता (ग्रेच्युटी) का भुगतान न किए जाने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, अनुग्रह–भत्ता अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 40 समान प्रकरण ऐसे हैं जिनमें न तो कोई प्रावधान बनाया गया है और न ही इनका परिमाणीकरण या आकस्मिक देयताओं में प्रकटीकरण किया गया है। इन आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण न किए जाने के कारण वित्तीय विवरण लेखा मानक 29 के अनुरूप नहीं रहे हैं।

पैरा C (ii) का प्रत्युत्तर :

प्रारम्भ में यह उल्लेखनीय है कि लेखा मानकों के प्रावधान सूचीबद्ध इकाइयों अथवा व्यवसायिक इकाइयों पर लागू होते हैं। परन्तु बी ई ई न तो कोई सूचीबद्ध इकाई है और न ही कोई व्यवसायिक इकाई, अतः लेखा मानकों के प्रावधान बी ई ई पर लागू नहीं होते।

आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रस्तुत है :

- बी ई ई ने आकस्मिक देयताओं को "शून्य" दर्शाया है, क्योंकि विधिक सलाह के अनुसार लंबित तीन प्रकरण (₹12.13 लाख, ₹68.99 लाख तथा लगभग 40 अनुग्रह–भत्ता संबंधी प्रकरण) ऐसी संभावित देनदारी की श्रेणी में नहीं आते जिनके लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक हो।
- तथापि, पारदर्शिता को और बेहतर करने हेतु, बी ई ई वित्त वर्ष 2025–26 से महत्त्वपूर्ण लेखा–नीतियों / खातों के टिप्पणियों में प्रकटीकरण का दायरा बढ़ाने पर सहमत है।

पैरा 4. सामान्य

शून्य

पैरा 4 का प्रत्युत्तर :

लागू नहीं

पैरा 5 : प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें प्रबंधन के संज्ञान में एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से लाया गया है, ताकि आवश्यक सुधारात्मक / संशोधनात्मक कार्यवाई की जा सके।

पैरा 5 का प्रत्युत्तर :

प्रबंधन पत्र सं0 DGA(E)/Rep/01-136/Acs-B.E.E/2025-26/Vol-II/564 दिनांक 24-11-2025 में उल्लिखित अवलोकनों का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि वित्त वर्ष 2025-26 से आवश्यक सुधारात्मक / संशोधनात्मक कार्यवाई की जा सके।

पैरा 6 : आन्तरिक नियंत्रणों का आकलन

(i) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बी ई ई की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लेन–देन के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है, तथापि लेखा परीक्षण के अवलोकनों के आलोक में इसे और सुदृढ़ किया जा सकता है।

पैरा 6 (i) का प्रत्युत्तर:

लेखा परीक्षण के अवलोकनों को संज्ञान में लिया गया है तथा विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य जारी रहेगा।

(ii) आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता

बी ई ई का आन्तरिक लेखा परीक्षण विद्युत मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाता है। तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 हेतु बी ई ई का आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रधान लेखा कार्यालय, विद्युत मंत्रालय द्वारा संपादित नहीं किया गया।

पैरा 6 (ii) का प्रत्युत्तर:

बी ई ई के पास पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ नहीं है। सामान्य वित्त नियम 236(1) के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षण ऊर्जा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय (पी ए ओ) द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 का अंतिम आंतरिक लेखा परीक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा दिनांक 21.02.2024 की आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संबंधित शाखा को उपलब्ध कराई जा चुकी है। आंतरिक लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उत्तर प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा वे आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ के विचाराधीन हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण, पी ए ओ, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उनके स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार किया जाना निर्धारित है। पूर्ववर्ती लंबित आपत्तियों के निस्तारण हेतु निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है तथा अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(iii) स्थिर परिसंपत्तियों एवं भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार किया जाना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर उसकी जांच कर आवश्यक लेखा प्रविष्टियाँ करना अपेक्षित है। किंतु वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बी ई ई द्वारा परिसंपत्तियों/उपभोग्य सामग्री का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।

पैरा 6 (iii) का प्रत्युत्तर:

लेखा परीक्षण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन के न संपन्न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि–

- वित्त वर्ष 2023-24 का प्रत्यक्ष सत्यापन समिति द्वारा विधिवत् किया गया था तथा आवश्यक संशोधन स्थिर परिसंपत्ति अभिलेख में सम्मिलित कर दिए गए थे।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन प्रशासनिक कारणों से विलंब से प्रारंभ हुआ तथा प्रतिवेदन अवधि में पूर्ण नहीं हो सका।
- अब व्यापक प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा अभिलेख अद्यतन किए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 का प्रत्यक्ष सत्यापन अब पूर्ण हो चुका है तथा कोई भी महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं पाई गई।

दिनांक 31.03.2025 को उपभोग्य सामग्री शून्य है, अतः उसके प्रत्यक्ष सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(iv) वैधानिक देयों के भुगतान की नियमितता

बी ई ई वैधानिक देयों के भुगतान में नियमित है।

पैरा 6 (iv) का प्रत्युत्तर :

टिप्पणी स्वीकार्य है।

(v) अन्य विषय :

क. टैली सर्वर के पर्याप्त बैक–अप का अभाव

टैली में ट्रेल लॉग सुविधा बी ई ई द्वारा सक्रिय नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, टैली सर्वर उसी कार्य–स्टेशन पर स्थापित है तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति में आँकड़ा, सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किसी वैकल्पिक स्थान पर उसका बैक अप उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति बी ई ई में वित्तीय आँकड़ों के प्रबंधन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अक्षमता को दर्शाती है।

पैरा एफ(6)(क) का प्रत्युत्तर :

टैली में ऑडिट ट्रेल सुविधा को सक्रिय करने तथा बैक अप प्रणाली को वैकल्पिक स्थानों पर सुदृढ़ करने संबंधी लेखा परीक्षण के सुझाव को संज्ञान में लिया गया है। आगामी अवधि में इन सुधारों को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(ख) : एस.डी.ए. को जारी की गई निधियों पर अपर्याप्त नियंत्रण

बी ई ई, एस.डी.ए. द्वारा अपनी पृथक बैंक खातों में निधि रखने की प्रवृत्ति को पूर्णतः रोकने में सक्षम नहीं रहा है।

पैरा 6 (ख) का प्रत्युत्तर:

लेखा परीक्षण द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि पाँच एस.डी.ए. ने ₹88.37 लाख आहरित कर दूसरे बैंक खातों में रखे। इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत है :

- लेखा परीक्षण टिप्पणियों में यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि किस विशेष योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत पार्क की गई थी।
- एस.डी.ए. के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों में बी ई ई द्वारा संबंधित एस.डी.ए. से पहले ही स्पष्टीकरण माँगा जा चुका है।
- किसी भी पुष्टि-प्राप्त उल्लंघन पर उपयुक्त सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे तथा जहाँ आवश्यक होगा, खातों में समुचित समायोजन किए जाएंगे।

यद्यपि, यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि: बी ई ई की भूमिका निधि-जारी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसीएस) तथा प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से निगरानी तक सीमित है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की आंतरिक प्रक्रियाओं पर बी ई ई का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता।

फिर भी, बी ई ई ने पी.एफ.एम.एस. के अंतर्गत अनुपालन को सख़्त करने तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु सक्रिय प्रयास किए हैं। लेखा परीक्षण द्वारा प्रकटीकरण बढ़ाने के सुझाव पर भी सहमति व्यक्त की जाती है तथा आगामी वित्तीय विवरणों में लंबित यू.सी. तथा बी ई ई द्वारा की गई निगरानी कार्रवाई से संबंधित अतिरिक्त विवरण सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा।

पैरा 7 : अनुदान-सहायता

कुल ₹7,095.32 लाख की अनुदान-सहायता (जिसमें ₹6,947.41 लाख वर्ष के दौरान प्राप्त राशि तथा ₹147.91 लाख राज्य-स्तर पर अर्जित ब्याज/अप्रयुक्त अनुदान सम्मिलित हैं) में से बी ई ई ने ₹6,943.58 लाख का उपयोग किया तथा ₹121.86 लाख वापस कर दिए, जिससे 31 मार्च 2025 तक अप्रयुक्त शेष राशि ₹29.88 लाख रह गई।

पैरा 7 का प्रत्युत्तर :

उक्त आंकड़े वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए संबंधित आंकड़ों के अनुरूप हैं।

31 मार्च 2025 को ₹29.88 लाख की खर्च नहीं की गई राशि को वर्ष 2025-26 के दौरान एमओपी को वापस कर दिया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

दिनांक	रूपये (लाख में)
14-5-2025	11.24
13-6-2025	0.02
1-7-2025	18.62
कुल	**29.88**

3.6 वार्षिक लेखा विवरण

बैलेंस शीट, आय एवं व्यय विवरण तथा रसीद एवं भुगतान विवरण – विधिवत् लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) रूप में संलग्न किए जा रहे हैं।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रूपए में)

कॉपर्स / पूँजी निधि और देनदारियाँ	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऊर्जा संरक्षण निधि	1	9,71,64,23,642	8,55,23,33,539
रिज़र्व और अधिशेष	2	-	-
चिह्नित / बंदोबस्ती निधियाँ	3	1,16,01,89,311	5,57,34,530
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
चालू देयताएँ और प्रावधान	7	30,77,02,916	35,68,57,019
कुल		**11,18,43,15,869**	**8,96,49,25,088**
परिसंपत्तियाँ			
अचल-परिसंपत्तियाँ	8	1,47,82,718	1,76,21,758
निवेश – निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से	9	95,00,00,000	95,00,00,000
निवेश – अन्य	10	-	-
वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	10,21,95,33,151	7,99,73,03,330
विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)		-	-
कुल		**11,18,43,15,869**	**8,96,49,25,088**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ	26		

दिनांक : 10.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हेमेंद्र कुमार
वित्त एवं लेखा अधिकारी

मिलिंद देवरे
सचिव

श्रीकांत नागुलापल्ली
महानिदेशक

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर–लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं से प्राप्त आय	12	-	-
अनुदान/सहायता	13	-	-
शुल्क/सदस्यता	14	3,95,29,053	3,20,100
निवेश से आय (आरक्षित/स्थायी कोष से निवेश पर आय, जो कोषों में हस्तांतरित की गई)	15	7,11,19,781	7,19,05,481
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
ब्याज प्राप्त (शुद्ध)	17	6,57,86,819	6,12,19,009
अन्य आय	18	20,52,797	10,77,628
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के भंडार में वृद्धि/कमी	19	-	-
कुल (क)		**17,84,88,450**	**13,45,22,218**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	11,95,69,744	11,79,54,424
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,85,34,053	1,97,79,312
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	2,59,81,468	2,14,39,232
अनुदान/सहायता पर व्यय	23	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास	8	21,24,463	15,80,458
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		1,29,125	3,99,210
कुल (ख)		**16,63,38,853**	**16,11,52,636**
आय पर व्यय की अधिकता (क-ख)		1,21,49,597	(2,66,30,418)
विशेष भंडार में स्थानांतरण		-	-
सामान्य भंडार में / से स्थानांतरण		-	-
समग्र/पूँजी निधि में ले जाया गया शेष (अधिशेष/घाटा)		**1,21,49,597**	**(2,66,30,418)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ	26		

दिनांक : 10.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हेमेंद्र कुमार
वित्त एवं लेखा अधिकारी

मिलिंद देवरे
सचिव

श्रीकांत नागुलापल्ली
महानिदेशक

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर–लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
वित्त वर्ष समाप्त होने वाले 31 मार्च 2025 के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपए में)

रसीद	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष				**I. व्यय**			
क) नकद शेष				क) स्थापना व्यय (अनुसूची–20)	12,01,69,028		11,57,02,508
ख) बैंक शेष (अनुसूची–11)				ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21)	1,65,26,964	13,67,15,932	1,76,37,125
i. चचत खाते	43,86,13,806		97,38,16,131				
ii. जमा खाते	6,98,50,72,453		5,36,07,91,329	**II. परियोजनाओं हेतु भुगतान (अनुसूची–21)**		91,47,86,617	1,29,90,98,513
iii. चचत खाता – योजना	3,09,76,522		3,77,52,536				
iv. चचत खाता – डीएसएस	10,94,90,973	7,55,90,53,754	58,66,15,189	**III. निवेश और जमा**		-	-
अनुदान प्राप्त (अनुसूची–3)							
भारत सरकार से (15वीं वित्त आयोग–2021–26)				**IV. स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद (अनुसूची–8)**			
i. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना	34,97,41,085		31,55,99,865	स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद, जिसमें मानक एवं लेबलिंग जाँच उपकरण शामिल है (अनुसूची – 8)		20,64,949	1,36,53,516
ii. ऊर्जा संरक्षण योजना	34,50,00,000	69,47,41,085	30,40,00,000				
अन्य (अनुसूची–3)				**V. अतिरिक्त राशि वापसी / ब्याज**			
यूनीडो–जीईएफ–बीईई परियोजना रसीद	-	-	82,75,875	क) अधिशेष/अनुदानों पर ब्याज, जिसे विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार (एमओपी/जीओआई) को वापस किया गया		2,24,78,539	1,91,09,044
III. निवेशों से आय / अन्य प्राप्तियां							
क) i. निर्धारित निधि (कॉर्पस–बीईई) (अनुसूची–15)	3,85,67,642		3,27,38,696	ख) राज्य एजेंसियों से ब्याज वापसी			
ii. निर्धारित निधि (कॉर्पस–एमओएफ)(अनुसूची–15)	3,42,01,343		4,28,43,319				
iii. ई–सदर्न शुल्क	10,03,501	7,37,72,486	22,52,134	i. उन्नत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन	-	-	1,41,80,255
ख) चिह्नित निधि – अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज (अनुसूची– 3)				ii. राज्य नामित एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण (अनुसूची – 3)	83,27,070	83,27,070	4,05,70,373
i. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना	25,27,630		1,56,55,660				
ii. ऊर्जा संरक्षण योजना	24,55,416	49,83,046	27,63,215	**VI. अन्य भुगतान**			
राज्य नामित एजेंसियों से ब्याज				कर अपील हेतु सेवा शुल्क	1,07,59,616	-	-
i. राज्य नामित एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण	83,27,070		4,05,70,373	नई इमारत (अनुसूची–1)	1,10,45,46,220	1,11,53,05,836	-
ii. उन्नत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन	-	83,27,070	1,41,80,255				
IV. ब्याज प्राप्तियां				दक्षता मानक और लेबलिंग परीक्षण (अनुसूची– 7)		6,50,000	13,25,000
क) बैंक जमा पर (अनुसूची – 11 & 17)	6,66,94,677		4,52,07,331	सुरक्षा जमा एवं प्रदर्शन सुरक्षा (अनुसूची–7)		7,20,336	47,66,452
ख) बैंक जमा पर (मानक एवं लेबलिंग) (अनुसूची – 1 एवं 11)	53,23,16,965		31,98,00,098	ईएमडी वापसी (अन्य चालू देयताएँ) (अनुसूची–7)		1,74,78,530	1,44,45,000
ग) चचत खाते पर (अनुसूची – 17)	10,53,751		8,11,062				
घ) डीसीबीसी शुल्क (अनुसूची–3)	11,81,836		1,13,723				
ङ) व्यापार शुल्क (अनुसूची–3)	18,31,502	60,30,77,831	2,13,615	अन्य भुगतान			
V. अन्य आय				अन्य बकाया भुगतान (अनुसूची–7)	9,42,334		12,92,650
विविध आय (बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं अन्य शुल्क) (अनुसूची – 18)	20,52,797		10,06,896	इयाम इम्पेक्स – एमएलटीसी	11,363	9,53,697	
परीक्षा शुल्क – 2024–25 (24वीं) (अनुसूची – 14)	3,89,24,053		-				
ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन शुल्क (अनुसूची – 14)	7,12,000	4,16,88,850	1,36,100				
डी/एफ		**8,98,56,44,124**	**8,10,53,43,191**	**डी/एफ**		**2,21,95,01,596**	**1,54,19,79,438**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर–लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

वित्त वर्ष समाप्त होने वाले 31 मार्च 2025 के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपए में)

रसीद	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बी/एफ		9,98,56,44,124	8,18,03,43,191	बी/एफ		2,21,95,81,505	1,54,19,79,438
VI. कोई अन्य प्राप्तियाँ				**VII. समापन शेष (अनुसूची–11)**			
अवल लैबलिंग शुल्क – ईसीबीसी (अनुसूची–3)	64,45,000		25,75,000	क) नकद शेष	-		-
एसडीए अप्रयुक्त अनुदान / पार्टिसपंतियों की बिक्री से प्राप्ति (अनुसूची–3)	14,78,736		3,46,545	ख) बैंक शेष			
स्पिंडल पार्टिसपंतियों की बिक्री	5,496		7,969	i) चालू खाते	57,41,55,766		43,66,13,806
परीक्षण उपकरणों की बिक्री (एस एंड एल)(अनुसूची–3)	8,66,733		-	ii) जमा खाते	7,53,53,61,354		6,98,50,72,453
पार्टिसपंतियों की बिक्री – उपहार स्वरूप	-		231	iii) बचत खाता – योजना	4,28,17,097		3,08,76,522
एनटीपीसी से प्राप्तियाँ (पेवेलियन एवं आंतरिक कार्य से संबंधित)	1,27,39,864		-	iv) बचत खाता – सौरसाएस	61,76,870	8,15,85,11,087	10,64,90,973
मानक एवं लेबलिंग शुल्क (पंजीयन/लेवल शुल्क) (अनुसूची–1 एवं 11)	1,31,95,02,526	1,34,10,38,357	94,31,91,289				
चेक वापस लिखित (समाप्ति के कारण)		51,348	1,09,43,673				
सुरक्षा जमा एवं निष्पादन सुरक्षा (अनुसूची–7)		96,70,264	38,19,294				
सुरक्षा जमा (दायित्व)							
मानक एवं लेबलिंग एस ऐंड एल (अनुसूची–7)		1,57,25,000	2,00,75,000				
ईएनडी जमा (अन्य चालू दायित्व – अनुसूची–7)		2,58,81,000	1,47,26,500				
अन्य देय रसीदें (पार्टिसपंतियों) (अनुसूची–11)		2,500	2,500				
कुल		**10,37,80,12,593**	**9,10,10,33,192**	**कुल**		**10,37,80,12,593**	**9,10,10,33,192**

दिनांक : 10.06.2025
स्थान : नई दिल्ली

हेमेंद्र कुमार
वित्त एवं लेखा अधिकारी

मिलिंद देवरे
सचिव

श्रीकांत नागुलापल्ली
महानिदेशक

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर–लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

अनुसूची 1 (राशि रुपए में)

अनुसूची 1 – समग्र / पूँजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ऊर्जा संरक्षण निधि				
1. कॉर्पस निधि				
आरंभिक शेष आगे लाया गया				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि (बीईई)	50,00,00,000		50,00,00,000	
कॉर्पस निधि में अंशदान (कॉर्पस फंड का विस्तार एनएमईईई)	45,00,00,000	95,00,00,000	45,00,00,000	95,00,00,000
2. मानक एवं लेबलिंग शुल्क (एस एंड एल)				
आरंभिक शेष आगे लाया गया	6,90,13,14,471		5,68,21,33,448	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	1,82,85,96,359		94,31,91,289	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	54,33,35,131		45,15,11,137	
घटाएँ: वर्ष के दौरान योजना में हस्तांतरित धनराशी (अनुसूची-3)	10,63,15,642		12,22,34,472	
घटाएँ: मेक/जीसी अनुमोदन अनुसार सीईएम योगदान एवं परियोजना व्यय	91,29,122		5,32,86,931	
घटाएँ: जीसी अनुमोदित कार्यालय भवन हेतु अग्रिम (अनुसूची-26 टिप्पणी-16)	1,10,45,46,220	8,05,32,54,977	-	6,90,13,14,471
3. आय पर व्यय का अधिशेष				
आरंभिक	70,10,19,068		72,76,49,486	
आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित अधिशेष	1,21,49,597	71,31,68,665	(2,66,30,418)	70,10,19,068
कुल		**9,71,64,23,642**		**8,55,23,33,539**

अनुसूची 2 (राशि रुपए में)

अनुसूची 2 – संचित निधि एवं अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजी भंडार				
जैसा पिछले खाते में	-		-	
घटाएँ: परिसंपत्तियों की बिक्री	-		-	
घटाएँ: परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यन भंडार				
जैसा पिछले खाते में	-		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष भंडार				
जैसा पिछले खाते में	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य भंडार				
जैसा पिछले खाते में	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल		**-**		**-**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर–लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 3

अनुसूची 3 (भाग–I) – निर्धारित निधियाँ (सरकारी अनुदान)	भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देना																	
	राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु				मांग–पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पहलें								सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता (एमएसएमई)		ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)		अगले पृष्ठ में स्थानांतरित शेष (पृष्ठ संख्या – 8)	
	एसडीए सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम		राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान		कृषि मांग प्रबंधन कार्यक्रम		समेकित कोल्ड–चेन में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम		नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम		डिस्कॉम क्षमता निर्माण कार्यक्रम							
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) प्रारंभिक शेष	-	19,52,82,748	-	4,16,81,074	-	3,02,92,739	-	3,02,78,544	-	4,11,36,648	-	4,00,27,155	-	6,49,44,408	-	6,80,74,473	-	52,77,17,789
घटाएँ : अप्रयुक्त शेष का पुनर्मूल्यांकन	-	19,22,69,954	-	4,00,00,000	-	2,56,93,670	-	3,00,00,000	-	4,01,68,170	-	3,81,34,901	-	6,38,44,239	-	6,72,36,569	-	51,70,11,503
शुद्ध प्रारंभिक शेष	-	**38,12,794**	-	**16,81,074**	-	**5,99,068**	-	**2,78,544**	-	**9,68,478**	-	**19,22,254**	-	**14,00,169**	-	**8,43,904**	-	**1,07,06,286**
ख) वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ:																		
i. अप्रयुक्त शेष की पुनर्मूल्यांकन	-	16,00,00,000	-	2,00,00,000	-	2,36,93,670	-	2,50,00,000	-	2,10,00,000	-	2,30,00,000	-	5,95,44,239	-	7,70,00,000	-	40,92,37,909
ii. दान / अनुदान	5,91,88,760	5,76,00,000	-	-	20,75,914	-	-	-	-	-	5,30,47,867	4,15,00,000	3,21,35,695	2,26,00,000	7,70,88,411	8,70,00,000	22,25,16,647	21,67,00,000
iii. निधियों से संबंधित निवेश आय	3,07,889	4,49,28,526	-	6,43,271	27,404	6,15,418	-	6,72,756	-	6,97,940	4,89,956	8,48,549	3,39,695	21,66,948	3,48,600	29,41,548	15,13,544	5,35,14,958
iv. राज्य से अप्रयुक्त अनुदान पर प्राप्त ब्याज	83,27,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,27,070	-
v. राज्य को अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	-	-	-	-	1,25,950	-	-	-	9,51,000	-	1,75,150	-	-	-	-	-	12,52,100	-
vi. अन्य (परिसंपत्तियों की बिक्री)	-	1,95,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95,818
कुल (क + ख)	**6,78,23,719**	**26,57,37,138**	-	**2,23,24,345**	**22,29,268**	**2,49,08,158**	-	**2,59,51,300**	**9,51,000**	**2,26,66,418**	**5,27,12,973**	**6,72,70,803**	**3,24,75,390**	**8,57,11,357**	**7,74,17,011**	**17,77,85,452**	**23,36,09,361**	**69,23,54,971**
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु व्यय / उपयोग																		
i. पूंजीगत व्यय																		
- स्थायी परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- चेक परीक्षण उपकरण (स्टॉक–इन–ट्रेड)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय																		
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	43,23,919	52,48,156	-	-	11,10,344	14,67,649	-	-	-	-	13,96,055	23,71,744	34,90,981	26,89,171	56,24,171	25,41,734	1,50,44,470	1,44,88,454
- अन्य प्रशासनिक / परियोजना व्यय	5,48,57,383	20,47,21,523	-	2,00,00,000	9,65,570	1,74,37,194	-	2,49,99,707	-	1,67,69,569	5,06,52,812	6,18,97,636	2,86,44,414	7,42,05,229	7,12,99,858	14,65,42,068	20,64,20,037	56,65,72,020
- ऊर्जा मंत्रालय को अनुदान वापसी																		
- अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज	3,07,889	73,70,846	-	23,24,345	27,404	12,14,488	-	8,51,300	-	16,66,418	4,89,956	27,70,803	3,39,695	35,67,118	3,48,600	37,85,452	15,13,544	2,36,60,870
- राज्य से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज	83,27,070	4,05,70,373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,27,070	4,05,70,373
- राज्य अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	-	-	-	-	1,25,950	-	-	-	9,51,000	-	1,75,150	-	-	-	-	-	12,52,100	-
- अप्रयुक्त अनुदान वापसी	7,456	76,30,322	-	-	-	47,88,827	-	293	-	42,30,431	-	2,30,620	300	50,89,839	1,44,382	2,49,16,198	1,52,140	4,68,66,530
- अन्य (परिसंपत्तियों की बिक्री)	-	1,95,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95,818
कुल	**6,78,23,719**	**26,57,37,138**	-	**2,23,24,345**	**22,29,268**	**2,49,08,158**	-	**2,59,51,300**	**9,51,000**	**2,26,66,418**	**5,27,12,973**	**6,72,70,803**	**3,24,75,390**	**8,57,11,357**	**7,74,17,011**	**17,77,85,452**	**23,36,09,361**	**69,23,54,971**
घ) कुल	**6,78,23,719**	**26,57,37,138**	-	**2,23,24,345**	**22,29,268**	**2,49,08,158**	-	**2,59,51,300**	**9,51,000**	**2,26,66,418**	**5,27,12,973**	**6,72,70,803**	**3,24,75,390**	**8,57,11,357**	**7,74,17,011**	**17,77,85,452**	**23,36,09,361**	**69,23,54,971**
वर्ष के अंत में शेष (क + ख – ग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) शुल्क से प्राप्त आय																		
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12,94,797	86,06,074	1,12,94,797	86,06,074
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,94,456	25,75,000	65,94,456	25,75,000
ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,89,365	1,13,723	11,89,365	1,13,723
घटाएँ : व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,90,78,618**	**1,12,94,797**	**1,90,78,618**	**1,12,94,797**
घ) अनुदान के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ																		
i. परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष	6,920	11,533	-	-	-	-	-	-	6,098	8,269	6,809	8,258	16,934	25,133	7,196	11,994	43,957	65,187
ii. परिसंपत्तियों में वृद्धि:																		
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	**6,920**	**11,533**	-	-	-	-	-	-	**6,098**	**8,269**	**6,809**	**8,258**	**16,934**	**25,133**	**7,196**	**11,994**	**43,957**	**65,187**
ग) उपयोग / व्यय																		
- स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री / हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	2,768	4,613	-	-	-	-	-	-	1,302	2,171	869	1,449	4,919	8,199	2,878	4,798	12,738	21,230
कुल योग (ग)	**2,768**	**4,613**	-	-	-	-	-	-	**1,302**	**2,171**	**869**	**1,449**	**4,919**	**8,199**	**2,878**	**4,798**	**12,738**	**21,230**
वर्ष के अंत में शेष (घ = ख – ग)	**4,152**	**6,920**	-	-	-	-	-	-	**4,796**	**6,098**	**5,940**	**6,809**	**12,015**	**16,934**	**4,318**	**7,196**	**31,219**	**43,957**
वर्षांत शुद्ध शेष (ख) (क + ख)	**4,152**	**6,920**	-	-	-	-	-	-	**4,796**	**6,098**	**5,940**	**6,809**	**12,015**	**16,934**	**1,00,82,936**	**1,13,01,993**	**1,01,09,837**	**1,13,38,754**
कुल योग (क+ख)	**4,152**	**6,920**	-	-	-	-	-	-	**4,796**	**6,098**	**5,940**	**6,809**	**12,015**	**16,934**	**1,00,82,936**	**1,13,01,993**	**1,01,09,837**	**1,13,38,754**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 3

अनुसूची 3 (भाग–II) – चिह्नित निधियाँ	भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देना																	
	पिछले पृष्ठ से स्थानांतरित शेष (पृष्ठ संख्या – 8)		ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन		परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता				नगरपालिका ठोस पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम		ऊर्जा संरक्षण नागरूकता, पुरस्कार एवं पीटिंग प्रतियोगिता				वर्धित ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन		कुल योग	
					विद्युत वाहनों में ऊर्जा दक्षता		वाहनों में ऊर्जा दक्षता				राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं पीटिंग प्रतियोगिता		नागरूकता अभियान					
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) प्रारंभिक शेष		52,77,17,789				62,93,185		60,743				09,13,964		2,00,90,955		2,81,89,988		56,83,36,484
घटाएँ : अयुक्त शेष का पुनः अत्यर्पण		51,70,11,503				61,68,186		59,555				00,00,865		1,72,87,695		2,35,90,853		56,02,28,430
शुद्ध प्रारंभिक शेष	-	**1,07,06,286**	-	-	-	**1,24,987**	-	**1,189**	-	-	-	**9,13,239**	-	**27,93,090**	-	**45,99,255**	-	**1,91,80,045**
ख) वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ:																		
i. अयुक्त शेष का पुनः अत्यर्पण		49,82,37,909				2,15,00,000				1,00,00,000		5,00,00,000		3,76,01,752		4,03,88,778		56,02,28,430
ii. दान / अनुदान	22,25,16,647	21,67,00,000	46,67,111	1,00,00,000	2,09,07,845	1,86,50,000		26,10,000	5,84,963	1,25,00,000	8,95,04,437	3,87,99,865	1,15,61,056	1,43,50,000	14,50,00,000	33,40,00,000	69,47,41,065	61,95,99,865
iii. डिविडेंड तथा संबंधित निवेश आय	15,13,544	5,35,14,958		54,319	1,02,804	5,35,327		14,576	9,297	3,38,254	8,05,062	9,13,679	98,923	9,88,110	24,55,416	1,69,43,470	49,80,046	7,53,68,393
iv. राज्य से अयुक्त अनुदान पर प्राप्त ब्याज	83,27,070																83,27,070	
v. राज्य को अयुक्त अनुदान की वापसी	12,52,100														2,26,636		14,78,736	
vi. अन्य (परिसंपत्तियों की बिक्री)		1,95,818													2,434	83,462	2,434	3,46,779
कुल योग (क+ख)	**23,39,09,361**	**69,23,54,971**	**46,67,111**	**1,00,54,319**	**2,10,10,650**	**4,69,70,314**	-	**26,15,764**	**5,94,260**	**2,29,38,254**	**9,03,09,499**	**9,09,26,783**	**1,16,59,979**	**5,58,37,448**	**34,78,84,488**	**38,84,84,965**	**70,95,32,373**	**1,28,16,52,518**
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु व्यय / उपयोग																		
i. पूंजीगत व्यय																		
- संपत्ति परिसंपत्तियाँ															4,98,300	31,21,965	4,98,300	31,21,965
- पीक फीडिंग अपेक्षाएं (अधिक-इत-टैप)																		
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,98,300**	**31,21,965**	**4,98,300**	**31,21,965**
ii. राजस्व व्यय																		
- वेतन, मजदूरी एवं अन्य भत्ते	1,59,44,479	1,44,98,454			11,35,229	12,64,907			5,84,960		23,98,967	17,46,492	25,03,983	32,40,341	4,09,46,315	4,23,30,302	6,35,13,948	6,30,80,496
- अन्य प्रशासनिक / परियोजना व्यय	20,54,20,037	66,65,72,926	46,67,111	98,22,974	1,97,40,621	3,52,78,527		25,40,445		2,22,24,504	8,70,48,468	8,48,93,973	90,98,073	4,84,46,146	30,34,13,965	27,68,89,529	63,03,43,695	1,94,68,72,021
-ऊर्जा मंत्रालय को अनुदान वापसी																		
- अयुक्त अनुदान पर ब्याज	15,13,544	2,35,50,870		54,319	1,02,804	1,20,314		15,764	9,297	3,38,254	8,05,062	18,20,918	98,923	37,66,200	24,55,416	2,10,12,725	49,80,046	5,19,07,054
- राज्य से प्राप्त अयुक्त अनुदान पर ब्याज	83,27,070	4,05,70,373															83,27,070	4,05,70,373
- राज्य को अयुक्त अनुदान की वापसी	12,52,100														2,26,636		14,78,736	
- अयुक्त अनुदान वापसी	1,62,140	4,68,65,530		77,026	32,020	33,05,566		59,500		2,75,496	67,012	21,59,400		2,65,295	1,61,820	2,26,30,216	3,82,972	7,56,37,054
- अन्य (परिसंपत्तियों की बिक्री)		1,95,818												67,496	2,434	331	2,434	2,63,645
कुल	**23,39,09,361**	**69,23,54,971**	**46,67,111**	**1,00,54,019**	**2,10,10,650**	**4,69,70,314**	-	**26,15,764**	**5,94,260**	**2,29,38,254**	**9,03,09,499**	**9,09,26,783**	**1,16,59,979**	**5,58,37,448**	**34,71,80,188**	**38,33,61,809**	**70,90,04,073**	**1,27,85,80,651**
कुल ग	**23,39,09,361**	**69,23,54,971**	**46,67,111**	**1,00,54,019**	**2,10,10,650**	**4,69,70,314**	-	**26,15,764**	**5,94,260**	**2,29,38,254**	**9,03,09,499**	**9,09,26,783**	**1,16,59,979**	**5,58,37,448**	**34,78,84,488**	**38,84,84,965**	**70,95,32,373**	**1,28,16,52,516**
वर्ष के अंत में शेष (क+ख-ग) (क)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) दुरुपयोग में प्राप्त आय																		
प्रारंभिक शेष	1,12,94,787	88,06,674													1,86,13,068	1,71,44,679	3,08,07,965	2,57,50,749
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	85,94,455	25,75,000													10,27,285	21,54,779	76,21,741	47,29,779
ब्याज	11,89,368	1,13,723													18,23,873	2,13,615	30,13,338	3,27,338
घटाएँ : व्यय																		
कुल (क)	**1,90,78,610**	**1,12,94,787**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,23,64,326**	**1,95,13,068**	**4,14,42,944**	**3,08,07,865**
(ख) अनुदान के प्रतिभूत परिसंपत्तियाँ																		
i. परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष	43,957	65,187													48,65,792	43,48,618	49,09,749	44,13,805
ii. परिसंपत्तियों में वृद्धि																		
अर्जायी परिसंपत्तियों की खरीद															4,98,300	31,21,965	4,98,300	31,21,965
कुल (ख)	**43,957**	**65,187**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**53,64,092**	**74,70,581**	**54,08,049**	**75,35,768**
(ग) उपार्जन / ब्याज																		
- संपत्ति परिसंपत्तियों की बिक्री / हानि	2														23,720	11,511	23,722	11,511
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	12,736	21,230													19,90,695	25,93,278	20,03,431	26,14,508
कुल (ग)	**12,738**	**21,230**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20,14,415**	**26,04,789**	**20,27,153**	**26,26,019**
वर्ष के अंत में शेष (ग)= (क+ख)	**31,219**	**43,957**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33,49,677**	**48,65,792**	**33,80,896**	**49,09,749**
समाप्त शुद्ध शेष (ठा) (क + ग)	**1,91,09,837**	**1,13,38,754**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,57,14,003**	**2,43,78,860**	**4,48,23,840**	**3,57,17,614**
कुल योग (क+ख)	**1,91,09,837**	**1,13,38,754**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,57,14,003**	**2,43,78,860**	**4,48,23,840**	**3,57,17,614**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 3

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3 – आरक्षित निधियाँ (अन्य)	यूनिडो – जीईएफ –बीईई परियोजना		मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारम्भिक शेष	17,91,641	42,40,929	-	-	17,91,641	42,40,929
ख) निधियों में वृद्धि:	-	-	-	-	-	-
i. दान / अनुदान	-	82,75,675	10,63,15,642	12,22,34,472	10,63,15,642	13,05,10,347
ii. अन्य प्राप्तियाँ	252	-	9,09,070	-	9,09,322	-
कुल (क+ख)	**17,91,893**	**1,25,16,804**	**10,72,24,712**	**12,22,34,472**	**10,90,16,605**	**13,47,51,276**
ग) उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय / उपयोग						
i. पूँजीगत व्यय						
- स्थायी परिसंपत्तियाँ	-	-	-	89,225	-	89,225
- जांच परीक्षण उपकरण	-	-	-	75,55,936	-	75,55,936
कुल	**-**	**-**	**-**	**76,45,161**	**-**	**76,45,161**
ii. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भते आदि	-	-	1,05,37,003	1,50,84,211	1,05,37,003	1,50,84,211
- अन्य प्रशासनिक / प्रोनेक्स व्यय	1,41,318	1,07,25,163	9,66,87,709	9,95,05,100	9,68,29,027	11,02,30,263
कुल	**1,41,318**	**1,07,25,163**	**10,72,24,712**	**11,45,89,311**	**10,73,66,030**	**12,53,14,474**
कुल (ग)	**1,41,318**	**1,07,25,163**	**10,72,24,712**	**12,22,34,472**	**10,73,66,030**	**13,29,59,635**
वर्ष के अंत पर शुद्ध शेष (क + ख – ग)	**16,50,575**	**17,91,641**	**-**	**-**	**16,50,575**	**17,91,641**
अनुदान के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ						
क) निधियों का प्रारम्भिक शेष	10,96,843	20,922	1,71,28,432	1,25,66,982	1,82,25,275	1,25,87,904
ख) निधियों में वृद्धि:						
i. अन्य परिवर्धन / संपत्ति / धन हस्तांतरण	-	-	-	89,225	1,10,45,46,220	18,94,625
ii. – जांच परीक्षण उपकरण	-	18,05,400	1,10,45,46,220	75,55,936	-	75,55,936
कुल (क+ख)	**10,96,843**	**18,26,322**	**1,12,16,74,652**	**2,02,12,143**	**1,12,27,71,495**	**2,20,38,465**
ग) उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय / उपयोग						
i. पूँजीगत व्यय						
- स्थायी परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
- परिसंपत्तियों की बिक्री / हानि	2,560	-	476	-	3,036	-
कुल	**2,560**	**-**	**476**	**-**	**3,036**	**-**
ii. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भते	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
मूल्यहास	4,37,687	7,29,479	1,81,309	2,38,082	6,18,996	9,67,561
परीक्षण उपकरणों के पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यहास / हानि			84,34,567	28,45,629	84,34,567	28,45,629
कुल	**4,37,687**	**7,29,479**	**86,15,876**	**30,83,711**	**90,53,563**	**38,13,190**
कुल (ग)	**4,40,247**	**7,29,479**	**86,16,352**	**30,83,711**	**90,56,599**	**38,13,190**
कुल योग (क + ख)	**6,56,596**	**10,96,843**	**1,11,30,58,300**	**1,71,28,432**	**1,11,37,14,896**	**1,82,25,275**
वर्ष के अंत पर शुद्ध शेष (ख)	**23,07,171**	**28,88,484**	**1,11,30,58,300**	**1,71,28,432**	**1,11,53,65,471**	**2,00,16,916**

	अनुसूची-3	
सरकारी अनुदान (पृ. सं. 7 एवं 8)	4,48,23,840	3,57,17,614
अन्य (पृ. सं. 9)	1,11,53,65,471	2,00,16,916
कुल	**1,16,01,89,311**	**5,57,34,530**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर–लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 (राशि रुपए में)

अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केंद्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
क) अवधि ऋण	-	-
ख) देय और संचित ब्याज	-	-
4. बैंक		
क) अवधि ऋण	-	-
- देय और संचित ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
- देय और संचित ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियाँ	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड्स	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 5 (राशि रुपए में)

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केंद्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक		
क) अवधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियाँ	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड्स	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 6 एवं 7

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 – स्थगित ऋण देयताएँ	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क) पूँजी उपकरण एवं अन्य परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रतिज्ञाबद्ध स्वीकृति	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 7 – चालू देयताएँ एवं प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएँ				
विविध देनदार				
विविध देनदार (अन्य)		1,03,02,015		42,71,564
सुरक्षा जमा एवं प्रदर्शन गारंटी		3,04,36,453		2,14,86,525
सुरक्षा जमा (मानक एवं लेबलिंग)		18,23,38,500		16,72,63,500
शुल्क एवं कर				
टीडीएस देय	37,86,915		1,05,02,875	
जीएसटी पर टीडीएस देय	11,69,493	49,56,408	22,45,342	1,27,48,217
अन्य चालू देयताएँ				
विद्युत् मंत्रालय को देय राशि	29,87,647		9,47,19,363	
अन्य को देय राशि	7,66,81,893	7,96,69,540	5,63,67,850	15,10,87,213
कुल (क)		**30,77,02,916**		**35,68,57,019**
ख. प्रावधान				
1. कर हेतु		-		-
2. ग्रेच्युटी		-		-
3. पेंशन/अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ		-		-
4. अर्जित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
कुल (ख)		**-**		**-**
कुल (क + ख)		**30,77,02,916**		**35,68,57,019**

अनुसूची – 8
वित्तीय विवरणों का प्रारूप (गैर–लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची – 8

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास ब्लॉक					नेट ब्लॉक	
			1/04/24 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	विक्रय	समायोजन	31/03/25 तक	1/04/24 तक	वर्ष हेतु	विक्रय	समायोजन	31/03/25 तक	31/03/25 तक	31/03/24 तक
	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो													
(क)	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**													
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	1,71,28,138	5,10,700	-	-	1,76,38,838	1,14,38,683	5,94,480	-	-	1,20,33,163	56,05,675	56,89,455
4	फर्नीचर एवं फिक्सचर	100%	-	11,109	-	11,109	-	-	11,109	-	11,109	-	-	-
5	कार्यालय उपकरण	15%	1,07,47,515	4,84,240	13,26,962	-	99,04,793	69,18,509	5,89,468	11,85,631	-	63,22,346	35,82,447	38,29,006
6	कार्यालय उपकरण	100%	-	5,35,189	-	5,35,189	-	-	5,35,189	-	5,35,189	-	-	-
7	वाहन	15%	24,59,824	-	-	-	24,59,824	21,66,864	35,732	-	-	22,02,596	2,57,228	2,92,960
8	कंप्यूटर/परिधीय उपकरण	40%	69,48,938	-	43,02,437	-	26,46,501	61,62,045	3,08,488	42,94,297	-	21,76,236	4,70,265	7,86,893
9	कंप्यूटर/परिधीय उपकरण	100%	-	44,541	-	44,541	-	-	44,541	-	44,541	-	-	-
(ख)	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ**													
1	कंप्यूटर – सॉफ्टवेयर	40%	1,16,976	-	-	-	1,16,976	1,03,337	5,456	-	-	1,08,793	8,183	13,639
	कुल		3,74,01,391	15,85,779	56,29,399	5,90,839	3,27,66,932	2,67,89,436	21,24,463	54,79,928	5,90,839	2,28,43,134	99,23,798	1,06,11,953
	अनुदान के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ													
(क)	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**													
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	7,35,057	-	-	-	7,35,057	3,80,401	35,466	-	-	4,15,867	3,19,190	3,54,656
4	कार्यालय उपकरण	15%	77,85,944	-	-	-	77,85,944	55,62,402	3,33,532	-	-	58,95,934	18,90,010	22,23,542
5	कंप्यूटर/परिधीय उपकरण	40%	1,40,63,993	-	48,11,695	-	92,52,298	1,10,67,155	11,84,349	47,92,753	-	74,58,751	17,93,547	29,96,838
6	कंप्यूटर/परिधीय उपकरण	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ**													
1	कंप्यूटर – सॉफ्टवेयर	40%	49,62,400	-	10,84,737	-	38,77,663	35,27,631	5,70,780	10,76,921	-	30,21,490	8,56,173	14,34,769
2	कंप्यूटर – सॉफ्टवेयर	100%	-	4,98,300	-	4,98,300	-	-	4,98,300	-	4,98,300	-	-	-
	कुल		2,75,47,394	4,98,300	58,96,432	4,98,300	2,16,50,962	2,05,37,589	26,22,427	58,69,674	4,98,300	1,67,92,042	48,58,920	70,09,805
	संपूर्ण योग		6,49,48,785	20,84,079	1,15,25,831	10,89,139	5,44,17,894	4,73,27,027	47,46,890	1,13,49,602	10,89,139	3,96,35,176	1,47,82,718	1,76,21,758
	पिछला वर्ष		5,99,90,695	79,82,451	25,05,124	5,19,237	6,49,48,785	4,47,70,171	51,62,527	20,86,434	5,19,237	4,73,27,027	1,76,21,758	1,52,20,524

टिप्पणी:

1. ₹5,000/- या उससे कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों पर 100% मूल्यह्रास लगाया गया है।

2. जिन परिसंपत्तियों का उपयोग संभव नहीं है (अप्रयोज्य परिसंपत्तियाँ), उन पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है। (अनुसूची–26 के क्रम संख्या 18 देखें)

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 एवं 10 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 9 – निर्दिष्ट/निधि-न्यास कोषों से निवेश		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		-	-
3. शेयरों में		-	-
4. कोष निधि		-	-
i. एफ.डी.आर. (कोष निधि वृद्धि – बी.ई.ई.)	50,00,00,000		50,00,00,000
ii. एफ.डी.आर. (कोष निधि वृद्धि- एन.एम.ई.ई.ई.)	45,00,00,000	95,00,00,000	45,00,00,000
5. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रम		-	-
6. अन्य		-	-
कुल		**95,00,00,000**	**95,00,00,000**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 10 – निवेश (अन्य)		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		-	-
3. शेयरों में		-	-
4. डिबेंचर एवं बांड्स		-	-
5. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रम		-	-
6. अन्य		-	-
कुल		**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 (राशि रूपए में)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियाँ				
I. हाथ में नकद	-	-	-	-
II. अनुसूचित बैंकों में बैंक खाते				
- जमा खातों पर				
अनुसूचित बैंकों में स्थायी जमा – बी.ई.ई.	78,00,00,000		80,29,39,005	
अनुसूचित बैंकों में स्थायी जमा – एस एंड एल	6,75,53,61,354		6,18,21,33,448	
	7,53,53,61,354		6,98,50,72,453	
- बचत खातों पर				
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - बी.ई.ई.	8,85,16,153		6,91,86,930	
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - एस एंड एल	42,31,03,350		36,45,03,189	
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - योजना	4,28,17,097		3,08,76,522	
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - परीक्षा	3,13,76,046		14,44,492	
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - सी.एस.एस.-1	2,41,152		5,34,02,655	
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - सी.एस.एस.-2	1,41,820		2,19,47,461	
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - सी.एस.एस.-1 (होल्डिंग)	33,81,831		2,51,49,458	
बी.ई.ई. (बैंक ऑफ बड़ौदा - बचत खाता) - सी.एस.एस.-2 (होल्डिंग)	24,12,067		59,91,399	
बी.ई.ई. (इंडियन ओवरसीज़ बचत खाता) - चेन्नै	9,59,760		6,31,312	
बी.ई.ई. (इंडियन ओवरसीज़ बचत खाता) - दिल्ली	8,81,848		8,47,883	
बी.ई.ई. (कैनरा बैंक - बचत खाता)	63,601		-	
बी.ई.ई. (एच.डी.एफ.सी. बैंक - बचत खाता)	2,92,55,008		-	
	623149733	8,15,85,11,087	57,39,81,301	7,55,90,53,754
III. जाँच एवं परीक्षण उपकरण (एस एंड एल परियोजना) (अनुसूची 26, क्रमांक 09 देखें)		76,90,652		1,61,25,219
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ				
I. अन्य अग्रिम एवं प्राप्य राशि				
ऊर्जा लेखा परीक्षक मान्यता शुल्क - प्राप्य	1,24,000		1,84,000	
मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल)	50,91,77,511		83,680	
ई-वेस्ट रिसाइक्लर्स इंडिया - प्राप्य	17,605		-	
अन्य अग्रिम	6,76,872		6,76,872	
कर्मचारी अग्रिम	-	50,99,95,988	5,81,850	15,26,402
II. सेवा कर (अपील के विरुद्ध पूर्व-जमा राशि)		1,07,59,616		-
III. अन्य जमा (सुरक्षा जमा)		3,97,000		3,97,000
IV. उपार्जित आय (निवेशों/नियत जमा रसीदों पर)				
i. बी.ई.ई.	5,61,38,410		5,83,94,022	
ii. एन.एम.ई.ई.ई.	55,30,615		69,09,551	
iii. एस.एंड.एल.	36,56,12,763	42,72,81,788	35,45,93,697	41,98,97,270
V. अन्य				
ई-सर्फ्स ट्रेडिंग शुल्क पर टी.डी.एस.		2,63,286		2,39,502
टी.डी.एस. प्राप्य – अन्य		73,191		-
कार्यालय भवन हेतु अग्रिम राशि (जी.सी. द्वारा स्वीकृत) (अनुसूची – 26, टिप्पणी संख्या – 13)		1,10,45,46,220		-
VI. पूर्व-भुगतान व्यय		14,323		64,183
कुल		**10,21,95,33,151**		**7,99,73,03,330**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

आय एवं व्यय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ (31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु)

अनुसूची 12 एवं 13 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) तैयार वस्तुओं की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रोसेसिंग शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवाएँ	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य	-	-
कुल	-	-

(राशि रुपए में)

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडियाँ)		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकारें	-	-
3. सरकारी एजेंसियाँ	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

आय एवं व्यय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ (31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु)

अनुसूची 14 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 14 – शुल्क/सदस्यता	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा)	3,89,24,053	-
3. ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन शुल्क	6,05,000	3,20,100
कुल	**3,95,29,053**	**3,20,100**

अनुसूची 15 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(अंकित/निधारित निधियों से प्राप्त निवेश आय, जो निधियों में स्थानांतरित की गई है)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉन्ड (एनटीपीसी – कोष निधि)	-	36,01,096	-	-
ग) कोष निधि (बैंक में सावधि जमा)				
- बीईई	3,82,97,374	3,48,57,083	-	-
- एनएमईईई	3,28,22,407	3,34,47,302	-	-
2. लाभांश			-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
कुल	**7,11,19,781**	**7,19,05,481**	**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

आय एवं व्यय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ (31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु)

अनुसूची 16 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) रॉयल्टी से प्राप्त आय	-	-
ख) प्रकाशनों से प्राप्त आय	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज़	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर:	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ब्याज़ आय	6,47,33,068	6,04,07,947
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर:	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ब्याज़ आय	10,53,751	8,11,062
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) डाकघर बचत खातों में	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर:		
क) कर्मचारियों/स्टाफ को दिए गए ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज़	-	-
5. ग्रेच्युटी फंड पर ब्याज़	-	-
कुल	6,57,86,819	6,12,19,009

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

आय एवं व्यय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ (31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु)

अनुसूची 18 (राशि रुपए में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ	-	-
ख) अनुदानों से प्राप्त या बिना किसी लागत के प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
2. विविध प्राप्तियाँ	20,52,797	10,00,895
3. अन्य (संडी बैलेंस राइट-बैक)	-	76,733
कुल	20,52,797	10,77,628

अनुसूची 19 (राशि रुपए में)

अनुसूची 19 – तैयार माल एवं प्रगति-में-कार्य के भंडार में वृद्धि/कमी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) समापन भंडार		
- तैयार माल	-	-
- कार्य प्रगति में	-	-
ख) घटाएँ: आरंभिक भंडार	-	-
- तैयार माल	-	-
- कार्य प्रगति में	-	-
शुद्ध वृद्धि/कमी [क – ख]	-	-

अनुसूची 20 (राशि रुपए में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय एवं व्यय)	(प्राप्ति एवं भुगतान)	(आय एवं व्यय)	(प्राप्ति एवं भुगतान)
क) वेतन एवं मजदूरी	10,02,73,921	10,02,46,082	9,19,92,389	8,96,83,458
ख) भत्ते एवं बोनस	52,41,871	46,95,867	38,08,239	43,69,742
ग) ईपीएफ़ शुल्क	65,17,496	66,11,018	1,22,65,980	1,19,96,206
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	1,62,855	457020	4,57,020	4,60,738
ङ) अन्य (पेंशन अंशदान)	2,99,991	9,09,623	9,09,623	9,88,011
च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं अंतिम लाभों पर व्यय (ग्रेच्युटी)	27,10,595	27,10,595	25,97,765	25,97,765
छ) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं अंतिम लाभों पर व्यय (अवकाश नकदीकरण)	16,62,213	16,62,213	28,41,833	28,41,833
ज) कर्मचारी कल्याण व्यय	27,00,802	24,73,363	26,58,328	27,64,755
झ) पूर्व अवधि व्यय	-	4,23,247	4,23,247	-
कुल	11,95,69,744	12,01,89,028	11,79,54,424	11,57,02,508

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

आय एवं व्यय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ (31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु)

अनुसूची 21 (राशि रूपए में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय एवं व्यय)	(प्राप्ति एवं भुगतान)	(आय एवं व्यय)	(प्राप्ति एवं भुगतान)
क) मरम्मत एवं रख-रखाव	14,04,866	9,45,455	14,45,288	15,04,973
ख) वाहन संचालन एवं रख-रखाव	27,63,897	24,21,831	23,85,498	23,77,588
ग) डाक, टेलीफोन एवं संचार व्यय	13,11,931	13,18,458	11,43,652	11,65,032
घ) मुद्रण एवं स्टेशनरी	14,29,373	13,97,957	23,78,180	23,66,389
ङ) यात्रा एवं परिवहन व्यय	37,82,012	44,26,733	17,49,378	10,35,712
च) कार्यशाला, सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय	11,58,020	12,22,419	38,38,416	33,07,691
छ) लेखा परीक्षक (ऑडिटर) पारिश्रमिक	16,79,855	-	14,41,440	6,86,400
ज) कानूनी एवं पेशेवर शुल्क	26,44,326	25,68,260	17,55,268	16,66,800
झ) विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	2,55,700	2,55,700	1,56,456	1,56,456
ञ) कार्यालय रख-रखाव	13,48,791	12,14,809	18,82,817	17,67,624
ट) बैंक शुल्क	773	773	8,161	7,702
ठ) पूर्व अवधि व्यय	7,54,509	7,54,509	15,94,758	15,94,758
कुल - क	**1,85,34,053**	**1,65,26,904**	**1,97,79,312**	**1,76,37,125**

अनुसूची 21 – अन्य व्यय (प्रोजेक्ट व्यय)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय एवं व्यय)	(प्राप्ति एवं भुगतान)	(आय एवं व्यय)	(प्राप्ति एवं भुगतान)
प्रोजेक्ट व्यय – (बीईई)				
राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा	2,59,36,668	2,03,75,323	2,13,43,268	1,27,94,014
ऊर्जा लेखा परीक्षक मान्यता	44,800	44,800	95,964	95,964
	2,59,81,468	2,04,20,123	2,14,39,232	1,28,89,978
अनुदान-प्राप्त सहायता परियोजनाएँ (विद्युत मंत्रालय)				
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-	10,55,83,560	-	14,89,10,341
राज्य नामित एजेंसियाँ (एसडीए)	-	6,75,44,901	-	20,99,68,352
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईईसीएफ)	-	-	-	2,00,00,000
कृषि डीएसएम - एकीकृत कोल्ड-चेन में ऊर्जा दक्षता	-	293	-	2,49,99,707
कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजी-डीएसएम)	-	68,62,767	-	1,89,25,807
नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयू-डीएसएम)	-	42,30,431	-	1,67,69,569
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	4,00,28,095	-	7,45,93,287
वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की क्षमता निर्माण	-	4,39,26,538	-	6,18,32,572
वाहनों हेतु ऊर्जा दक्षता	-	1,35,533	-	26,79,759
विद्युत वाहनों हेतु ऊर्जा दक्षता	-	2,76,86,427	-	3,68,47,806
ऊर्जा दक्षता तकनीक हेतु अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का विकास	-	8,60,484	-	2,22,24,504
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन	-	57,53,253	-	89,13,858
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं पेंटिंग प्रतियोगिता	-	9,43,12,311	-	8,64,67,661
ऊर्जा संरक्षण (जागरूकता अभियान)	-	1,23,67,284	-	5,38,94,059
उन्नत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)	-	36,77,08,957	-	31,99,76,240
	-	77,70,00,834	-	1,10,70,03,522
अन्य परियोजना व्यय				
यूनीडो परियोजना	-	1,41,318	-	1,09,10,756
मानक एवं लेबलिंग	-	11,72,24,342	-	16,82,94,257
	-	11,73,65,660	-	17,92,05,013
कुल - ख	**2,59,81,468**	**91,47,86,617**	**2,14,39,232**	**1,29,90,98,513**
कुल - क+ख	**4,45,15,521**	**93,13,13,521**	**4,12,18,544**	**1,31,67,35,638**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

आय एवं व्यय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ (31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु)

अनुसूची 22 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 23 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 23 – ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) स्थायी ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (जिसमें बैंक शुल्क शामिल)	-	-
ग) अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 24 **(राशि रुपए में)**

अनुसूची 24 – परीक्षण पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) बाहरी प्रयोगशालाओं को दिया गया परीक्षण शुल्क	-	-
ख) बाज़ार नमूने	-	-
ग) प्रयोगशाला उपकरण एवं स्टोर	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 25
वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 25 – उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ

1) लेखांकन परंपरा

क. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा उपार्जन पद्धति के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ख. स्थायी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित व्यय नकद आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

2) माल

माल का मूल्य-निर्धारण लागत पर किया जाता है।

3) निवेश

निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4) अचल परिसंपत्तियाँ

क. अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क, कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं।

ख. परियोजना अनुदानों से परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन हेतु क्रय की गई अचल परिसंपत्तियाँ भी अधिग्रहण की लागत पर दर्शाई जाती हैं, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क, कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं।

ग. गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पस निधि को छोड़कर) के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियाँ निर्धारित मूल्यों पर पूँजीकृत की जाती हैं और समतुल्य राशि पूँजी भंडार में दर्शाई जाती है।

घ. अनुदान-इन-काइंड के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रदान की गई मूल्यह्रास-राशि को परिसंपत्ति से घटाया जाता है तथा अनुदान-इन-काइंड के कारण बनाए गए पूँजी भंडार में भी उतनी ही कमी की जाती है।

5) मूल्यह्रास

क. स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना लिखित-नीचे-मूल्य पद्धति के अनुसार की जाती है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो अनुपयोगी हो चुकी हैं, तथा यह मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों के अनुरूप लगाया जाता है।

ख. वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि/कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास को निम्नानुसार अनुपातिक आधार पर माना जाता है:–

- 180 दिनों तक अर्जित/उपयोग में लाई गई संपत्ति = छह महीनों के लिए मूल्यह्रास
- 180 दिनों से अधिक समय तक अर्जित/उपयोग में लाई गई संपत्ति = पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास

ग. ₹5,000/- या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियाँ पूर्णतः मूल्यह्रासित (पूरी लागत व्यय के रूप में) की जाती हैं।

घ. बीईई की स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आय एवं व्यय खाते (अनुसूची-8) से दर्शाया जाता है, जबकि अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आरक्षित कोष (अनुसूची-3) से प्रदर्शित किया जाता है।

6) अनुदान एवं राजस्व का लेखांकन

अनुदान तथा राजस्व (मानक एवं लेबलिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित ब्याज आय को छोड़कर) का लेखांकन, निर्धारित देय तिथि तक प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर किया जाता है।

7) सरकारी एवं अन्य अनुदान/सब्सिडी (सुधारित)

क. पूंजीगत लागत में योगदान स्वरूप प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजी भंडार में दर्शाया जाता है।

ख. वस्तुरूप में प्राप्त स्थिर परिसंपत्तियों को, उन परिसंपत्तियों पर प्रदान किए गए मूल्यह्रास की कटौती के बाद, पूंजी भंडार में प्रदर्शित किया जाता है।

ग. सरकारी तथा अन्य अनुदान/सब्सिडी का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर किया जाता है और इन्हें केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों की आय के रूप में दर्शाया जाता है।

घ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर किए गए व्यय का लेखांकन, अनुदान जारी किए जाने वाले वर्ष में किया जाता है।

8) विदेशी मुद्रा लेन-देन

क. विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन-देन का लेखांकन, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख. चालू परिसंपत्तियाँ, विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण तथा चालू देनदारियाँ, वर्षांत पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और उत्पन्न लाभ/हानि को संबंधित परियोजनाओं की लागत में समायोजित किया जाता है।

9) पट्टा

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के किराये का लेखांकन, पट्टा शर्तों के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है।

10) सेवानिवृत्ति लाभ

क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों को मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी दायित्व हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रेच्युटी पॉलिसी ले रखी है।

ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों को देय अवकाश नकदीकरण दायित्व हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की लीव एनकैशमेंट लाभ पॉलिसी ले रखी है।

ग. "ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) नियम, 2017" के अनुसार, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी- इनडोर एवं आउटडोर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

अनुसूची 26
वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों से संबंधित अनुसूचियाँ

अनुसूची 26 – अनिश्चित देनदारियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ

1) अनिश्चित देनदारियाँ

दावा दायर किया गया है, परन्तु उसे देनदारी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ब्यूरो ने आदेश संख्या 26-28/RPS/COMMR/CGST/DSC2024-25 दिनांक 27.11.2024 के विरुद्ध सीईएसटीएटी, नई दिल्ली में अपील दायर की है, जिसके अंतर्गत सेवा कर की माँग (ब्याज एवं दंड सहित) निम्नानुसार उठाई गई है :

क्रम सं	आवृत काल	सेवा कर माँग (₹)
1	वित्त वर्ष 2014-15	2,95,70,890/-
2	वित्त वर्ष 2015-16	3,63,62,695/-
3	वित्त वर्ष 2016-17 तथा 01.04.2017 से 30.06.2017	7,75,27,956/-
कुल		**14,34,61,541/-**

ब्यूरो द्वारा ₹1,07,59,616/- (माँग ₹14,34,61,541/- का 7.5%) की राशि अपील दायर करने हेतु अग्रिम जमा (पूर्व जमा राशि) के रूप में विभाग में जमा कराई गई है।

(पिछले वर्ष – शून्य)

2) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार, चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में प्राप्ति योग्य मूल्य पर हैं, जो बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि से कम नहीं है। ब्यूरो के पास कोई विविध देनदार नहीं है, अतः देनदारों की आयु-वार विवरणी नहीं दी गई है।

3) कराधान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49 के अनुसार आयकर से छूट प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि- "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 43) या किसी अन्य प्रभावी अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, निम्नलिखित पर उनकी आय, लाभ या अर्जन पर कोई आयकर देय नहीं होगा-"

(क) ब्यूरो;

(ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, जिसकी स्थापना से लेकर ब्यूरो की स्थापना तिथि तक की अवधि में अर्जित आय, लाभ या अर्जन पर कोई आयकर देय नहीं होगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप, ब्यूरो की कोई करयोग्य आय नहीं है, अतः आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4) विदेशी मुद्रा लेन–देन

ब्यूरो ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी/स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (आईए/सीईएम) को वार्षिक अंशदान तथा विदेशी यात्रा व्यय के मद में विदेशी मुद्रा व्यय वहन किया है।

5) सेवानिवृत्ति लाभ

ब्यूरो ने ग्रेच्युटी के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया को ₹27,10,595/- (पिछला वर्ष – ₹25,97,765/-) का प्रीमियम भुगतान किया है तथा बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के लीव एन्कैशमेंट लाभ हेतु ₹16,62,213/- (पिछला वर्ष – ₹28,41,833/-) का भुगतान किया है। ब्यूरो अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी/लीव एन्कैशमेंट का प्रबंधन एलआईसी (एक सरकारी संस्था) के माध्यम से करता है। एलआईसी, बीईई और एनएमईईई के कर्मचारियों के लिए ऐक्चुअरियल मूल्यांकन करती है। एलआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुसार, 31/3/2025 को ग्रेच्युटी फंड एवं समूह लीव एन्कैशमेंट योजना का ऐक्चुअरियल मूल्य निम्नानुसार है:–

i. ग्रेच्युटी फंड - ₹1,51,62,693/- (पिछला वर्ष – ₹1,71,41,224/-)

ii. समूह लीव एन्कैशमेंट योजना - ₹1,76,56,712/- (पिछला वर्ष – ₹1,74,04,322/-)

6) वर्ष के दौरान बीईई ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंक में स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। अतः, अप्रयुक्त निधि पर मासिक औसत शेष के आधार पर गणना की गई ब्याज आय को प्राप्त ब्याज आय में से संबंधित योजनाओं के खाते में जमा किया गया है तथा शेष राशि विद्युत मंत्रालय को वापस की जा रही है।

7) वर्ष के दौरान ₹2,37,19,31,490/- (अनुसूची–1) (पिछला वर्ष – ₹1,39,47,02,426/-) की राशि को बैंक से प्राप्त लेबलिंग शुल्क एवं ब्याज के रूप में बीईई द्वारा लेखाबद्ध किया गया है, जो मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ईसी अधिनियम की धारा 14 के उपबंध (क), (ख) एवं (घ) के अंतर्गत किया गया है।

8) वर्ष 2017–18 के दौरान, पीएटी साइकिल–I के अंतर्गत ई–सर्ट्स (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र) के व्यापार की शुरुआत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना संख्या L–1/97/2016 दिनांक 27/5/2016 द्वारा की

गई। इस योजना के अंतर्गत, बीईई योजना के प्रशासक तथा पोसोको पंजीकरण इकाई के रूप में कार्य करता है। पोसोको पात्र इकाइयों से सभी शुल्क एवं देयकों का संकलन करेगा तथा सभी अभिलेखों का संधारण करेगा। पोसोको शुल्क एवं देयकों को प्रशासक एवं पंजीकरण इकाई के बीच 50:50 के अनुपात में साझा करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹10,19,785/- (पिछला वर्ष – Rs) ई–सर्ट ट्रेडिंग शुल्क के रूप में पोसोको से प्राप्त हुआ है।

9) (i) ₹76,90,652/- (पिछले वर्ष ₹1,61,25,219/-) मूल्य के चेक टेस्टिंग उपकरण, जो स्टैंडर्ड एवं लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हैं, को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तृतीय पक्ष (टेस्टिंग लैब्स) के पास रखे हुए हैं। ये इन्वेंटरी स्टैंडर्ड एवं लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हैं और व्यापारिक उद्देश्य के लिए नहीं हैं। बीईई ने सभी लैब्स से अनुरोध किया है कि वे इस स्टॉक की उपलब्धता या उनके साथ मौजूद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की पुष्टि उपलब्ध कराएँ।

(ii) वर्ष के दौरान बीईई को ₹9,09,001/- की बिक्री प्राप्त हुई है, जो चेक टेस्टिंग उपकरणों की बिक्री से संबंधित है जिनका डब्ल्यूडीवी ₹70,77,388/- वर्ष की शुरूआत में था। ₹61,68,387/- का नुकसान "अन्य प्रशासनिक व्यय" के रूप में अनुसूची-3 में दर्शाया गया है।

(iii) ऑडिट की सलाह के अनुसार, बीईई ने उपलब्ध चेक टेस्टिंग उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन किया। पुनर्मूल्यांकन की विधि को आयकर अधिनियम के अनुसार 15% प्रतिवर्ष, न्यूनतम 5% अवशिष्ट मूल्य के साथ लागू किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर ₹13,57,179/- का नुकसान "अन्य प्रशासनिक व्यय" के रूप में अनुसूची-3 में दिखाया गया है। स्टैंडर्ड एवं लेबलिंग योजना के अंतर्गत चेक टेस्टिंग उपकरणों को पुनर्मूल्यांकित मूल्य ₹76,90,652/- पर अनुसूची-11 में दर्शाया गया है। 31/3/2025 तक चेक टेस्टिंग उपकरणों का उत्पाद-वार विवरण इस प्रकार है: –

क्रम सं.	उपकरण का नाम	01/04/2024 को मूल्य (क)	वर्ष के दौरान वृद्धि (ख)	वर्ष के दौरान बिक्री (ग)	कुल लागत (क+ख–ग)	पुनर्मूल्यांकन में हानि	31/03/2025 को पुनर्मूल्यांकित मूल्य
1	एयर कंडीशनर	73,75,724	-	37,00,612	36,75,112	5,51,268	31,23,844
2	सीलिंग फैन	63,033	-	19,300	43,733	6,560	37,173
3	इंडक्शन कुकटॉप	16,922	-	-	16,922	2,538	14,384
4	इंडक्शन मोटर्स	51,020	-	-	51,020	7,653	43,367
5	पंप सेट	2,19,201	-	71,496	1,47,705	22,156	1,25,549
6	माइक्रोवेव ओवन	13,762	-	13,762	-	-	-
7	रेफ्रिजरेटर	45,34,325	-	12,42,936	32,91,389	4,93,712	27,97,677
8	टेलीविज़न	21,18,912	-	14,72,219	6,46,693	97,004	5,49,689
9	ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प	3,00,939	-	2,57,523	43,416	6,512	36,904

क्रम सं.	उपकरण का नाम	01/04/2024 को मूल्य (क)	वर्ष के दौरान वृद्धि (ख)	वर्ष के दौरान बिक्री (ग)	कुल लागत (क+ख-ग)	पुनर्मूल्यांकन में हानि	31/03/2025 को पुनर्मूल्यांकित मूल्य
10	वाशिंग मशीन	1,03,014	-	66,626	36,388	5,458	30,930
11	वॉटर हीटर्स	13,28,367	-	2,32,914	10,95,453	1,64,318	9,31,135
	कुल	1,61,25,219	-	70,77,388	90,47,831	13,57,179	76,90,652

10) बोली प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्क ₹20,52,797/- (पिछला वर्ष – ₹10,00,895/-) की बोली प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्क की राशि को अनुसूची–18 के अंतर्गत "विविध प्राप्तियाँ" में दिखाया गया है।

11) ऊर्जा प्रबंधक एवं ऊर्जा लेखा परीक्षकों की परीक्षा धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (एन), (ओ) और (पी), तथा खंड (घ), (ङ) और (च) तथा धारा 58 और ईसी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो , भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से, वर्ष 2004 से ऊर्जा प्रबंधकों एवं ऊर्जा लेखा परीक्षकों की पहचान हेतु परीक्षा आयोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 24वीं परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा से एकत्रित कुल शुल्क ₹3,89,18,553/- को शुल्क/सदस्यता के अंतर्गत अनुसूची–14 में दर्शाया गया है। 24वीं परीक्षा से संबंधित परीक्षा व्यय ₹2,59,36,668/- को "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत अनुसूची–21 में दिखाया गया है।

12) ₹29,87,647/- की राशि, जो अनुदानों के अप्रयुक्त शेष तथा उस पर अर्जित ब्याज से संबंधित है, विद्युत मंत्रालय को वापस की जानी है, और इसे अनुसूची–7 (वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

13) वित्त वर्ष के दौरान ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन शुल्क ₹1,24,000/- मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों से प्राप्त होने योग्य है। यह देय शुल्क अनुसूची-11 में वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि के अंतर्गत दिखाया गया है।

14) वित्त वर्ष के दौरान मानक लेबलिंग शुल्क ₹50,90,93,831/- पंजीकृत विनिर्माताओं से प्राप्त होने योग्य है। यह राशि अनुसूची-11 में वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि के अंतर्गत दर्शाई गई है।

15) ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2024–25 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय स्वैच्छिक योगदान ₹91,29,122/- (पिछला वर्ष: ₹90,78,933/-) का भुगतान किया। एमएसी तथा विद्युत मंत्रालय/वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के अनुसार यह व्यय मानक एवं लेबलिंग शुल्क से वहन किया गया है और इसे अनुसूची-1 कोष/पूंजी निधि में दिखाया गया है।

16) वर्ष के दौरान, ब्यूरो ने एन बी सी सी में अधिग्रहित कार्यालय परिसर के लिए अग्रिम भुगतान किया। गवर्निंग काउंसिल ने मानक एवं लेबलिंग शुल्क की निधि का उपयोग कर खरीद को स्वीकृति प्रदान की। कार्यालय की कुल लागत ₹1,17,64,69,782/- है, जिसमें से ₹1,10,45,46,220/- की राशि 31.03.2025 तक

भुगतान की जा चुकी है, तथा बीईई के नाम पंजीकरण लंबित है। उपयोग की गई राशि को अनुसूची-1 कोष/पूंजी निधि में तथा कार्यालय के लिए अग्रिम को अनुसूची-11 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि में दिखाया गया है।

17. वर्ष के दौरान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुपयोगी सामग्री की बिक्री का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को लेखा मूल्य (डब्ल्यू डी वी)	प्राप्त राशि	बिक्री पर हानि
1	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ	1,02,343/-	14,850/-	87,493/-
2	अनुदान के अंतर्गत अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ	26,758/-	2,755/-	24,003/-
	कुल	**1,29,101/-**	**17,605/-**	**1,11,496/-**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनुपयोगी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनुपयोगी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हुई पूरी हानि को आय-व्यय लेखे में "स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि" के रूप में दर्शाया गया है। अनुदान के अंतर्गत आने वाली अनुपयोगी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हुई हानि को अनुसूची–3 में दिखाया गया है।

वर्ष के दौरान निम्न अनुपयोगी परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया

क्रम सं.	विवरण	कुल मूल्य	लेखा मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)
1	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	18,16,968/-	62,276/-
2	अनुदान के अंतर्गत परिसंपत्ति	2,51,579/-	17,020/-
	कुल	**20,68,547/-**	**79,296/-**

18) पूर्व वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण पूर्व वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुसार पुनः समूहित और पुनः संयोजित किया गया है।

19) अनुसूची 1 से 26 को संलग्न किया गया है और वे 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट तथा उस दिन समाप्त आय-व्यय लेखे का अभिन्न हिस्सा हैं।

अध्याय – 4
प्रशासन

4.1 शिकायत निवारण
4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम
4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण
4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण
4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन
4.6 सतर्कता
4.7 दिव्यांगजन कल्याण

4.1 शिकायत निवारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यह एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है, जिसे एनआईसीनेट पर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली को लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से संचालित किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सीपीग्राम पोर्टल से कुल 39 शिकायतें और 02 अपीलें बीईई में प्राप्त हुईं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर ही निस्तारित कर दिया गया।

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2024-25 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 120 आवेदन बीईई में प्राप्त हुए। सभी आवेदनों का उत्तर/स्थानांतरण निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया।

इसी अवधि में 13 अपीलें भी अपीलीय प्राधिकारियों के पास प्राप्त हुईं, जिन्हें भी निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित कर दिया गया।

4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित प्रपत्र में दर्शाया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी (31.03.2025 तक)	प्रतिनिधित्व का विवरण					
		एससी	एससी%	एसटी	एसटी%	ओबीसी	ओबीसी%
क	15	02	13.3%	01	6.6%	03	20%
ख	08	02	25%	-	-	01	12.5%
ग	01	-	-	-	-	-	-
कुल	24	04	16.67%	01	4.16%	04	16.67%

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रपत्र में दर्शाया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी (31.03.2025 तक)	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
क	15	01	6.67%
ख	08	-	-
ग	01	-	-
कुल	24	01	4.17%

4.5 राजभाषा का क्रियान्वयन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। राजभाषा नीति का 99.48% पालन सुनिश्चित किया गया है। वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। धारा 3(3) तथा नियम 5 का भी शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है। पत्राचार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सभी अधिकारी हिंदी में टिप्पणियाँ लिख रहे हैं। सभी अनुभागों में हिंदी कार्य के प्रति रुचि बढ़ रही है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हर वर्ष सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वर्ष के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ और हिंदी कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं, ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार अधिकतम कार्यालयी कार्य हिंदी में करने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।

बीईई में हिंदी पखवाड़ा 14 से 28 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता, हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता, राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा शब्दावली प्रतियोगिता, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पृथक हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को कुल आठ पुरस्कार प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार तथा पाँच सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं ने न केवल अपना गहन ज्ञान एवं अनुभव साझा किया, बल्कि राजभाषा अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक हिंदी कार्य में प्रतिभागियों द्वारा महसूस की जाने वाली समस्याओं के समाधान में भी सहायता की। इन कार्यशालाओं में सहभागिता से राजभाषा के कार्यालयी कार्यान्वयन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कार्यशालाओं में भाग लेने के पश्चात, कर्मचारियों ने फ़ाइलों में यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में नोटिंग कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें महानिदेशक की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की गईं, जिनमें राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा की गई। इन बैठकों में अध्यक्ष द्वारा पत्राचार एवं टिप्पणियाँ केवल हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

वर्ष के दौरान संचालित अन्य राजभाषा गतिविधियों का विस्तृत विवरण

क) 15 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में ब्यूरो के दो अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

ख) 17 मई 2024 तथा 21 मई 2024 को क्रमशः हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी स्लोगन प्रतियोगिता तथा हिंदी तात्कालिक भाषण (एक्सटेम्पोर) प्रतियोगिता आयोजित की गईं। इन सभी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कर्मचारियों में हिंदी लेखन, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और राजभाषा के प्रयोग के प्रति रुचि बढ़ाना था।

ग) 21 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से योगाचार्या सुश्री अमृता शर्मा को आमंत्रित किया गया। उन्होंने विशेष व्याख्यान दिए तथा योगासन का अभ्यास करवाया। पूरा कार्यक्रम पूर्णतः हिंदी भाषा में आयोजित किया गया।

घ) 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के दौरान, 18 सितंबर 2024 को "स्वच्छ भारत, विकसित भारत" तथा "स्वच्छता ही सेवा" विषयों पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

ङ) 19 जुलाई 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित नरकास दक्षिण दिल्ली–2 की बैठक में ब्यूरो के कार्यालयाध्यक्ष और हिंदी परामर्शदाता ने भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न कार्यालयों की रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें ब्यूरो की अर्धवार्षिक रिपोर्ट को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

च) 19 सितंबर 2024 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक "कर्मचारियों में रचनात्मक क्षमता के विकास" विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कविता लेखन, कविता वाचन, तथा राजभाषा से संबंधित रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल थीं। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद्, कवि एवं भाषाविद् डॉ. जगदीश व्योम को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

छ) 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे। समारोह की सभी गतिविधियाँ: जैसे बैनर, होर्डिंग, आमंत्रण पत्र, प्रशस्ति पत्र, शील्ड/ट्रॉफी आदि-द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) रूप में तैयार की गईं। मुख्य अतिथि सहित अन्य सभी अधिकारियों ने अपने संबोधन हिंदी में दिए। इससे समारोह में राजभाषा का सम्मान और प्रयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा।

ज) ब्यूरो की त्रैमासिक द्विभाषी समाचार पत्रिका "बीईई लाइन" नियमित रूप से प्रकाशित की गई।

झ) 12 से 14 फरवरी 2025 तक राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कंठस्थ 2.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्यूरो के तीन कर्मचारियों ने भाग लिया।

4.6 सतर्कता

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई प्रमुख शिकायत प्राप्त नहीं हुई और न ही किसी अनुशासनात्मक मामले की शुरुआत की गई।

4.7 दिव्यांगजन कल्याण

चूंकि दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया और 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ, इसलिए ब्यूरो ने इसे पूर्ण निष्ठा के साथ लागू किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दिव्यांगजन गरिमा, बिना किसी भेदभाव तथा समान अवसरों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बीईई ने दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया – गैर-भेदभाव, समाज में पूर्ण एवं प्रभावी सहभागिता तथा समावेशन, विविधताओं और मानव विविधता के प्रति सम्मान, दिव्यांगता की स्वीकृति, अवसरों में समानता, पहुंच सुनिश्चित करना, पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता, दिव्यांग बच्चों की विकसित क्षमताओं के प्रति सम्मान, तथा उनकी पहचान बनाए रखने के अधिकार के प्रति आदर।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत है :–

समूह	कुल कर्मचारी (31.03.2025 तक)	दिव्यांग कर्मचारी				दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		दी.अ.व. (दृष्टिबाधित)	अ.व.व. (श्रवणबाधित)	भी.व. (अस्थि/जन विकलांग)	कुल	
A	15	-	-	01	01	6.66%
B	08	-	-	-	-	-
C	01	-	-	-	-	-
कुल	24	-	-	01	01	4.16%

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110066 (भारत)

फोन नं.: 011-26766700, फैक्स नं.: 011-26178352

वेबसाइट: www.beeindia.gov.in

/beeindiadigital /bureauofenergyefficiency